



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1975 (आषाढ़ 28, 1897)

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975 (ASADHA 28, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 जून 1975

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(II)—संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री पी० डी० श्रीवास्तव को राष्ट्रपति द्वारा 28-4-75 से 28-6-75 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(III)—संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री आर० के० मागो को राष्ट्रपति द्वारा 1-5-75 से 21-6-75 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

M-156 GI/75

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(IV)—संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री आर० एल० मदान को राष्ट्रपति द्वारा 1-5-75 से 15-6-75 तक की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(I)—संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री पी० एस० सभरवाल को राष्ट्रपति द्वारा 14-4-75 से 31-5-75 तक 48 दिन की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

पी० एम० मुखर्जी,
अवर सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

(5307)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 मई 1975

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III-इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/74-प्रशा०-III दिनांक 5-3-75 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एम० डी० शर्मा को, राष्ट्रपति द्वारा 15-6-75 से 24-3-75 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 11 जून 1975

सं० ए० 38013/1/75-प्रशा०-III-संघ लोक सेवा आयोग के के० स० से० संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा उसी कार्यालय में स्थानापन्न अवर सचिव, श्री आर० पी० सरकारतारिया को वाद्-घंक्म निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर राष्ट्रपति 30 अप्रैल, 1975 के अपराह्न से मरुतारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति सहाय प्रदान करते हैं।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन-III(V)-संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एस० पी० गुप्त को राष्ट्रपति द्वारा 15-5-75 से 5-7-75 तक की 52 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 12 जून, 1975

सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन-III(VI)-इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-4-75 के आंशिक संशोधन में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एम० एन० संगमेश्वरन को राष्ट्रपति द्वारा 3-3-75 से 9-5-75 तक 68 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन-III(VII)-संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री बी० आर० बंसरा को राष्ट्रपति द्वारा 19-5-75 से 19-7-75 तक की 68 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन-III(VIII)-संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एम० एन० संगमेश्वरन को राष्ट्रपति द्वारा 12-5-75 से 8-8-75 तक 89 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(IX)-इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-5-75 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी

सहायक श्री एस० डी० शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा 25-5-75 से 15-6-75 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(X)-संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जी० नटराजन को राष्ट्रपति द्वारा 26-5-75 से 11-7-75 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(XI)-इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-4-75 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री घनीशचन्द्र को राष्ट्रपति द्वारा 1-6-75 से 31-12-75 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(XII)-संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एस० पी० माथुर को राष्ट्रपति द्वारा 2-6-75 से 1-9-75 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

पी० एन० मुखर्जी,
अवर सचिव
प्रशासन प्रभारी,
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 जून 1975

सं० ए० 12019/5/74-प्रशासन-II-संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-4-1975 के अनुक्रम में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के के० स० से० संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में के स्थायी अधिकारी श्री एम० एस० छाबड़ा, को आयोग के कार्यालय में 1-6-1975 से 31-8-1975 तक 3 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने के तक, जो भी पहले ही कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए नियुक्त करते हैं।

श्री छाबड़ा कनिष्ठ विश्लेषक के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहेंगे और उनका वेतन समय-समय पर यथा संशोधित वित्त मंत्रालय के का० जा० सं० एफ० 10 (24)-ई०-III/60 दिनांक 4 मई, 1961 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

पी० एन० मुखर्जी,
अवर सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 1975

सं० एन०-31/65-प्रशासन-5—एयर इंडिया, मुख्यालय, बम्बई में वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी के रूप में चयन हो जाने पर, श्री एन० पी० रेगे ने दिनांक 31-5-75 के अपराह्न में पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य अपराध स्कंध, बम्बई के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

दिनांक 20 जून 1975

सं० एस०-169/68-प्रशासन-5—बी० पी० आर० एण्ड डी० (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली से प्रत्यावर्तन हो जाने पर, श्री एस० एन० मुखर्जी ने दिनांक 2-6-75 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, सामान्य अपराध स्कंध, दिल्ली शाखा के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

सं० ए०-7/74-प्रशासन-5—अपने मूल राज्य पुलिस विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, श्री डी० के० एम० अब्दुल रज़ाक, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 31-5-75 के अपराह्न में पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य अपराध स्कंध, विशेष पुलिस स्थापना, मद्रास के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

दिनांक 25 जून 1975

सं० ए०-19021/7/75 प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्त श्री बी० पी० माहा, भारतीय पुलिस सेवा (उड़ीसा) को दिनांक 13-6-75 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में अस्थायी रूप से स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं ।

गुलजारी लाल अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (स्था)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

मसूरी, दिनांक 21 जून 1975

सं० 195-ई० ए० पी०—श्री सी० डी० साहनी, लेखा अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, निवृत्ति अवकाश दिनांक 18-8-74 से 31-10-74 तक की समाप्ति पर, दिनांक 31-10-74 अपराह्न से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

सं० पा० सिंह
उप-प्रशासन अधिकारी

गृह मंत्रालय

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 जून 1975

सं० 25/39/73-आर० जी० (ए० डी०-I)—जवाहर लाल नेहरू फ़ैलोशिप के लिए चयन के फलस्वरूप डा० बी० के० राय बर्मन ने उपमहापंजीकार (समाज अध्ययन) के पदभार को दिनांक 16 अप्रैल, 1975 से सौंप दिया ।

बद्री नाथ,
भारत के उपमहापंजीकार
एवं पदेन उप सचिव

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 मई 1975

सं० ई०-38013(3)/1/75-प्रशा०-1-झरिया से स्थानान्तरित होने पर, श्री वाई० पी० जोगेश्वर, ने दिनांक 12 अप्रैल 75 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बी० सी० सी० एल०, झरिया, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने दिनांक 17 अप्रैल, 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 17 मई 1975

सं० ई०-31013(2)/5/74-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, निरीक्षक जी० आर० लाल को दिनांक 1 जनवरी, 75, के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, सरकारी अफीम तथा क्षार निर्माण, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट, आगामी आदेश जारी होने तक, नियुक्त करते हैं, जिन्होंने उसी दिनांक से पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 26 मई 1975

सं० ई०-38013(2)/1/75-प्रशा०-1—एम० ए० एम० सी०, दुर्गापुर, को स्थानान्तरण होने पर, श्री लछमन दास, भारतीय पुलिस सेवा, ने दिनांक 5-5-75 के अपराह्न से, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 11 जून 1975

सं० ई०-16014(3)/21/73-प्रशा०-1—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति की वर्तमान अवधि की समाप्ति होने पर गुजरात राज्य पुलिस संवर्ग को प्रत्यावर्तित होने पर, श्री आर० बी० चुदासामा ने दिनांक 28 अप्रैल, 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, आई० पी० सी० एल०, बड़ोदा, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 13 जून 1975

सं० ई०-16013(2)/1/75-प्रशा०-1—गुजरात राज्य से स्थानान्तरित होने पर, श्री वाई० बी० झाला, आई० पी० एस० ने श्री बी० के० झाला, आई० पी० एस०, के स्थान पर दिनांक

26 अप्रैल, 1975 के पूर्वार्द्ध से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, आई० पी० सी० एल०, बडोदा, के कमांडेंट पद का कार्यभार संभाल लिया।

2. गुजरात राज्य संवर्ग को प्रत्यावर्तित होने पर, श्री बी० के० झाला, आई० पी० एस०, ने उसी दिनांक अर्थात् 26 अप्रैल, 1975 के पूर्वार्द्ध से उपरोक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एल० एस० बिष्ट,
महानिरीक्षक

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 1975

सं० ओ०-II-401/69-ई० एस० टी०—प्रतिनियुक्ति की प्रवधि समाप्त के फलस्वरूप श्री के० नानू, उप पुलिस अधीक्षक की सेवाएं 31 मार्च, 1975 के अपराह्न से केरल सरकार के निपटान हेतु बदली।

दिनांक 17 मई 1975

सं० पी०-VII-4/74-ई० एस० टी०—राष्ट्रपति निम्न-लिखित सूबेदार मेजरों/सूबेदारों को उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप प्रागामी प्रादेश जारी होने तक उप पुलिस अधीक्षक (कम्पनी कमांडर/क्वार्टर मास्टर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

उन्होंने बटालियनों/ग्रुप सेंटरों में उनके सामने लिखी हुई तिथियों से पद का कार्यभार संभाला।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	बटालियन/ग्रुप सेंटर जिसमें तैनात हुआ	कार्यभार सम्भालने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री सरब सिंह	17 बटा०	13-3-75 (पूर्वा०)
2.	श्री एम० बी० गौतम	54 बटा०	6-3-75 (पूर्वा०)
3.	श्री चेत राम	2 बटा०	18-3-75 (अप०)
4.	श्री मोहन सिंह	ग्रुप सेंटर किशनगढ़	11-3-75 (पूर्वा०)
5.	श्री बी० कृष्णा स्वामी	14 बटा०	4-3-75 (अप०)
6.	श्री रामेश्वर सिंह	10 बटा०	13-3-75 (पूर्वा०)
7.	श्री सूबे सिंह	10 बटा०	13-3-75 (पूर्वा०)
8.	श्री खडका बहादुर	2 बटा०	24-3-75 (अप०)
9.	श्री जगमाल सिंह	ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर	4-3-75 (पूर्वा०)
10.	श्री सोहन सिंह	ग्रुप सेंटर अवाडी	3-3-75 (पूर्वा०)

1	2	3	4
11.	श्री बिशन दास	19 बटा०	22-3-75 (अप०)
12.	श्री जी० आर० पुरोहित	ग्रुप सेंटर हैदराबाद	31-3-75 (अप०)
13.	श्री अमर सिंह राय	24 बटा०	6-3-75 (पूर्वा०)
14.	श्री प्रीतम सिंह	42 बटा०	4-3-75 (अप०)
15.	श्री शिव नारायण सिंह	ग्रुप सेंटर त्रिवेन्द्रम	11-3-75 (पूर्वा०)
16.	श्री भान सिंह	ग्रुप सेंटर किशनगढ़	5-3-75 (पूर्वा०)
17.	श्री सन्तोष सिंह	20 बटा०	12-3-75 (पूर्वा०)
18.	श्री प्रह्लाद सिंह	60 बटा०	25-3-75 (पूर्वा०)
19.	श्री सागर सिंह	11 बटा०	15-3-75 (अप०)
20.	श्री प्रह्लाद पाटिल	47 बटा०	10-3-75 (पूर्वा०)
21.	श्री भोपाल सिंह	5 बटा०	4-3-75 (अप०)
22.	श्री मस्त राम कश्यप	4 बटा०	14-3-75 (पूर्वा०)
23.	श्री बलबीर सिंह	59 बटा०	14-3-75 (अप०)
24.	श्री भगवान सिंह	17 बटा०	5-3-75 (पूर्वा०)
25.	श्री निर्मल सिंह	45 बटा०	8-3-75 (पूर्वा०)
26.	श्री ओ० पी० शर्मा	59 बटा०	15-3-75 (पूर्वा०)
27.	श्री भूले राम सिंह	41 बटा०	15-3-75 (पूर्वा०)
28.	श्री तुकुम चन्व	41 बटा०	5-3-75 (पूर्वा०)
29.	श्री रनबीर सिंह	1 सिगनल बटा०	6-3-75 (अप०)
30.	श्री साही राम	2 सिगनल बटा०	7-3-75 (पूर्वा०)
31.	श्री सी० के० भाष्कर कुरुप	3 सिगनल बटा०	5-3-75 (अप०)
32.	श्री मान सिंह	3 सिगनल बटा०	1-4-75 (पूर्वा०)

दिनांक 19 जून 1975

सं० ओ०-II-83-70-स्था०—भारत सरकार की सेवा निवृत्त होने पर ले० कर्नल के० एन० सैन जो कि भारतीय स्थल सेना के एक अधिकारी हैं और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में डेप्युटीशन

पर हैं ने 59 दिन की 1-2-75 से 21-3-75 तक सेवान्त छुट्टी पर जाते हुए कमांडेंट ग्रुप सेंटर सी० आर० पी० एफ० पूना के पद का कार्यभार 31 जनवरी, 1975 (अपराह्न) को त्याग दिया।

II

राष्ट्रपति ले० कर्नल के० एन० सैन को पुनर्नियुक्त किए जाने पर आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कमांडेंट के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

उन्होंने 1 अप्रैल, 1975 के पूर्वाह्न से ग्रुप सेंटर सी० आर० पी० एफ० पूना में कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाला।

दिनांक 3 जून, 1975

सं० ओ-11-1007/75-स्था०-1—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डा० रंजन कुमार दास को तदर्थ रूप में पहले एक वर्ष के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार संभालने की तारीख से नियुक्त करते हैं।

डाक्टर रंजन कुमार दास को आर० टी० सी० नं० 2, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में नियुक्त किया जाता है और उन्होंने अपने पद का कार्यभार दिनांक 11 मार्च, 1975 पूर्वाह्न से संभाल लिया है।

दिनांक 4 जून, 1975

सं० ओ-11-1015/75-स्था०-1—महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर मुरारी देहवरी को तदर्थ रूप में पहले एक वर्ष के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार संभालने की तारीख से नियुक्त करते हैं।

2. डाक्टर मुरारी देहवरी को 18 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में नियुक्त किया जाता है और उन्होंने अपने पद का कार्यभार दिनांक 18 अप्रैल, 1975 पूर्वाह्न से संभाल लिया है।

दिनांक 13 जून, 1975

सं० ओ-11-58/70-ईस्ट—ले० कर्नल एस० के० राय ने 7 दिन की अर्जित छुट्टी (सेवा निवृत्त अवकाश) दिनांक 24-4-75 से 30-4-75 जाने के फलस्वरूप 23-4-75 के अपराह्न से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के ग्रुप सेंटर नं० 2 में कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ा।

2. अवकाश की समाप्ति तथा पुनर्नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप ले० कर्नल एस० के० राय को उसी दिन से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल से भारमुक्त समझा जाएगा।

दिनांक जून 1975

सं० डी०-1-2/75-स्था०—आई० सी० एफ० एस० में उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्ति होने के कारण, श्री हरिशचन्द्र शूद उप अधीक्षक, नियंत्रण कक्ष, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की सेवाएं 30 अप्रैल, 1975 पूर्वाह्न से आई० सी० एफ० एस० को सौंप दी गईं।

दिनांक 19 जून, 1975

सं० ओ-11-963/74-स्था०—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मुलतानी राम लाम्बा गुरु सेन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल जम्मू का त्याग पत्र दिनांक 15-2-1975 पूर्वाह्न से स्वीकृत कर लिया।

दिनांक जून, 1975

सं० पी-11-4-74-स्था०—राष्ट्रपति, सूबेदार दुर्गाध्यान को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में अस्थाई रूप में अल्पावधिक रिक्ति के सामने उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

2. वे 2 सिगनल बटालियन के रि० पु० दल में स्थापन किए जाते हैं और उन्होंने अपने पद का कार्यभार दिनांक 31-5-75 पूर्वाह्न को संभाल लिया है।

एस० एन० माथुर
सहायक निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद, दिनांक 12 जून 1975

सं० 42/1/72-स्था०—गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के स्थाई हिन्दी अध्यापक श्री ए० एन० पाण्डे को हिन्दी अनुदेशक (श्रेणी-II-राजपत्रित) के पद पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में दिनांक 1-4-75 से स्थाई रूप से नियुक्त किया जाना है।

एस० एम० डायज,
निदेशक

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 3 जून 1975

सं० बी० एन० पी०/ई०/स्पे०/36—भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने पर श्री एन० सी० सेनगुप्ता स्थाई नियन्त्रण निरीक्षक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय की, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में नियंत्रण अधिकारी के पद पर की गई स्थानापन्न नियुक्ति तारीख 20-3-75 (पूर्वाह्न) से 20-1-1976 (अपराह्न) तक नियमित आधार पर, निरन्तर की जाती है।

डी० सी० मुखर्जी
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1975

सं० 565-सी० ए०-1/18-75—अपर उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) न निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (वाणिज्यिक) को लेखापरीक्षा अधिकारियों (वाणिज्यिक) के रूप में सहर्ष पदोन्नत किया है और उन्हें प्रत्येक

नाम के सामने कालम 3 में दिए गए कार्यालयों में लेखापरीक्षा अधिकारियों (वाणिज्यिक) के रूप में स्थानापन्न करने के लिए नीचे दिए गए कालम 4 में उल्लिखित तिथियों से अग्रता आदेश मिलने तक नियुक्त किया है।

अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक) का नाम	पदोन्नति से पूर्व जिस कार्यालय में कार्यरत थे	कार्यालय जिसमें पदोन्नति पर लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्ति की गई	लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) के रूप में स्थानापन्न करने की तिथि
1	2	3	4
सर्वे श्री			
1. एम० पेन्करम	महालेखाकार, केरल	महालेखाकार, केरल	25-3-75 (पूर्वाह्न)
2. एम० एल० पन्धोत्रा	महालेखाकार, पंजाब	महालेखाकार, पंजाब	14-3-75 (पूर्वाह्न)
3. टी० एल० गुप्ता	सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली।	महालेखाकार, बिहार II, पटना	7-4-75 (पूर्वाह्न)
4. आर० नटराजन	महालेखाकार, (तमिलनाडु) मद्रास	महालेखाकार, तमिलनाडु	17-3-75 (पूर्वाह्न)
5. बी० डी० गर्ग	महालेखाकार, मध्य प्रदेश	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, (कोयला) कलकत्ता	31-3-75 (पूर्वाह्न)
6. एस० बी० एस० अग्रवाल	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, कलकत्ता	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, कलकत्ता	4-4-75 (अपराह्न)
7. आर० पी० भाटिया	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली	महालेखाकार, बिहार II, पटना	7-4-75 (पूर्वाह्न)
8. के० जगन्मोहन आचार्य	महालेखाकार, आन्ध्रप्रदेश	महालेखाकार, कर्णाटक	31-3-75 (पूर्वाह्न)
9. जी० सी० पाण्डे	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, बम्बई के अश्वीन मुख्य लेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, भोपाल	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रांची	31-3-75 (पूर्वाह्न)
10. पी० सैम्बुल अरुलराज	महालेखाकार, तमिलनाडु	महालेखाकार, तमिलनाडु	17-3-75 (पूर्वाह्न)
11. ए० बी० एल० नारायण	महालेखाकार, आन्ध्रप्रदेश	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, बंगलौर	31-3-75 (पूर्वाह्न)

सुशील देव भट्टाचार्य,
उप निदेशक (वाणी०)

कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-प्रथम

इलाहाबाद, दिनांक 6 जून, 1975

सं० प्र०-1/II-144(IX)/70—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ने निम्नांकित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के प्रागे अंकित तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारी नियुक्त किया है।

सर्व श्री

1. राधेश्याम अग्रवाल	21-4-1975
2. ज्वाला प्रसाद अग्रवाल	12-5-1975
3. नाथू राम	9-5-1975
4. ओम प्रकाश नागवाल	29-5-1975
5. लाजपत राम गुप्ता	29-5-1975

यू० रामचन्द्र राव,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्र०)

कार्यालय महालेखाकार, असम, मेघालय, मिजोरम तथा
अरुणाचल प्रदेश

शिलांग, दिनांक जून, 1975

सं० एस्ट-3/जी० प्रो०/पी० सी०/1646-47—श्री चित-रंजन विश्वास, इस कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थाई सदस्य को जो उद्योग निदेशालय, नागालैण्ड सरकार में लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त हैं, महालेखाकार का कार्यालय में दिनांक 26-12-74 (पूर्वाह्न) से लेखाधिकारी के पद पर (वेतनक्रम रु० 840-40-1000-द० रो०-40-1200/-) प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विश्वास ने परवर्ती निम्न नियम के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति की संस्वीकृति के लिए जरूरी शर्तें परिपूर्ण की हैं।

[प्राधिकार—मि सं० एस्ट०-1/5-53/71-72, पृ० 17 एन में महालेखाकार का आदेश, दिनांक 28-5-75]

जे० कठपालिया,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्र०)

कार्यालय महालेखाकार, (द्वितीय) मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 3 जून, 1975

सं० प्र०-6/रा० अ०-मे० नि०/362—श्री सदाशिव विठ्ठल राव बक्सी, स्थानापन्न लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार

मध्य प्रदेश II, ग्वालियर, अधिवार्षिकी वय प्राप्त होने पर दिनांक 31 मई 1975 अपराह्न से शासकीय सेवाओं से सेवा निवृत्त हुए।

एम० एम० नरसिंहानी,
उप महालेखाकार, प्रशासन

“लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग” शीर्षक के अंतर्गत

श्रीनगर दिनांक

सं० महालेखाकार जम्मू व कश्मीर ने आगामी आदेश तक के लिए इस कार्यालय के अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य श्री बुर्गानाथ को 31 मई, 1975 के अपराह्न से लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

पी० के० बोस
वरिष्ठ उप महालेखाकार
प्रशासन तथा अधिकरण

कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० प्र०-17-14-72—अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा, के स्थाई सदस्य श्री हरचरन सिंह, अनुभाग अधिकारी को आगामी आदेश तक दिनांक 27 मई, 1975 पूर्वाह्न से स्थानापन्न तौर पर मण्डल लेखा परीक्षा कार्यालय, उत्तर रेलवे, बीकानेर में लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

के० एस० रंगामूर्ति,
मुख्य लेखा परीक्षक

नई दिल्ली-1, दिनांक जून, 1975

सं० प्र०-17-22/73—मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे ने सर्वश्री मुल्कराज हींगरा, अजायब सिंह ठाकुर, मुद्दणन चन्द्र, ओम प्रकाश बूटा और राधेश्याम शर्मा को लेखा परीक्षा अधिकारी के केंद्र में दिनांक 1 मार्च, 1975 से स्थाई रूप में नियुक्त किया है।

राम कृष्ण वर्मा,
उप मुख्य लेखा परीक्षक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

मुख्यलेखा-परीक्षक का कार्यालय
गुवाहाटी-11, दिनांक 4 जून, 1975

सं० ए० डी० एम० एन०/5-16/58/63/35—श्री पी० लाहिड़ों को जो 840-40-1000 द० री०-40-1200 द० के वेतनमान में स्थानापन्न लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, दिनांक 1-3-1975 से उसी वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त किया जाता है।

ए० पी० घोष,
मुख्य लेखा परीक्षक

मुख्य लेखा परीक्षक का कार्यालय, मध्य रेलवे

बम्बई, दिनांक 1975

श्री सी०जे० भगतानी, स्थाई अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) जो कि इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, को एतद्द्वारा 1-3-74 से लेखा परीक्षा अधिकारी के स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त किया जाता है।

पी० सी० कल्ला
मुख्य लेखा परीक्षक

कार्यालय निदेशक, रक्षा परीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली, दिनांक 1975

सं० ए० प्रशासन/130/75—निदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थाई सदस्य श्री सी० आर० गांगुली को निदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली में दिनांक 16-6-75 से स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में अगले आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर० भाष्यम्
लेखा परीक्षा अधिकारी
रक्षा सेवाएं

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 1975

सं० 40011 (2)/74-प्रशा०-ए० (1)—सिविल सेवा विनियमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459 (i) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से निवृत्ति का नोटिस दे दिए जाने पर श्री गुरुवक्स सिंह जोहर, स्थानापन्न लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० ओ० 366) रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून के संगठन में सेवारत को 25 जुलाई 1975 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित किया जाएगा।

श्री गुरुवक्स सिंह से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना सं० 40011 (2)/74 प्रशा०-ए०-दिनांक 25-3-75 की क्रम सं० 6 के सामने की प्रविष्टियां रद्द की जाती हैं।

2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा नियंत्रक पटना के संगठन के श्री बी०बी० गांगुली, स्थाई लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/574) के 6-4-1975 के हुए निधन को खेद के साथ अधिसूचित करते हैं।

तदनुसार श्री बी० बी० गांगुली को विभाग की नफरी से 7-4-1975 पूर्वाह्न से निकाला जाता है।

एस० के० सुन्दरम
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक (प्रशा०)

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां

महानिदेशालय आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-700069, दिनांक 29 मई 1975

सं० 1/75/एम०—राष्ट्रपति, डा० डी० पी० राय, स्थाई सहायक सर्जन ग्रेड-I, राष्ट्रफल फैक्टरी, ईशापुर को दिनांक 1-10-74 से एक वर्ष की सेवा, वृद्धि स्वीकृत करते हैं।

आर० एम० मजुमदार
महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 13 जून, 1975

सं० 21/75/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर, श्री जरनैल सिंह, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (स्थाई स्टोर-होल्डर) दिनांक 30 अप्रैल, 1975 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 22/75/जी०—राष्ट्रपति ने श्री एस० पी० चटर्जी स्थाई सहायक प्रबन्धक (इन्स्टीट्यूट आफ आर्मानिन्ट्स, रांची को परखावधि पर) का त्याग पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1972 से स्वीकार किया।

आर० सुन्दरम
सहायक महानिदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक मई 1975

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

स्थापना

सं० 6/278/54-प्रशा०(जी०)-I—श्री के० एस० नागर-कट्टी, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, पणजी (गोवा) को निवृत्ति पूर्व, 5-5-75 से 88 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है और उन्हें अपने अवकाश में 4 मई, 1975 को जो कि सरकारी छुट्टी है उसे पहले जोड़ने के लिए स्वीकृति दी गई है।

श्री नागरकट्टी सरकारी सेवा से 31-7-1975 (पूर्वाह्न) को निवृत्त होने वाले हैं।

दिनांक जून 1975

सं० 6/898/70-प्रशा० (राज०)-I-सेवा निवर्तन आयु प्राप्त होने पर, श्री जे० एम० सिन्हा ने 31 मई, 1975 के अपराह्न को इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार सौंप दिया।

सं० 6/895/70-प्रशा० (राज०)-I-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवरण अधिकारी वर्ग के स्थाई अधिकारी, श्री ए० एम० श्रीनिवासन ने सेवा निवर्तन आयु होने पर, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के निजी सचिव के पद का कार्यभार 31 मई, 1975 के अपराह्न को इस कार्यालय में सौंप दिया।

बलदेव कुमार
मुख्य नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक मई 1974

सं० 6/1060/74-प्रशा० (राज०)-I-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात इसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय दिल्ली में निरीक्षक श्री एम० आर० रत्ती को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में 9-5-75 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में नियंत्रक, आयात-निर्यात क्लास-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) नियुक्त करते हैं।

2. श्री एम० आर० रत्ती 650-30-740-35-810-द० अ०-35-880-40-1000-द० अ०-40-1200 रुपए के वेतनमान में नियमों के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

सं० 6/1035/74-प्रशा० (राज०)-I-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात इसके द्वारा कृषि तथा सिचाई मंत्रालय, विपणन तथा निरीक्षण (निदेशालय में सहायक विपणन अधिकारी, श्री आर० पी० धनुदियाल को उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय पणजी, गोवा में 5-5-75 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में नियंत्रक, आयात-निर्यात, क्लास-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) नियुक्त करते हैं।

श्री आर० पी० धनुदियाल 650-30-740-35-810-द० अ०-35-880-40-1000-द० अ०-40-1200 रुपए के वेतनमान में नियमों के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

ए० टी० मुखर्जी
उप-मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

वस्त्र आयुक्त कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 20 मई 1975

सं० सी० ई० आर०/6/75-सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से मैं एतद्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० टी० सी० (4)/58, दिनांक 7 मार्च, 1958 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूँ, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तंभ 2 और 3 में क्रम संख्या 20 के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

2	3
1. निदेशक, नागरिक संभरण, पणजी	गोवा, दमत और दीव का संघ शासित क्षेत्र
2. उप-निदेशक, नागरिक संभरण, पणजी	
3. निरीक्षक, नागरिक संभरण	
4. उप-निरीक्षक, नागरिक संभरण	
5. सहायक निरीक्षक, नागरिक संभरण	
6. नागरिक प्रशासक, दीव	
7. खंड विकास अधिकारी, दमण	

दिनांक 4 जून 1975

सं० सी० ई० आर०/3/75-सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० आर०/3/69, दिनांक 19 सितम्बर, 1969 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूँ, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

पैराग्राफ तीन के खंड (2) के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2) “संमिश्र वस्त्र” ये शब्द उस वस्त्र पर जो अंशतः रूई से और अंशतः कृत्रिम रेशम से (आर्ट सिल्क) या अंशतः रूई से और अंशतः ऊन से निर्मित हो और जिसमें रूई की मात्रा, वजन के आधार पर, 40% से अधिक लेकिन 75% से कम हो।

परन्तु यह कि विनिर्माता “संमिश्र वस्त्र” इन शब्दों के पहले प्रति भेद का प्रचलित नाम जिससे वह वस्त्र सामान्यतः जाना जाता है और वस्त्र में इस्तेमाल किए गए विभिन्न प्रकार के सूतों की वास्तविक प्रतिशत मात्रा की मोहर लगाएगा, उदाहरणार्थ:—

‘घोती-60% रूई 40% आर्ट सिल्क (पोलिएस्टर)-संमिश्र वस्त्र’

टिप्पणी:—“उपर्युक्त उदाहरण केवल निर्देशन के लिए है। मोहर लगाते समय विनिर्माता रूई के अंश या आर्ट सिल्क या ऊन के अंश की वास्तविक प्रतिशत मात्रा की मोहर लगाएगा जो संमिश्र वस्त्र के ताने और बाने दोनों में इस्तेमाल की गई संपूर्ण सूत की मात्रा के प्रतिशत के रूप में होगी। ऐसी दशा में जहां कि आर्ट सिल्क का सूत संमिश्र वस्त्र के एक संघटक के रूप में इस्तेमाल किया गया हो तो उसका प्रजाति नाम “आर्ट सिल्क” इन शब्दों के तुरन्त बाद ही कोष्ठक में छाया जाएगा, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में बतलाया गया है।”

गौरी शंकर भार्गव
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

बम्बई-20, दिनांक 23 जून 1975

सं० ई० एस० टी०-1-2(415)—सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर वस्त्र आयुक्त के कानपुर स्थित प्रादेशिक कार्यालय के उप-निदेशक (पी० ग्रीर डी०) श्री नरेणचन्द्र बन्धोपाध्याय 30-4-1975 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

राजेन्द्र पाल कपूर
वस्त्र आयुक्त

पटसन आयुक्त का कार्यालय

दिनांक 21 मई 1975

सं० जूट (ए)/490/65—पटसन आयुक्त इस कार्यालय के स्थानापन्न लागत लेखाकार (श्रेणी-II राजपत्रित) श्री एस० बनर्जी को दिनांक 24 जून, 1975 (अपराह्न) में, बम्बई स्थित भारत सरकार के टकसाल में सहायक लागत लेखाधिकारी का पद-भार संभालने के लिए इस कार्यालय के कार्यभार से निर्मुक्त करते हैं।

एन० के० राय
प्रशासनाधिकारी
कृते पटसन आयुक्त

उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मन्त्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 1975

सं० 12/678/71-प्रशासन (राज०)—पदावनत होने पर श्री गुलफाम दास साहनी ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद का कार्यभार दिनांक 1 फरवरी 1975 के पूर्वाह्न में छोड़ा।

सं० 12/700/71-प्रशासन (राज०)—विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली, लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में स्थायी अधीक्षक श्री के० ए० चन्द्रन को, लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में, सहायक निदेशक (वर्ग-2) सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री के० ए० चन्द्रन ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद का कार्यभार दिनांक 10 अप्रैल, 1975 के पूर्वाह्न में संभाला।

दिनांक 3 जून 1975

सं० 12/632/69-प्रशासन (राजपत्रित)—ग्राई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत मौरीशस सरकार में प्रतिनिधित्व के प्रत्यावर्तन के पश्चात् श्री ओ० सी० रिचर्ड्स ने विकास आयुक्त लघु उद्योग, नई दिल्ली के कार्यालय में, 12 मई 1975 की पूर्वाह्न को सहायक निदेशक (ग्रेड-II) सिविल इंजीनियरी के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 24 जून 1975

सं० ए० 19018/178/75-प्रशा० (राज०)—विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर के अधीक्षक श्री शिव दयाल को, अवकाश की स्वीकृति पाने वाले श्री पी० के० गुहा, के स्थान पर, दिनांक 5 मई, 1975 से 21 जून, 1975 तक के लिए, तदर्थ आधार पर, उसी संस्थान में, सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० बी० नारायणन
निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली-1, दिनांक मई 1975

सं० प्र०-1/1 (1024)—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशक, कानपुर के कार्यालय में अवरक्षेत्राधिकारी श्री जे० के० एस० पायल को 29 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी निदेशालय कानपुर में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री जे० के० एस० पायल की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तथा श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के अधीन होगी।

सं० प्र०-1/1 (853)—उप निदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला के पद पर नियुक्ति के लिए चुने जाने पर भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-IV के अधिकारी श्री टी० सिंह ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक 30 अप्रैल, 1975 के अपराह्न से सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (ग्रेड-I) का पदभार छोड़ दिया।

दिनांक 29 मई 1975

सं० प्र०-1/1 (1025)—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान एतद्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में अवरक्षेत्र अधिकारी श्री राजपाल चौपड़ा को दिनांक 15 मई, 1975 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री चौपड़ा की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के रूप में नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर तथा श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के अधीन होगी।

दिनांक जून 1975

सं० प्र०-1/1 (952)—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्वारा निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में प्रधान लिपिक श्री बी० पद्मन को दिनांक 21 मई, 1975 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान निदेशक, बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार

पर नियुक्त करते हैं। श्री पद्मन की यह नियुक्ति श्री सी० एल० चावला सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड-I) जो अक्काश पर चले गए हैं के स्थान पर आगामी आदेशों के जारी होने तक की गयी है।

सं० प्र-I/1(843)—राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड-III) श्री एस. के० गर्ग का सेवा से त्यागपत्र एक अप्रैल, 1975 से स्वीकार करते हैं।

सं० प्र-I/1(920)—श्री राधाचरण ने भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए चुने जाने पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक 3 मार्च, 1975 के अपराह्न से सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड-III) का पदभार छोड़ दिया।

के० एल० कोहली
उपनिदेशक (प्रशासन)

सं० प्र-6/74(4)/58-XV—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कंध के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से निरीक्षण निदेशक के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद	पद जिस पर स्थायी हुए	स्थायी होने की तारीख	अभ्युक्तिता
	सर्वश्री				
1.	एस० एन० बोहरा	स्थानापन्न निदेशक	निरीक्षण निदेशक भारतीय निरीक्षण सेवा श्रेणी-II के ग्रेड-I	4-5-72	श्री पी० जी० वी० राव के स्थान पर जो 3-5-72 (अपराह्न) से सेवा मुक्त हुए।
2.	पी० के० चक्रवर्ती	स्थानापन्न निदेशक	निरीक्षण (सेवा मुक्त)	—वही—	27-8-72 श्री हरनाम सिंह के स्थान पर जिसका 26-8-72 को निधन हो गया।

के० एल० कोहली
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मन्त्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खनि विभाग

नागपुर, दिनांक 24 मई 1975

सं० ए० 19012 (67)/74-सिब्वन्दी ए०—अधिसूचना सं० ए० 19012 (67)/74-सिब्वन्दी ए० दिनांक 22 नवम्बर, 1974 की अनुवृत्ति में श्री प्रेम, श्रीवास्तव, अर्थ-स्थायी प्रवर तकनीकी सहायक (भूविज्ञान) को दिनांक 31-3-1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक इस विभाग में स्थायी आधार पर सहायक खनन भूविज्ञानिक के पद पर स्थानापन्न रूप में पदोन्नति दी जाती है।

डी० एन० भागव,
नियन्त्रक

प्रशासन शाखा-6

नई दिल्ली, दिनांक मई 1975

सं० प्र-6/247(242)/59—स्थायी सहायक निदेशक, निरीक्षण (इंजी०) और पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय के अधीन कलकत्ता निरीक्षण मंडल में भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-I के ग्रेड-I में स्थानापन्न निरीक्षण निदेशक श्री के० के० दास दिनांक 30-4-75 के अपराह्न से निवृत्त आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० प्र-6/247(454)/63—राष्ट्रपति, सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) श्री जी० बी० प्रमाणिक को दिनांक 22-4-75 से आगामी आदेशों के जारी होने तक भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-I के ग्रेड-III की वस्त्र शाखा में नियुक्त करते हैं।

श्री प्रमाणिक ने दिनांक 11-4-75 के अपराह्न से मद्रास निरीक्षण मंडल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) का पदभार छोड़ दिया तथा 22-4-75 के पूर्वाह्न से बम्बई निरीक्षण मंडल, बम्बई में निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) का पदभार सम्भाल लिया

नागपुर, दिनांक मई 1975

सं० ए० 19012 (43)/71-सिब्वन्दी अ—श्री डी० एन० घारे, स्थानापन्न उप पुस्तकाध्यक्ष को दिनांक 1 मई, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खनि विभाग में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 7 जून 1975

सं० ए० 19011 (66)/70-स्था० ए०—राष्ट्रपति भारतीय खनि विभाग के सहायक धातुक प्रसाधन अधिकारी श्री पी० वी० बाबू को 24 मई, 1975 के पूर्वाह्न से उसी विभाग में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में उप-धातुक प्रसाधन अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी यह नियुक्ति 6 मास या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नामित व्यक्ति के उस पद पर आने तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

सं० ए० 19012(71)/75-स्था० ए०—श्री एच० एस० कृष्णास्वामी, स्थायी प्रवर तकनीकी सहायक (खनन) को दिनांक 29-5-75 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खनि विभाग में तदर्थ आधार पर सहायक खनन इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 18 जून 1975

सं० ए० 19012 (69)/75-स्था० ए०—श्री पी० श्रीनिवासुलु, स्थायी प्रवर तकनीकी सहायक (खनन) को 31-5-75 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खनि विभाग में सहायक खनन इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 19011 (33)/70-स्था० ए०—भारतीय खनि विभाग के स्थायी उप-खनिज अर्थशास्त्र तथा स्थानापन्न खनिज अर्थशास्त्री श्री आर० के० सिन्हा ने माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रां० इण्डिया लि० में प्रमुख प्रबन्धक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर दिनांक 19 जून, 1975 के अपराह्न से इस विभाग में खनिज अर्थशास्त्री के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ए० के० राघवाचारी
प्रवर प्रशासन अधिकारी
कृते नियुक्त

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-13, दिनांक 1975

सं० 2222 (पी० के०)/19ए०—श्री पी० कुमारगुरु को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 रु० मासिक के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान पर अस्थायी क्षमता में, आगे आदेश होने तक, 4-4-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

सं० 2222(के०एस०)/19 ए० श्री कुमुद शर्मा को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 रु० मासिक के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान पर अस्थायी क्षमता में, आगे आदेश होने तक, 11-3-1975 के अपराह्न से नियुक्त किया जाता है।

सं० 2586 (बी० पी० जी० आर०)/19ए०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशासनिक अधिकारी श्री बी० पी० गुहाराय की मृत्यु 18 अप्रैल, 1975 को हुई।

सं० 2222(एस०सी०एम०)/19ए०—श्री सुरेश चन्द्र महरोत्रा को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-

35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में आगे आदेश होने तक 26-2-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया है।

सी० कृष्णाकरन
महानिदेशक

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय संग्रहालय

कलकत्ता 13, दिनांक 17 मई 1975

सं० 4-107/75-स्थापना—निदेशक, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, इस सर्वेक्षण के अंशमान एवं निकोबार कार्यालय, पोर्ट बलेयर में श्री सुजीत सोम को 8 मई, 1975 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहायक कीपर के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त करते हैं।

सी० टी० थोमस
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 2 जून 1975

सं० गो० 4966/718-ए०—श्री एच० डी० चक्रवर्ती, स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद, जोकि 700-30-760-35-900 रु० के वेतन मान में है, को इसी संस्थान में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० के० से० श्रेणी-II) के पद पर 840 रु० प्रति माह वेतन पर 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतन मान में दिनांक 25 अप्रैल, 1975 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश दिए जाने तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० गो० 4967/718-ए०—महासर्वेक्षक कार्यालय के निम्नलिखित स्थानापन्न अधीक्षकों, को स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० के० से० श्रेणी-II) के पद पर 840 रु० प्रतिमाह वेतन पर 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, उनके सामने दी गई तारीख से अगले आदेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	तारीख	कार्यालय जिसमें नियुक्ति की गयी है
1.	श्री जगत सिंह	26-4-75 (पूर्वाह्न)	उत्तर पूर्वी सिकिल शिलांग
2.	श्री बी० एन० नैथानी	29-4-75 (पूर्वाह्न)	पूर्वी सिकिल, कलकत्ता
			हरी नारायण महा सर्वेक्षक नियुक्ति प्राधिकारी

प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद, दिनांक 20 जून 1975

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक पी० डी० 7/1438 दिनांक 15-5-75 के अग्रे श्री पीटर जाय फोरमेन को 18-6-75 से 9-7-75 की और अवधि के लिए प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में रु० 840-40-1000 ई०वी०-40-1200 के वेतन मान में सहायक कार्य प्रबन्धक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है चूंकि श्री एम० पदमनाभन् सहायक कार्य प्रबन्धक छुट्टी पर हैं ।

श० रा० पाठक,
महाप्रबन्धक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1975

सं० 4(22)/75-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री दीवान वीरेन्द्र मोहन ओसवाल को 14 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, श्रीनगर में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक जून 1975

सं० 4(51)/75-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री देवकुमार नाथ को 9 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, गौहाटी में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 4(52)/75-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री अविनाश सारमण्डल को 12 मई, 1975 के अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, रामपुर में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 11/7/68-एस-एक—श्री जे० के० दोषी की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष प्रयोग केन्द्र में दो वर्ष की अवधि के लिए इतर सेवा के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 2 अप्रैल, 1975 (अपराह्न) को आकाशवाणी, जयपुर में श्रोतृगण अनुसंधान अधिकारी पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 16 जून 1975

सं० 5(23)/67-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री ए० के० बसु मलिक, प्रसारण निष्पादक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, कलकत्ता को 3 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, जालन्धर में अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 18 जून 1975

सं० 4(118)/75-एस एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद् द्वारा श्री एस० एम० शमीम अहमद को 29 मई, 1975 पर, अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, पुना में, अस्थायी आधार कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 18 जून 1975

सं० 5(101)/67-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री बी० एच० भामरे प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, अहमदाबाद को 28 मई, 1975 के अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, सांगली में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 5(121)/60-एस० एक—श्री टी०एच० राव, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, मद्रास का दिनांक 2 जून, 1975 को देहावसान हो गया ।

सं० 4(33)/75-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती सन्तोष रजनीश को 20 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, जयपुर में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 4(83)/75-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती माया इसरानी को 17 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी जयपुर में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 4(93)/75-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री पी० टी० मारवेई को 27 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, शिलांग में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

शान्ति लाल,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 1975

सं० 2(4)/74 एस०-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्द्वारा निम्नलिखित चरिष्ठ इंजीनियरी सहायकों को उनके नामों के अग्रे लिखी तारीखों से अग्रेतर आदेशों तक उनमें से प्रत्येक के नाम के अग्रे उल्लिखित केन्द्र/कार्यालय में सहायक इंजीनियर के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री एन० सी० जैन, उ० श० प्रे० खामपुर, दिल्ली ।	आकाशवाणी, शिलांग	1-4-75
2.	श्री त्रिलोचन सिंह कुमार, उ० श० प्रे० किस्सवे, दिल्ली ।	आकाशवाणी, नई दिल्ली ।	2-4-75

क्र०सं०	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तारीख
3.	श्री वी० बी० माथुर, कार्यालय, क्षेत्रीय इंजी- नियर (उत्तर) आकाश- वाणी, नई दिल्ली।	उ० श० प्रे० आकाशवाणी, खामपुर। 7-4-75
4.	श्री एम० सेल्वाराज, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम।	आकाशवाणी, अप्रतला 11-4-75
5.	श्री के० एम० जार्ज कुट्टी, आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम।	आकाशवाणी, सिलचर। 29-4-75

प्रेम कुमार सिन्हा,
प्रशासन उपनिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक मई 1975

सं० 3/105/60-एस-दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री जी० के० मोहन्ती, लेखाकार व मुख्य लिपिक, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी, कटक को, श्री आर० लोकनन्दन, प्रशासनिक अधिकारी, जो छुट्टी पर है के स्थान पर, दिनांक 20-5-75 (अपराह्न) से आकाशवाणी, इम्फाल में, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

इन्द्र सैन पाँधी,
अनुभाग अधिकारी,
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक मई 1975

सं० ए०-12026/7/73-प्रशासन-1—निदेशक, प्रकाशन विभाग, श्री सी० बी० गुप्ता, व्यापार कार्यकारी को सहायक व्यापार व्यवस्थापक के पद पर 15 मई, 1975 के पूर्वाह्न से श्री नगेन्द्र मिश्रा, सहायक व्यापार व्यवस्थापक, जो व्यापार व्यवस्थापक नियुक्त हुए हैं, के स्थान पर नियुक्त करते हैं।

मदन लाल टंडन,
उप-निदेशक (प्रशासन)

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 20 जून 1975

सं० ए-19012/5/74-सिवन्दी-I—फिल्म प्रभाग के प्रमुख निर्माता ने श्री व्ही० व्ही० जोगलेकर, स्थाई शाखा प्रबन्ध के स्थानांतर के कारण श्री ए० के० नारंग को फिल्म प्रभाग बम्बई विभाग में दिनांक 17 जून, 1975 के अपराह्न से शाखा प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया।

एम० के० जैन,
सहायक प्रशासकीय अधिकारी,
कृते प्रमुख निर्माता

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1975

सं० 11-3/74-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री एच० एस० डकालिया को 2 जून 1975 के पूर्वाह्न से 17 जुलाई 1975 तक 46 दिनों की अवधि के लिए श्री के० वेणुगोपाल के छुट्टी पर चले जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने श्री एच० एस० डकालिया को इस निदेशालय में उपर्युक्त अवधि के लिए उपनिदेशक (प्रशासन) के पद पर भी नियुक्त किया है।

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1975

सं० 13-1/75-हिन्दी—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने निम्न-लिखित को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से तथा आगामी आदेशों तक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में दन्त-चिकित्सक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है :—

1. डा० श्याम लाल 28-5-75 (पूर्वाह्न)
 2. डा० (श्रीमती) रमा भाटिया 26-5-75 (पूर्वाह्न)
- सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० 48-19/73-सी०एच०एस०-1—जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, में संघ लोक सेवा आयोग के नामित द्वारा कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (रेडियम विज्ञान) के पद का कार्यभार सम्भाल लेने के परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर नियुक्त डा० बी० के० हरि ने 26 फरवरी, 1975 के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 48-42/73-सी० एच० एस०-1— जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, में संघ लोक सेवा आयोग के नामित द्वारा कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बाल रोग) के पद का कार्यभार संभाल लेने के परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर नियुक्त डा० एम० बी० रघु ने 17 फरवरी, 1975 के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

रवीन्द्र नाथ तिवारी,
उप-निदेशक प्रशासन

दिल्ली दुग्ध योजना

नई दिल्ली 8, दिनांक 24 मई 1975

सं० 2-20/59-स्था०-1(विशेष)—दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष ने—श्री धर्मचन्द बिदानी, सहायक-प्रशासन अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना को, 30 अप्रैल, 1975 (अपराह्न) से छः

माह से अतिरिक्त अवधि के लिए प्रशासन अधिकारी (राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी), वेतनमान में 840-40-1000-द०रो०-40-1200, के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर है।

डी० बी० एलावादी,
कार्मिक अधिकारी

भारतीय डाक-तार विभाग
टेलीफोन

मद्रास, दिनांक 18 जून, 1975

सं० ए०एस०टी०/ए०ओ०/vi/88—मद्रास टेलीफोन जिले के महाप्रबन्धक द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापालों को मद्रास टेलीफोन जिले में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक के सामने सूचित कालावधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए गए वरिष्ठ लेखापालों के नाम	से	तक
1.	श्री ए० गुस्मूर्ति	19-8-74 (पूर्वाह्न)	31-3-75 (अपरराह्न)
2.	श्री आर० राजगोपालन	19-8-74 (पूर्वाह्न)	9-1-75 (पूर्वाह्न)
3.	श्री आर० राजगोपालन	18-1-75 (अपरराह्न)	28-1-75 (पूर्वाह्न)
4.	श्री आर० राजगोपालन	23-4-75 (पूर्वाह्न)	11-6-75 (पूर्वाह्न)
5.	श्री एम० बालसुब्रमण्यन	30-4-75 (अपरराह्न)	—

सं० ए०एस०टी०/ए०ई०-5/X/104—निम्नलिखित इंजीनियरी पर्यवेक्षक जो टी० ई० एस० क्लास II के पद पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त थे, प्रत्येक के सामने सूचित तारीख से अपने मूल संवर्ग में पदावनति किए जाते हैं।

क्रम संख्या	इंजीनियरी पर्यवेक्षक का नाम (स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानापन्न सहायक इंजीनियर)	मूलसंवर्ग में पदावनति की तारीख
1.	श्री जै० सन्तानम	14-11-74 (पूर्वाह्न)
2.	श्री के० बी० कुंजिरामन	30-11-74 (अपरराह्न)

ए०एस०टी०/ए०ई०-5/X/105-मद्रास टेलीफोन जिले के महाप्रबन्धक द्वारा निम्नलिखित इंजीनियरी पर्यवेक्षकों को मद्रास टेलीफोन जिले में स्थानापन्न सहायक इंजीनियरों के पद

पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक के सामने सूचित कालावधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं०	नाम	मूल संवर्ग	तिथि
1.	श्री के० बी० कृष्णामूर्ति	एस० जी० इंजीनियरी पर्यवेक्षक	6-1-75 के पूर्वाह्न से 24-2-75 के पूर्वाह्न तक
2.	श्री के० बी० कृष्णामूर्ति	„	26-2-75 के पूर्वाह्न से 16-4-75 के पूर्वाह्न तक
3.	श्री पी० बी० सीतारामन	„	3-3-75 के पूर्वाह्न से 9-5-75 के अपराह्न तक
4.	श्री बी० राजगोपाल नाइडु	„	22-3-75 के पूर्वाह्न से 10-5-75 के अपराह्न तक
5.	श्री एन० सुब्बारामन	„	1-4-75 के पूर्वाह्न से
6.	श्री टी० आर० रामानुजम	„	7-4-75 के पूर्वाह्न से 24-5-75 के अपराह्न तक
7.	श्री के० बी० कृष्णामूर्ति	„	21-4-75 के पूर्वाह्न से 19-5-75 के अपराह्न तक
8.	श्री टी० जे० ई० पाल	„	5-5-75 के पूर्वाह्न से
9.	श्री पी० बी० वरदराजन	„	5-5-75 के पूर्वाह्न से
10.	बी० राजगोपाल नाइडु	„	12-5-75 के पूर्वाह्न से
11.	पी० बी० सीतारामन	„	12-5-75 के पूर्वाह्न से
12.	श्री सी० बी० उट्टराजन	„	12-5-75 के पूर्वाह्न से
13.	श्री टी० एस० नागनाथन	„	12-5-75 के पूर्वाह्न से

के० बी० नुगुदास,
सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
(प्रधान कार्यालय)

फरीदाबाद, दिनांक मई, 1975

सं० फाइल 4-13(9)/74-प्रशा-I—इस निदेशालय के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री आइ० एं० सिद्दिकी को, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त खाद्य विभाग में उपनिदेशक के पद पर हैं, दिनांक 11 अप्रैल, 1975 के अपराह्न से उनके कार्यभार से मुक्त किया गया है, 3 दिन का अवकाश दिनांक 12 अप्रैल, 1975 से 14 अप्रैल, 1975 तक समाप्त होने पर उनका इस निदेशालय में अपने पद से त्यागपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1975 के अपराह्न से माना जायगा।

एन० के० मुरलीधर राव,
भारत सरकार के कृषि विपणन,
सलाहकार

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली दिनांक 30 मई, 1975

सं० मि० सं० 5(2)/71-सिब्बन्दी (प्रथम)—श्री एस० के० एस० धारीवाल, सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (प्रथम ग्रेड) के छुट्टी चले जाने पर श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रदर्शनी अधिकारी द्वितीय ग्रेड को विस्तार निदेशालय, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 रुपये के वेतनमान में 2 जून, 1975 से 5 जुलाई, 1975 तक सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (प्रथम ग्रेड) द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) पद पर स्थानापन्न तदर्थरूप से पदोन्नत किया जाता है।

पी० के० मुखर्जी,
प्रशासन निदेशक

कृषि विभाग

नई दिल्ली दिनांक 13 जून, 1975

सं० मि० सं० 2(7)/70-सिब्बन्दी (प्रथम)—श्री हरि शंकर गौतम, विस्तार निदेशालय, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, (कृषि विभाग) में 700-30-760-35-900 के वेतनमान में दिनांक 31 मई, 1975 से आगे अधीक्षक (प्रथम ग्रेड) श्रेणी द्वितीय (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय) के पद पर स्थानापन्न तदर्थ रूप में आगे के आदेश तक कार्य करते रहेंगे।

प्र० कु० मुखर्जी,
प्रशासन निदेशक

(खाद्य विभाग)

कानपुर, दिनांक जनवरी, 1975

सं० प्रशा सं० 19(6)—श्री उसमान अहमद, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक की कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (एस० टी०) के पद पर

तदर्थ आधार पर दिनांक 1-1-1975 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है।

एन० एस० रमय्या,
निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 9 जून, 1975

सं० पी० एं०/81(26)/75-आर-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री श्रीनिवास बलवंतराव नादगीर को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० एं०/81(26)/75-आर-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई कार्यप्रभारित और स्थानापन्न फोरमैन श्री दया राम कनवर्मल हरदासानी को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

दिनांक 10 जून 1975

सं० पी० एं०/81(56)/75-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री अविनाश केशव खरे को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० एं०/81(60)/75-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री चिदंबरम सुब्रमणियन को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० एं०/81(31)/75-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई फोरमैन श्री संपिल विट्टल शेट्टी को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० एं०/81(60)/75-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी०) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री मन्सुख

धरशी वीरा को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

पी० उन्नीकुण्डन
उप-स्थापना अधिकारी (भ)

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

बम्बई-400005, दिनांक 23 मई 1975

सं० पी० पी० ई० डी०/3(236)/75-प्रशासन-5339/606—निदेशक, विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, बम्बई, इस प्रभाग के अस्थायी विज्ञान-सहायक 'बी' श्री एस० एम० लाम्बा को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए उसी प्रभाग में अस्थायी रूप से विज्ञान-अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

एम० एस० राव
प्रशासन-अधिकारी
कृते निदेशक

बम्बई-5, दिनांक 26 मई 1975

सं० एन० ए० पी० पी०/2(II)/75-प्रशासन/ 596—अस्थायी विज्ञान-अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० बी० (सिविल) श्री जी० राजकुमार ने, उनका अन्तरण भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के हैदराबाद-स्थित यूनिट से नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना में होने पर, सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के हैदराबाद यूनिट में 31 दिसम्बर, 1974 के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना में उसी ग्रेड में एक पद का कार्यभार 8 जनवरी, 1975 के पूर्वाह्न से सम्भाल लिया।

2. श्री जी० राजकुमार आगामी आदेश होने तक नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना में एस० बी० ग्रेड में अपने पद का कार्यभार सम्भाले रखेंगे।

आर० जे० भाटिया
जनरल प्रशासन-अधिकारी

बम्बई-400039, दिनांक 26 मई 1975

सं० 6(450)/70-प्रशासन / 586—श्री ए० रंगाचारी, जो इस विभाग में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त थे, की सेवाएं 22 मई, 1975 के पूर्वाह्न से भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग को वापिस सौंप दी गई हैं।

एस० के० चौधरी
प्रवर सचिव

3—159 GI/75

क्रय एवम् भंडार निदेशालय
मद्रास क्षेत्रीय क्रय यूनिट

मद्रास-600006, दिनांक 13 मई 1975

सं० एम० आर० पी० यू०/200(9)/75-प्रशासन/473—क्रय तथा भंडार निदेशालय के निदेशक, निदेशालय के स्थानापन्न क्रय सहायक श्री एन० राजगोपालन को 7 मई, 1975 के पूर्वाह्न से 21 जून, 1975 तक के लिए क्रय तथा भंडार निदेशालय के मद्रास क्षेत्र के क्रय यूनिट में स्थानापन्न रूप से सहायक क्रय अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० रंगाचारी
क्रय अधिकारी

राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना

अनुशक्ति-323303, दिनांक 19 जून 1975

सं० रापविप/00101/75/प्रशासन/स्थ०/224—राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के मुख्य परियोजना अभियंता श्री एस० सी० चिटले, अर्धस्थायी वैज्ञानिक सहायक (सी) को उसी परियोजना में स्थानापन्न रूप से अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियर ग्रेड-एस० बी० के पद पर दिनांक 1 मई, 1975 से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

गोपाल सिंह
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1975

सं० ए०-38013/1/75-ई० सी०—संचार नियंत्रक, वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय के श्री एस० बी० राघवन, संचार अधिकारी ने निवर्तन आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर 31 जनवरी, 1975 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दिनांक 28 मई, 1975

सं० ए०-32012/3/71-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन निम्नलिखित अधीक्षकों (अराजपत्रित) को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से और स्टेशन पर तदर्थ आधार पर सहायक सम्पदा प्रबंधक (राजपत्रित श्रेणी-II) नियुक्त करते हैं। उनकी सेवाएं उन्हीं हवाई अड्डों पर उन्हीं तारीखों (अपराह्न) से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकरण को दे दी गई हैं:—

क्रम संख्या	नाम	तैनाती स्टेशन	सहायक सम्पदा प्रबंधक के पद का भार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री ज्ञान चन्द	विमानक्षेत्र कार्यालय, पालम	1-4-72 (पूर्वाह्न)
2.	श्री के० सी० जीहर	विमानक्षेत्र कार्यालय, मद्रास	3-6-72 (पूर्वाह्न)
3.	श्री आर० मित्रा	विमानक्षेत्र कार्यालय, कलकत्ता	20-7-72 (पूर्वाह्न)

(एतद्द्वारा इस विभाग की 11-8-72 की अधिसूचना सं० ए० 32012/3/71-ई० एस० रद्द की जाती है।)

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक जून 1975

दिनांक मई 1975

सं० ए०-32013/1/74-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री पी० सी० के० नायर, संचार सहायक को श्री एच० एस० भारद्वाज, सहायक संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली की छुट्टी रिक्ति में 7 मई, 1975 (पूर्वाह्न) से वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर सहायक संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ई० (1) 03882-वेद्यशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली के स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, श्री एन० एम० मसन्द का 3 अप्रैल, 1975 को देहावसान हो गया।

नतन दास,
मौसम विशेषज्ञ
कृते वेद्यशालाओं के महानिदेशक

दिनांक 1 जून 1975

सं० ए०-38013/1/75-ई० सी०—श्री एम० सुब्रमण्यम, संचार अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्र, मद्रास ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 31 मई, 1975 (अपराह्न) से अपने पद का कार्य-भार त्याग दिया है।

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 17 जून 1975

सं० 1/330/75-स्था०—श्री डी० एस० पैण्डसे, स्थायी सहायक पर्यवेक्षक, मुख्यालय, बम्बई को 21 मई, 1975 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक बम्बई शाखा में स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

पु० ग० दामले,
महानिदेशक

दिनांक 13 जून 1975

सं० ए०-32014/3/75-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री टी० वी० गोपालकृष्णन, तकनीकी सहायक को श्री एम० एस० अबैकलम, सहायक तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता की छुट्टी रिक्ति में वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता में 21 मई, 1975 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

हरबंस लाल कोहली,
उप-निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहृतलय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 1975

स्थानान्तरण आदेश सं० 108/75—इस समाहर्ता कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक श्री के० एस० त्यागी को, उस तारीख से जिसको वे नए पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं, अगले आदेश होने तक, 650-30-740-35-810-द०-रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में, प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के रूप में स्थानापन्न तौर से काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रशासन अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर, श्री के० एस० त्यागी को पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली में, वहां से स्थानान्तरित श्री एस० पी० कश्यप के स्थान पर तैनात किया जाता है।

एम० एस० मेहता
समाहर्ता

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 1975

सं० ए०-31013/2/73-ई० ए०—राष्ट्रपति ने, श्री हरबंस सिंह को 15 मई, 1974 से नागर विमानन विभाग में सहायक विद्युत् और यांत्रिकी अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया है।

एम० एल० हाण्डा
सहायक निदेशक (प्रशासन)

बंगलौर, दिनांक जुलाई 1975

सं० 7/75—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निम्नलिखित स्थाई निरीक्षकों (प्र० ग्रे०) को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के समय-मान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थानापन्न अधीक्षक,

श्रेणी-II के पद पर पदोन्नत किया गया है और उनके नामों के सामने दर्शाये गये कार्यालयों में तैनात किया गया है :—

अधिकारी का नाम	कार्यालय, जिसमें तैनात किया गया है	कार्यभार संभालने की तारीख
1. श्री बी० टी० पाटिल	एम० ओ० आर० हुमकेरी, हुबली प्रभाग	28-4-1975
2. श्री डी० जी० कुलकर्णी	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, प्रभागीय कार्यालय, मंगलौर	28-4-1975
3. श्री आई एम० माली	निवारक हसन मंगलौर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभाग	1-5-1975

ई० आर० श्रीकण्ठैया
समाहर्ता

पटना, दिनांक 21 जून, 1975

सं० मि० 11(7) 5-स्था०/75/6447 :—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), नई दिल्ली के आदेश सं० 54/75-देखें मि० सं० ए० 22012/5/75 प्रशा०-II (सं-11) दिनांक 9-4-1975 के अनुसरण में श्री सी० डी० साहू ने जो हाल ही में अधीक्षक प्रथम श्रेणी, सीमा शुल्क नगर निवारण, मुजफ्फरपुर के रूप में पदास्थापित थे, दिनांक 17 मई, 1975 के पूर्वार्द्ध में सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद, मुख्यालय, पटना का कार्यभार ग्रहण किया।

ह० न० साहू
समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद, पटना

गुट्टुर-4, दिनांक 23 अप्रैल 1975

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं० 2 --राजमुंद्री आई० डी० ओ० आन्ध्र कागज मिल राजमुंद्री के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के श्रेणी-II के स्थायी अधीक्षक श्री वी० कामराजु दिनांक 5 मार्च, 1975 से 30 जून, 1975 तक अर्थात् 118 दिन की सेवा निवृत्ति से पूर्व की अर्जित छुट्टी पर चले गए हैं। वे दिनांक 30 जून, 1975 के अपराह्न से वार्धक्य अवस्था को प्राप्त होंगे।

एस० के० श्रीवास्तव
समाहर्ता

नारकोटिक्स विभाग

दिनांक जुलाई 1975

क्रम सं० 14—श्री एच० सी० कपूर, जो इस समय प्रशासन अधिकारी के पद पर नारकोटिक्स प्रायुक्त के कार्यालय, भ्वालियर में नियुक्त हैं, को 1 जून, 1975 से सं० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-व० रो०-40-1200 के वर्तमान वेतनमान में सं० 810 के चरण पर दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी जाती है।

अभिलाष शंकर
भारत का नारकोटिक्स प्रायुक्त

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

(निर्माण और आवास मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1975

सं० ए०-12034/6/75-प्रशा०—श्री जगदीश चन्द्र पसारिजा को राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में 7 जून, 1975 के पूर्वार्द्ध से अगला आदेश जारी होने तक नितान्त अस्थायी तौर पर परियोजना अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

रविन्द्र सिंह
निदेशक

प्रमुख इंजीनियर कार्यालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० 33/9/73-प्रशा०-4--केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर, सर्वश्री ए० के० गुप्त और आर० एच० खोबरागड़े को 650-30-740-35-810-दक्षता-रोक-35-880-40-1000-दक्षता-रोक-40-1200 रुपये वेतनमान में सामान्य भत्तों सहित उनके नाम के आगे दो हुई लिथि से अस्थायी सहायक वास्तुक नियुक्त करते हैं। श्री खोबरागड़े का वेतन उपर्युक्त वेतनमान में नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा और श्री गुप्त का 650 रुपये प्रतिमास नियत होगा।

2. प्रमुख इंजीनियर उपर्युक्त सहायक वास्तुकों को उनके नाम के आगे दिये हुए कार्यालय में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यालय जहाँ नियुक्त हुए
1	2	3	4
1.	श्री ए० के० गुप्त	7-5-75	वरिष्ठ वास्तुक कार्यालय, के० लो० नि० वि०, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग में विद्यमान रिक्त स्थान पर

1	2	3	4
2.	श्री आर० एच० खोबरागड़	19-5-75	मुख्य इंजीनियर (दक्षिण पश्चिम अंचल) कार्यालय, के० लि० नि० वि०, बम्बई के कार्यालय में विदेश गए हुए श्री एस० एस० राव के स्थान पर ।

एस० एस० पी० राव
प्रशासन उप-निदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक मई 1975

सं० क०-12017/1/72-प्रशा०-5 :—इस आयोग की अधिसूचना सं० क०-12017/1/72-प्रशा०-5 दिनांक 6 जनवरी, 1975 के क्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्वारा श्री टी० पी० मंगनान को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक-गणित ग्रुप) के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पुनः 1-3-1975 से 31-5-1975 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 32012/4/70-प्रशा०-5 :—इस आयोग की अधिसूचना सं० 32012/4/70-प्रशा०-5, दिनांक 27 फरवरी, 1975 के क्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों को केन्द्रीय जल आयोग में सहायक अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में पुनः 3 नवम्बर, 1975 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित रूप से भरे जाएं, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :—

1. श्री आर० एस० आनन्द
2. श्री एस० एस० सच्चर
3. श्री के० एन० नायर

दिनांक जून, 1975

सं० क-32012/5/70-प्रशा०-5 (i) :—इस आयोग की अधिसूचना सं० क-32012/5/70-प्रशा०-5 (i), दिनांक 27 फरवरी, 1975 के क्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक भौतिक ग्रुप), के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द०-रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में प्रत्येक के

सामने दी गई अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित रूप से भरे जाएं, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त करते हैं :—

श्री के एस० दास	1-5-75 से 30-6-75
श्री के० आर० भट्टाचार्य	1-5-75 से 30-6-75
के० पी० बी० मेनन	
अवर सचिव	
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० क०-19012/540/75-प्रशा०-5 :—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री एम० एल० भल्ला, वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक को केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के रूप में स्थानापन्न क्षमता में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में 2 मई, 1975 से छः मास के लिए अथवा जब तक श्री आर० पी० साहनी की सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियन्ता के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति द्वारा रिक्त स्थान बना रहेगा जो भी पूर्व हो, पूर्वतः तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री एम० एल० भल्ला ने उपरोक्त तारीख तक समय से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद का कार्य भार संभाल लिया है ।

वी० जी० मेनोन
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून, 1975

सं० 6/16/74 प्रशासन—अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण एतद् द्वारा श्री एस० एन० मूरचिंग, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, को अतिरिक्त सहायक निदेशक (वैज्ञानिक) के ग्रेड में, रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में नियुक्त करते हैं ।

मूल शंकर पाठक
अवर सचिव

रेल मंत्रालय

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

लखनऊ-11, दिनांक जून 1975

सं० ई II/ईएस/सी०एफ० एम०/ओ०—श्री बजरंग सिंह को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में दिनांक 13 मार्च, 1975 से अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) के रूप में स्थायी किया जाता है ।

टी० वी० जोसफ
सहानिदेशक

पूर्व रेलवे

कलकत्ता, दिनांक 13 जून 1975

सं० ए० सी०/190/ए/सी०/2—पूर्व रेलवे, कलकत्ता के सेवा निवृत्त स्थानापन्न मुख्य खजांची श्री एस० के० चटर्जी को प्रवर वेतनमान में मुख्य खजांची के रूप में 13 मार्च, 1967 से स्थायी किया गया है।

बी० पी० साहनी
महा-प्रबन्धक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

पाण्डू, दिनांक 13 जून 1975

सं० ई०/55/III/97(ओ)—निम्नलिखित अधिकारियों को जिन्हें भारतीय रेल सेवा में परीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से प्रवर लेखा अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	जिस से किया गया	तारीख स्थायी
1.	श्री एस० बाल चन्द्रन		13-7-73
2.	श्री आर० शिवदासन		2-2-74

एम० आर० रेड्डी
महाप्रबन्धक

दक्षिण मध्य रेलवे

सिकन्दराबाद, दिनांक 17 जून 1975

सं० पी० 185/गजट/सैक०—श्री आर० अशोक, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के अधिकारी (परीक्षाधीन) को, इस रेलवे में यांत्रिक सेवा की श्रेणी-I/प्रवर वेतनमान में 16-7-1974 से स्थायी किया जाता है।

के० एस० राजन्
महाप्रबन्धक

कम्पनियों के रजिस्टार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं बी० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 14 जून 1975

सं० 15942/590(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बी० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं कांप्यूटर एण्ड सिस्टीमस् लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून, 1975

सं० 15760/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कांप्यूटर एण्ड सिस्टीमस् लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं हाउसिंग एण्ड इस्टेट विल्डरस कारपोरेशन (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 9450/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हाउसिंग एण्ड इस्टेट विल्डरस कारपोरेशन (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं शोभा चिटफंड एण्ड एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 13766/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि शोभा चिटफंड एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं आर० आर० गिबसन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 3140/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आर० आर० गिबसन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं ओंकार एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 12660/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि ओंकार एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं न्यू मध्य प्रदेश रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 14000/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि न्यू मध्य प्रदेश रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैडिप्रिन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 12209/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैडिप्रिन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं शक्ति चिट सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 13980/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि शक्ति चिट सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस० नारायणन्
अतिरिक्त कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दी० अहमदाबाद स्माल स्केल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, एसोसिएशन लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक

1975

सं० 560/871—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दी अहमदाबाद स्माल स्केल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शात न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जे० गो० गाथा,
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम 1956 प्रेसने इंजीनियरिंग सिडीकेट प्राइवेट लिमिटेड।

हैदराबाद, दिनांक 24 मई 1975

सं० 1037टी० (560)—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रेसने इंजीनियरिंग सिडीकेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 (2) के अधीन सूचना।

हैदराबाद, दिनांक 29 मई 1975

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और दी रोहीनी प्रोडक्शन्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

सं० 1165 लिक्विडेशन—सिविल अर्जी सं० 10 सन् 1972 में स्थित उच्चन्यायालय के तारीख 6 अप्रैल, 1973 के आदेश द्वारा "दी रोहीनी प्रोडक्शन्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड" का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है।

ओ० पी० जैन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
हैदराबाद

कटक, दिनांक 27 मई, 1975

सं० ए०/64/75-531(2)—यतः नरय महानदी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राजाआठ-गड़ खुंटूणी, कटक में है, का समापन किया जा रहा है।

और यतः अधो हस्ताक्षरित यह विश्वास करने का युक्ति-युक्त हेतुक है कि कोई समापक कार्य नहीं कर रहा है कम्पनी के कामकाज का पूरी तौर से समापन कर दिया गया है और यह कि स्टेटमेंट आफ एकाउन्ट्स, (विवरणियां) जो समापक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है, छः क्रमवर्ती मास के लिए त्रिं दी गई है।

अतः अब कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर नररय महानदी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एस० एन० गुहा
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जमुना इन्टरप्राइजेस फूड प्रा० लिमिटेड के विषय में ।

दिल्ली, दिनांक 1975

सं० —कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर जमुना इन्टरप्राइजेस फूड प्रा० लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

सी० कपूर,
कम्पनीज का सहायक रजिस्ट्रार,
दिल्ली ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और बेनारजी इंजीनियरस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 3 जून 1975

सं० 23723/560/37—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बेनारजी इंजीनियरस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और एस० ए० एस० मेनुफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 3 जून 1975

सं० 25617/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एस० ए० एस० मेनुफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और देशबन्धु काटन मिल्स लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 3 जून 1975

सं० 3868/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर

देशबन्धु काटन मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एन० आर० सरकार
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 (2) के अधीन सूचना और दी युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट (ग्वालियर) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में :—

ग्वालियर, दिनांक 3 जून 1975

सं० 855/लिक्वीडेशन—कम्पनी अधिनियम की धारा 445 (2) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि दी युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट (ग्वालियर) प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर शाखा, ग्वालियर के आदेश दिनांक 25-4-75 के द्वारा परिसमापन करने का आदेश दिया गया है । तथा सरकारी समापक, इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया है ।

महेश प्रसाद
समापक पंजीयक
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और गोस्वामी नउम कोल एवं ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

दिनांक 30 मई 1975

सं० —कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर गोस्वामी नउम कोल एवं ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एस० पी० वसिष्ठ,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

आय-कर अपील अधिकरण

बम्बई-20, दिनांक 28 मई 1975

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/75—श्री एच० सी० श्रीवास्तव, वरीय आयुक्त, आय-कर अपील अधिकरण जिन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ, इलाहाबाद में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गयी थी; देखिये, इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०)/74-पी० II दिनांक 22-11-1974,

उन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधि-करण, इलाहाबाद न्यायपीठ, इलाहाबाद में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1-1-1975 से 30-6-1975 तक या जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं की जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/75—श्री एम० एम० प्रसाद, अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई, जिन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधिकरण कटक न्यायपीठ, कटक में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गयी थी, देखिए। इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०)/73 दिनांक 25 अप्रैल, 1974, उन्हें अस्थायी क्षमता में, तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधिकरण, कटक न्यायपीठ, कटक में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 19-11-74 से 30-6-1975 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/75—श्री आर० सी० श्रीवास्तव, वरीय अधीक्षक, आय-कर, अपील अधिकरण बम्बई जिन्हें अस्थायी क्षमता में, तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधि-करण, बम्बई, न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 31-12-1974 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गयी थी, देखिए। इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०)/74 दिनांक 14-6-1974, उन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधि-करण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर

1-1-1975 से 30-6-1975 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/75—श्री एस० आर० अग्रवाल, वरीय अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई जिन्हें अस्थायी क्षमता में, तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधि-करण, बम्बई, न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 31-12-1974 (अपराह्न) तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गयी थी, देखिए। इस कार्यालय की अधि-सूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०)/74-पी० II दिनांक 10-10-1974 उन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1-1-1975 से 30-6-75 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दिनांक 19 जून 1975

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/74-पी० II—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 1975 में आंशिक आशोधन करते हुए श्री एन० के० चौरसिया, जो आय-कर अपील अधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली के स्थायी सहायक रजिस्ट्रार हैं, की सेवा-अवधि छह मास के लिए अर्थात् 7 जनवरी, 1975 से 6 जुलाई, 1975 तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) बढ़ायी जाती है।

हरनाम शंकर,
अध्यक्ष

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 जूलाई 1975

निर्देश सं० अर्जन /163/गाजियाबाद/74-75/580—

अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० के० ए० /25 है तथा जो ओल्ड कबीरनगर, गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिक्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों, जो जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

4-156GI/75

(1) श्री राम कुमार वाउन्दा नि० 18-बी०, सेक्टर-ए० महानगर लखनऊ। (अन्तरक)

(2) श्रीमती मधु कपूर पत्नी श्री अमृत लाल कपूर नि० 184/6-1, कटरा हरी सिंह, अमृतसर, वर्तमान नि० ए० 32 ए० कृष्णापुरा। मोदीनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां, शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति एक मंजिला इमारत नं० के० ए० 25, जो ओल्ड कबीर नगर, गाजियाबाद में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 82,000/- में किया गया है ।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर ।

तारीख : 1-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० अर्जन/88/सहारनपुर/74-75/581—अतः

मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो राजपुर सहारनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहारनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-10-1974 के अधीन, 5-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विवेक के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:-

(1) श्री गोभाराम पुत्र कन्हैयाराम अरोरा नि० नुमायश कैंप, सहारनपुर। (अन्तरक)

(2) श्री बालूराम, बलराम, और देवीचन्द्र पुत्रगण श्री फूल सिंह, सभी नि० मोहल्ला नवान गंज सहारनपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए नार्थवाहियों शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी, अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा या;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हकूक भूमिधरी बाबत मवाजी 9 बीघे 16 बिस्वा पुस्ता अराजी मुन्दरजा नम्बरान खसरा नो 5 बीघा 12 बिस्वा व नम्बरान 13, 4 बीघा 4 बिस्वा पुस्ता हरदोखसरा सहारई मुतालिका खाता खतीनी नं० 55 व 3/4 भाग अजएम ट्यूबवैल मय वोरिंग व मोटर जो बिजली 5 हार्स पावर मय सुइच व स्टाटर न एक कोठा दक्षिण मोहात दीन पोश मय कुआ अराजी मजकूर जिसमें ट्यूबवैल मजकूर नसब है मय हकक कनकशन, बिजली पावर व हव्डल मीटर वगैरा बाकेहरा राजपुरा स्वाद सहारन पुर बेरूम हद् म्युनिस्पिल बोर्ड मय जुमला हकक मुतालिका, उसके विलज इस्तसकवे किसी जुज्व व हकके और ट्यूबवैल मजकूर, की बाजारी कीमत रु० 2000/- और अराजी मुवइया की माल गुजारी रु० 12 और 34 पैसे है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 1-7-1975
मोहर :

रूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा-269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० अर्जन/161/गाजियाबाद/74-75/582—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 1776 ए० और 1776 बी० है तथा जो ग्रा० पौसण्डा गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908) (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाधत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अन्यथा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री प्रेमशंकर पुत्र श्री खुबचन्द नि० मल्यान गेट, 18, 1666, कम्पाजन वी० द्वारा श्री अर० के० आनन्द, जनरल पावर आफ प्रटोर्ना। (अन्तरक)

(2) श्री मैसर्स कुबेर इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्रा० लिमि०, एम० 133 कन्नोट सरकस नई दिल्ली, द्वारा मैनेजींग डाइरेक्टर श्री के० एल० अग्रवाल (प्रोपटी ए०-87 फर्लिंग स्टोन ओन देहली सहादरा रोड) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमिधरी भूमि प्लॉट नं० 1776-ए० क्षे० फ० 8 विस्वा तथा 1776 बी०, 1 बीघा 11 विस्वा जो ग्राम पौसण्डा तह० गाजियाबाद में स्थित है तथा इसके साथ इमारत, रहावसी बंगला, बाग, तथा नौकरों के क्वार्टर्स है इसका हस्तान्तरण रु० 2,10,000/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण,
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 1-7-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 जुलाई 1975

निर्देश सं० 149/अर्जन/देहरादून/74-75/583—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 7-बी० है तथा जो मसूरी रोड, देहरादून में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-10-1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री लेपटीनैट कर्नल समझुल सिंह रत्नधावा, नि० 7-डी० मसूरी रोड, देहरादून । (अन्तरिक)

(2) श्री रिन्वेन थियॉनडप सदुतरेग, 7-बी० मसूरी रोड, राजपुर (देहरादून) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हो तो :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची .

मकान नं० 7-बी०, का आधा भाग जो कि मसूरी रोड, (राजपुर) देहरादून में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 45,000/- में किया गया है ।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ।
अर्जन रेंज, कानपुर ।

तारीख : 3-7-1975 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

बम्बई, दिनांक 30 जून 1975

निर्देश सं० अ० ई० 5/195/8/74-75—अतः मुझे,
ज० एम्० मेहरा

सहायक आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है और जिसकी सं० गली नं० 21 व 28, सिटी सर्वे नं० 119
न, जो मरवली गांव में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन 19 20-11-1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) श्रीमती शिरीनबाई एम्० कलापेसी और अन्य
(अन्तरक)
- (2) श्रीमती चतुरी एम्० महतानी (अन्तरिती)
- (3) श्री अनगिनत अनियमित व्यक्ति जो उक्त जगह
पर छोटी मोटी इमारत खड़ी करके अपना बसवाट बयाना
है जिनकी नाम की यशदी मालूम नहीं
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में
सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त समाप्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताधरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई उपनगर जिले में बान्द्रा रजिस्ट्रेशन उप-जिले के
मारवली ग्राम में वर्तमान एवम् अवस्थित वह समूचा भूखंड
अथवा भू-भाग या भू-स्थल जिसकी पैमाइश 3872 वर्ग
गज या 3236.89 वर्ग मीटर अथवा उसके लगभग है
तथा भू अभिलेखों में स्ट्रीट नं० 21 और 28 और सिटी
सर्वे नं० 129 में रजिस्ट्रर है, सी० टी० एस्० नं० 119/1,
119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7,
119/8, 119/9 119/10 और 119/11 (पुराना सर्वे नं०
35 हिस्सा नं० 7 (पार्ट) संख्याओं के एन्कोचमेंट को
छोड़कर, तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं अर्थात् पूर्व में
अथवा पूर्व की ओर श्री एम्० एल० महातने तथा एक
अन्य से संबद्ध सर्वे नं० 4, हिस्सा नं० 1 (पार्ट) की संपत्ति
पश्चिम में अथवा पश्चिम की ओर सर्वे सं० 35, हिस्सा नं०
6, की संपत्ति, उत्तर में अथवा उत्तर की ओर सर्वे सं०
35 हिस्सा नं० 3 तथा दक्षिण में श्री एम्० एल० महातने
तथा एक अन्य से संबद्ध सर्वे सं० 24, हिस्सा नं० 1 की
संपत्ति।

ज० एम्० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, 5, बम्बई।

तारीख : 30-6-1975।
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 5 बम्बई

बम्बई, दिनांक 30-जून 1975

निर्देश सं० अ० ई० 5/197/10/74—अतः मुझे, जे० एम० मेहरा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 5 बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 77 है, जो मुलुंड में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1). (1) श्री चतमलाल जोधराम और (2) मखनलाल जोधराम (अन्तरक)

(2). (1) श्री पीपटलाल मोहनलाल मनीअर (2) नारायणदास मोहनलाल मनीअर (3) नटवरलाल मोहनलाल मनीअर (4) गुणवनतरी मोहनलाल मनीअर (अन्तरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ :—

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि या मैदान का वह तमाम टुकड़ा जो मुलुंड में स्थित है और जो पहले जालुका दक्षिण सालसे सालसेट रजिस्ट्रेशन जिला थाना उपजिला थाना मेथा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन उपजिला बांधा, बृहत्तर बम्बई में है और अब रजिस्ट्रेशन जिला उपजिला बम्बई शहर और बृहत्तर बम्बई है वहां पर हमारत सहित जिसका प्लॉट नं० 77 है और मापसे 705.83 वर्ग गज 590.07 वर्ग मीटर या उसके समकक्ष है और जो म्युनिसिपल करों एवं भावों के निर्धारक संग्रहक टि० वार्ड नं० टी० 1581 और स्ट्रीट नं० 76 जवेर रोड, और सी० टी० एस० नं० नहि है जो निम्न प्रकार से घिरा हुआ है अर्थात् पूर्व और दक्षिण की ओर से प्लॉट नं० 77 का बचा हुआ भाग, पश्चिम की ओर से प्लॉट नं० 75 जो देशमुख घाडी से ज्ञात, उत्तर की ओर से अवेर रोड द्वारा।

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, 5 बम्बई।

तारीख : 30-6-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 जून 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/3175/74-75--अतः

मुझे, आर० कृष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सैट खाता नं० 90/1, है, जो विट्टलनगर (डिविजन नं० 24), में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), बंगलूर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बंगलूर दस्तावेज नं० 3265/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य

से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम' 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती ननजमिनि पत्नि के० श्रीनिवास राव 394/2, IX मैन, हनुमन्त नगर, बंगलूर-19 (अन्तरक)

(2) श्री बि० आर० नारायणस्वामी यू०-60, XVII फ़ास, पादरायनपुरा, बंगलूर-26 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सैट खाता नं० 90/1 डिविजन नं० 24, विट्टलनगर, बंगलूर सिटी।

सीमा

पूर्व : रोड

पश्चिम : दूसरे की सम्पत्ति।

उत्तर : 30 रोड

दक्षिण : दूसरे की सम्पत्ति।

दस्तावेज नं० 3265/74-75 ता० 21-10-74।

आर० कृष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर।

तारीख : 19-6-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री जी० रामय्या रेड्डी 157, डोमलूर बैंगलूर
(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 18 जून 1975

निर्देश सं० सि० आर० 62/3301/74-75—अतः
मुझे आर० क्रिष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी सं० सैट नं० 79/9 (पुराना नं० 5) है जो
ननदीदुर्ग रोड, बैंगलूर डिविजन नं० 46 में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गान्धीनगर, बैंगलूर -1
दस्तावेज नं० 2966/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, के 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-10
1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम',
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ के अनुसरण में
में, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(2) श्री प्रहल्लाद कौशिक 25, वथा बोधिनकोनट्टी,
रोम-00147 इटली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में
यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो
उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सैट नं० 79/9 (पुराना नं० 5) ननदीदुर्ग रोड, डिवि-
जन नं० 46, बैंगलूर।

क्षेत्रफल 59'—52'—3068 वर्ग फीट।

दस्तावेज नं० 2966/74-75 ता० 7-10-1974।

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 18-6-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 26 जून 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/3359/74-75—यतः
मुझे आर क्रिष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० 848, 849 तथा नं० 26 एण्ड 26/1 "हिल व्यू" है, जो लोकरनजन महल रोड, नज़रबाद, मैसूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैसूर दस्तावेज नं० 2676/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-10-1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

5—156GI/75

(1) श्रीमती एस० ए० गौरम्मा पत्नि लेट ए० आर० राजू नं० 137, VII मैन रोड, V ब्लॉक, जयनगर बैंगलूर-11 (अन्तलक)

(2) (1) श्री के० जी० तिममैगौडा, (2) के० जी० वेनकटरमण स्वामी, (3) के० जी० सैप्रसाद, (4) के० जी० सुब्रमण्या, कनकापुरा, बैंगलूर ज़िला (अन्तरिती)

(3) श्री बी० चंद्रप्रकाश (वह व्यक्ति, जिसके प्राधिभोग में संपत्ति है)

(4) (1) श्री के० आर० वेनकटाचला सेट्टी (2) के० बी० राधम्मा पत्नी के० आर० वेनकटाचला सेट्टी 40, सय-नारायण टेम्पल रोड, इट्टिगेगुड, मैसूर।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाषण—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थावर सम्पत्ति "हिल व्यू" नं० 848 और 849 तथा नं० 26 और 26/1, लोकरनजनमहल रोड, नज़रबाद मोहल्ला मैसूर।

क्षेत्रफल $141' + 172'3''/2 \times 202.3 \times 208/2 = 32157$ स्कोयार फीट

सीमा

पूर्व : जू गार्डन रोड

पश्चिम : इट्टिगेगुड में दूसरों के घर।

दक्षिण : लोकरनजन महल रोड।

उत्तर : सेन्द्रल नरसरी।

दस्तावेज नं० 2676/74-75 ता० 28-10-1974।

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बैंगलूर।

तारीख : 26-6-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० ए० ए० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/3118/74-75—यतः मुझे,
आर० क्रिष्णामूर्ति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार, मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी सं० सर्वे नं० 5 (2 एकड़ 10 गुनटे) है जो
सन्नेगुर, वनहल्ली, यशवन्तपुर होब्ली, बैंगलूर नार्त तालुक में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बैंगलूर नार्त
तालुक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन 3-10-1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ्य पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत 'उक्त अधिनियम',
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर
अधिनियम 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) श्री के० क्रिष्णमूर्ति पुत्र लेट कुल्लप्पा 378
अप्पर प्वालस आरचर्डस सदासिवनगर बैंगलूर-6 (अन्तरक)
- (2) श्री (1) टी० ए० चन्नबसवय्या (2) एल्लप्पा
पुत्र लेट पुट्टय्या गुरुकृपा शिवनहल्ली राजाजीनगर, बैंगलूर-10
(अन्तरिती)

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in
the property]

Site No. Name of the Allote

1. Shri Raja Ram
2. Shri Ramaiah
5. Shri K. Bommaiah
6. Shri R. N. Neelakantaiah
7. Shri P. Gundu Rao
8. Shri K. N. Naganna
9. Shri Chickkanaiah
10. Shri D. Viswanath
12. Shri Shanmugam Achari
13. Shri Thimmaiah
14. Shri Md. Hussain
16. Shri K. Siddappa
17. Shri Ponnuswamy
18. Shri K. O. Ramakrishna
19. Shri Narasimhaiah
21. Shri P. Kuttappa
22. Shri D. Narayanaswamy
24. Shri Rajamanikayar Achari
25. Shri M. Arumugam
27. Shri Smt. Laxmi Ammal
28. Shri Bhuganga Setty
31. Shri N. B. Basavalingaiah
32. Shri K. R. Mallaiyah
33. Shri Kempaiah
35. Shri N. M. Narayanappa

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

रिक्त जगह सर्वे नं० 5, 2 एकर 10 गुनटे जो साने गुरुवन्त-
हल्ली, एशवन्तपुर होब्ली, बैंगलूर नार्त तालुक में स्थित है।

सीमा

पूर्वः क्रिष्ण सेट्टी, मोरे गौडा और श्रीनिवास मूर्ति की जमीन
पश्चिमः इनजिसन्ना कालिज सोसेट्टी की जमीन

उत्तरः अन्तरक की बची जमीन

दक्षिणः क्रिष्ण सेट्टी और जकट्टन्न की जमीन सर्वे नं० 5 दस्तावेज
नं० 3883/74-75 ता० 3-10-74

आर० क्रिष्णमूर्ति,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, बैंगलूर।

तारीख : 1-7-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० 266/एकुरे /75-76/कल—अतः मुझे,
एल० के० बालसुब्रमनियन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/ रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 55/3 बी० है तथा जो बालीगंज सार्कुलार
रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के
कार्यालय, सियालदह, 24 परगणा में, रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-
10-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए ;

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री विरेन्द्र किशोर रायचौधुरी 55/3 बी०,
बालीगंज सार्कुलार रोड, कलकत्ता (अन्तरक)

(2) श्रीमती सविता गम्भीर 12 बी०, लर्ड सिन्हा
रोड, फ्लट-28, कलकत्ता । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है ।

अनुसूची

करिव 6 कट्टा 8 छटाक 25 स्को० फुट जमिन जो
55/3 बी०, बालीगंज सार्कुलार रोड, कलकत्ता का ग्रंथ
और जो सब-रजिस्ट्रार सियालदह द्वारा रजिस्ट्रीकृत दलिल
सं० 1847/1674 का अनुसार है ।

एल० के० बालसुब्रमनियन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III,
कलकत्ता ।

तारीख : 25-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
द्वारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-V कलकत्ता-16

कलकत्ता, दिनांक 27 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० 5/एकु० २०-V-कल०/75-76--
प्रतः मुखे, एस० एस० इनामदार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्यावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
₹० से अधिक है और

जिसकी सं० 132 ए०, डा० मेघनाथ साहा सरनी कल० है
तथा जो धाना टालीगंज, डिस्ट-24 परगणा में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, आलिपुर सदर,
24 परगणा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 8-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुखे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त
अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम

की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित
व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री दिवजेश चन्द्र रायचौधुरी 129, साउदार्ण
एभिन्यु कलकत्ता-29 (अन्तरक)

(2) श्री (1) नारायण चन्द्र कोनार, (2) सुनील चन्द्र
कोनार, (3) अनिल चन्द्र कोनार 26 ए० केयातला लेन,
कलकत्ता-29 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

करीब 3 कट्टा 7 छटाक जमिन जो 132 ए०, डा०
मेघनाथ साहा सरनी, धाना : टालीगंज, जिला 24 परगणा
पर अवस्थित ।

एस० एस० इनामदार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज -V,
कलकत्ता-16

तारीख : 27-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

आई० ए० सि० (अयुसिपन) अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 27 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी०-9/आर०-II/कलकत्ता/74-75—अतः मुझे, आर० वी० लालमोया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जे एल 2, ख० सं० 189, दाग सं० 25 है तथा जो मौजा और थाना बेहाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल ऐसे वृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिब्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री (1) उषा रंजन गुहा (2) सुधीर रंजन गुहा, (3) अधीर चन्द्र गुहा, (4) श्रीमती परिमल बाला घोष 238, ए० रास बिहारी अवन्यू, कलकत्ता (अन्तरक)

2. कुमारी पुष्पलता चाटरजी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जेला 24 परगणा मौजा और थाना बेहाला, जे० एल० सं० 2, ख० सं० 189, दाग सं० 25 में 65 डेसिमल क्षेत्रफल का जमीन।

आर० वी० लालमोया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II,
कलकत्ता।

तारीख : 27-6-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० 196/अर्जन/कानपुर/74-75/577—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक और जिसकी सं० 110/21 है तथा जो नेहरू नगर कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-10-1974 के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामनारायण अरोरा पुत्र श्याम लाल अरोरा
नि० 11-21, नेहरू नगर कानपुर (अन्तरक)

2. स० सुरिन्दर सिंह पुत्र स० दीवान सिंह नि०
मारेयाहु जि० जौनपुर (अन्तरिती)

3. श्री (1) मेसर्स भारत फलौरिंग, (2) मेसर्स
पैरीडीलन (3) एस० के० सेठी, कृष्ण चन्द्र (4) बलवंत
सिंह, (5) धर्मवीर (6) मोटा सिंह, (7) अवतार सिंह,
(8) पी० महेश्वरी, (9) जे० के० गान्धी।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 110/21, जो नेहरू नगर कानपुर में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 1,35,000/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 28-6-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 28th June, 1975

J. No. I(Eg)506/74-75/Acq. File No. 199 KAKINADA :

यतः मुझे, B. V. Subbarao,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं०

S. No. 931 है जो Sarpavaram village, Kakinada Taluk

में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय Kakinada में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन December, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना;

अतः, अब, धारा 269-ग का उक्त अधिनियम के अनुसार में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) Sirangu Srinivasarao, Sudhapalem 2. Rao Bapanayya Rao, M/P Raja Re-rolling Mills, Sarpavaram 3. Rao Lakshmi Venkata Rangarao, Kakinada, 4. Sirangu Kukkuteswararao, Sudhapalem, 5. Akula Sivvayyanaidu, Kakinada.

(Transferor)

(2) 1. Merla Jagannadham. 2. Merla Ramanna 3. Merla Venkayya Chowdary 4. Merla Bulliammai. 5. Merla Jogayamma. 6. Yarlagadda Umamaheswararao, Partners in Sarbana Re-rolling Mills, Sarpavaram, Kakinada Taluk.

(Transferee)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

The Schedule property namely land, Mill premises, Machinery at Sarpavaram as shown in the sale document No. 6278/74 of S.R.O., Kakinada registered in the month of December, 1974.

B. V. SUBBA RAO,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, Kakinada

दिनांक: 28-6-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय
आई० ए० सी अर्जन रेंज-IV-16 कलकत्ता

कलकत्ता-16 दिनांक 27 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० 218/आर०-IV/कल०/75-76--

अतः मुझे, एस० बट्टाचार्या

आयकर अधिनियम, 1961 (1961

का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 14 है तथा जो महात्मा गांधी रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-10-1974]

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राजेन्द्र नारायण नन्दी, राधा गोविन्द नन्दी, नन्दोलाल नन्दी, राधापद नन्दी, हरिसाधन नन्दी (अन्तरक)

(2) श्री सुभाष चन्द आगरबल्ला (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अविभाजित आधा हिस्सा 14 महात्मा गांधी रोड,
कलकत्ता में लगभग 5 कट्ठा जमीन और उस पर मकान का ।

एस० बट्टाचार्या
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-IV, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून, 1975

निर्देश सं० 924—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है)
की धारा 269-घ

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2836, अक्टूबर,
1974 में है तथा जो मोहल्ला शेखां होशियारपुर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. डाक्टर हरबंस लाल सुपुत्र धर्मचन्द, सुपुत्र चुर्मीलाल
शाह, वासी शीश महल बाजार होशियारपुर। (अन्तरक)

2. श्री सीतल प्रकाश सुपुत्र कुन्दन लाल, सुपुत्र काशी राम
जैन मोहल्ला बाजार शेखां (अन्तरिती)

जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

मकान जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2836 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (नि ण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 937—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अधिकृत विलेख नं० 2904 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो नजदीक आर्य समाज मन्दिर, होशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगदीश चन्द्र सुपुत्र हीरा लाल सुपुत्र लक्ष्मण दास और कैलाश चन्द्र सुपुत्र प्रकाश चन्द्र सुपुत्र हीरा लाल वासी नजदीक आर्य समाज मन्दिर होशियारपुर। (अन्तरक)

2. श्री विद्यासागर सुपुत्र मुकन्द लाल सुपुत्र दीनीचंद वासी प्रालाद नगर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2904 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून, 1975

सं० ए० पी० नं० 928—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7008 अक्टूबर,
1974 में है तथा जो अलीखेल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ।

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरुदेव सिंह सुपुत्र गिल सिंह गांव अलीखेल तहसील
जालन्धर । (अन्तरक)

2. श्री अमर सिंह सुपुत्र दीतू गांव गोपालपुर अलाहस बीडी-
पुर तहसील जालन्धर । (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में हसम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7008 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

निदेश सं० ए० पी०-929--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7094 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो गांव अलीखेल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रलिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गुरदेव सिंह सुपुत्र गोल सिंह गांव अलीखेल तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री अमर सिंह सुपुत्र दीतू सिंह गांव गोभालपुर अलाईस वादीपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7094 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 जून, 1975

सं० 930—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7132 अक्टूबर,
1974 में है तथा जो अलीखेल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-
नियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरुदेव सिंह सुपुत्र गेल सिंह गांव अलीखेल तहसील
जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री अमर सिंह सुपुत्र दीतू गांव गोवालपुर अलास बीबीपुर
तहसील जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क' में परिभाषित है
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून, 1975

निदेश सं० 931—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6513 अक्टूबर
1974 में है तथा जो सराएखास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख, अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त
अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गुरबकश सिंह सुपुत्र वीरू सुपुत्र बुधु वासी सराएखास
जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र मोहन सिंह सारएखास जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जो कि अधिकृत विलेख नं० 6513 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी० 932—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3306 अक्टूबर, 1974 में
लिखा है तथा जो नवां शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनु० 7ची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती गिम्नानो पत्नी चानन सिंह निवासी तलवन्डी जटां
डाकखाना चक्क रामू (अन्तरक)
2. श्री तेजा सिंह सुपुत्र श्री जगत सिंह चानन कौर पत्नी तेजा
सिंह निवासी तलवन्डी जटां। (अन्तरिती)
जैसा कि नं० 2 में है।
डाकखाना चक्क रामू तहसील नवांशहर
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3306 अक्टूबर,
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी० नं० 933—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3150 अक्टूबर, 1974 में लिखा है, तथा जो बीरगेवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री गुरनाम सिंह सुपुत्र श्री कर्म चन्द सुपुत्र श्री कीटिया निवासी कुकड़ पिन्ड जिला जालन्धर। (अन्तरक)

2. सर्वश्री ज्ञान सिंह, सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री उजागर सिंह सुपुत्र श्री बसावा सिंह निवासी गांव अर्जनवाल डाकखाना आदपुर जिला जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3150 नवम्बर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी०-934—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2804 अक्टूबर, 1974 में लिखा गया है तथा जो होशियारपुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

7-156GI/75

1. श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री गोपाल सिंह सुपुत्र श्री गुरबकश गिह निवासी मुन्देरी खुरद होशियारपुर। (अन्तरक)

2. श्रीमती कृष्णा कान्ता पत्नी ब्रह्म प्रकाश सुपुत्र श्री सगली राम निवासी बागपुर तहसील होशियारपुर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2804 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून 1975

मोहर;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी० -935—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2729 अक्टूबर,
1974 में लिखा गया है तथा जो निकट मिलाप नगर होशियारपुर
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
अक्टूबर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11), या उक्त अधिनियम या घन-कर
अधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुकरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बलदन्त सिंह सुपुत्र ऊधम सिंह सुपुत्र जीवा श्री जीवा
राम जी० ए० मेहर सिंह सुपुत्र ऊधम सिंह सुपुत्र जीवा निवासी
जगतपुरा होशियारपुर।

(अन्तरक)

2. श्री मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री साधु सिंह सुपुत्र ईशर राम
निवासी फनेहगढ़ नैरा डाकखाना तहसील होशियारपुर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2729 अक्टूबर,
1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार

सक्षम अधिकाारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-75

मोहर :

प्ररूप आां० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 936—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2779 अक्टूबर,
1974 में है तथा को कोटला गनपुर तहसील होशियारपुर में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर,
1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग
के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरबचन सिंह और प्रीतम सिंह पुत्र दसीदा सिंह
वासी अजोवाल तहसील होशियारपुर (अन्तरक)

2. श्री गुरबचन सिंह प्रीतम सिंह सुपुत्र गोकल चन्द सुपुत्र
सुन्दर दास सहनी वासी कुमालपुर, होशियारपुर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2779 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
द्वारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, 28 जून, 1975

निदेश सं० 927—यतः मुझे, रबीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6978 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो माडल टाउन में स्थित है (और इससे उभावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के सापेक्ष में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सरास्ती देवी पत्नी स्वर्गीय डाक्टर कृष्ण कुमार, जालन्धर (अन्तरक)
2. मैसर्स यूनाइटेड सेल्स कारपोरेशन, नेहरू गार्डन, जालन्धर। (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त' अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6978 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

रबीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 938—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7004 अक्टूबर, 74 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री चमत लाल माडल हाउस बस्ती गेख जालन्धर। (अन्तरक)
2. मैसर्स एस० बी० आई० सुपरवाइजिंग स्टाफ कोआपरेटिव सोसायटी लि० जालन्धर। (अन्तरिती)
3. जैमा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जो कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7004 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० पी० 939—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है') की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7237 नवम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर जो बस्ती शेख जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कृष्ण कुमार सपुत्र श्री चमन लाल सपुत्र श्री मोहरी लाल माडल हाउस बस्ती शेख, (अन्तरक) जालन्धर।
2. मैसर्स एस० वी० आई सुपरवाइजिंग (अन्तरिती) स्टाफ कौन्सिलरेटिव सोसाइटी, जालन्धर।
3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7327 नवम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 28-6-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जलन्धर, तारीख 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० पी० 940—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2468 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़शंकर है तथा जो ढाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गढ़शंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री स्वर्ण सिंह सपुत्र श्री नगीना निवासी
ढाडा डाकखाना माहिलपुर तहसील (अन्तरक)
गढ़शंकर।
2. श्रीमती चानन कौर पत्नी गुरबखण सिंह
गांव ढाडा (अन्तरिती)
3. जैसा कि वि० नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2468 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़शंकर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 28 जून 1975

निर्देश सं० 941—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7048 अक्टूबर 1974 में है तथा जो नगेलपुरदिल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वाधित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री कर्म सिंह सपुत्र राम सिंह वासी
नगेलपुरदिल मुख्यारनामा औफ गुजर
सिंह, श्रीफ नगेलपुरदिल (अन्तरक)
2. श्री अबतार सिंह सपुत्र राम सिंह वासी
नगेलपुरदिल (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में
में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7048 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर तारीख 28 जून 1975

निर्देश सं० 942—यतः सुझे रवीन्द्र कुशार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7013 अक्टूबर 1974 में है तथा जो नंगलपुरदिल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः जब उक्त अधिनियम की, धारा 269-घ के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—
8—156G1/75

1. श्री कर्म सिंह सुपुत्र राम सिंह नंगलपुरदिल
मुख्तयारनामा श्रीफ गुजर सिंह सुपुत्र
मंगल सिंह नंगलपुरदिल (अन्तरक)
2. श्री गुरदीप सिंह सुपुत्र कर्म सिंह नंगल
पुरदिल (अन्तरिती)
3. जैसा कि सं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धर्ती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7013 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी०-943--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7130 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित सहायक से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

1. श्री कर्म सिंह सपुत्र श्री राम सिंह निवासी नंगल पुरडिल तहसील जालन्धर जी० ए० टु० गुजर सिंह सपुत्र श्री मंगल सिंह।
(अन्तरक)

2. श्रीमती जोगिन्द्र कौर पत्नी अकतार सिंह नंगल पुरडिल।
जयपुर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हो तो:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7130 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 944—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सश्रम
प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7090 अक्तूबर,
1974 में है तथा जो नंगल पुरदल में स्थित है (और इससे उपावद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-
रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम',
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कर्म सिंह सुपुत्र राम सिंह जी० के० श्रीफ गुजर सुपुत्र
मंगलसिंह वासी नंगल पुरदल

(अन्तरक)

2. नख्छतर कौर पत्नी कर्म सिंह नंगल पुरदल

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20क में यथापरिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7090 अक्तूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सश्रम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 945—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6734 अक्टूबर में है तथा जो सहोवाल नजदीक गराली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री धर्म सिंह सुपुत्र उद्यम सिंह गांव सहोवाल तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

2. बसंत वीहार कोश्यापरेटिव हाउस विल्डिंग सोसायटी लिमिटेड सहोवाल

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप, :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6734 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सहयक प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 946—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख सं० 6546 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो बंबईनवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तिथो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अबतार सिंह, रणजीत सिंह सुपुत्र मोहल सिंह सतिन्द्र सिंह, हरकीरत सिंह और बीरत सिंह गांव बंबईन (अन्तरक)
2. श्री नमल सिंह सुपुत्र चंचल सिंह गांव बंबईन (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6546 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 947—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सूचना प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6775 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो अनाज मन्डी जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गुरदयाल सिंह सुपुत्र हरी सिंह गांव खजूर तहसील फगवाड़ा।

(अन्तरक)

2. श्री सनजीत कुमार सुपुत्र कृष्ण चन्द जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6775 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सूचना प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, 28 जून 1975

स० 948—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7136 अक्टूबर,
1974 है तथा जो इन्डस्ट्रियल एरिया में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों;
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री जे० अनन्द शटल कौक हाऊस द्वारा मदन लाल
सुपुत्र सरदारी लाल बस्ती नौ जालन्धर । (अन्तरक)

2. श्री राम सारूप और राम प्रकाश श्री तुलसीराम जालन्धर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

मकान जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7136 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० -----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 949—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7042 अक्टूबर
1974 में है तथा जो मंडी रोड जालन्धर में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्टूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं
किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कृष्ण लाल चडा और कुन्दन लाल चडा जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री जोगा सिंह स्पुल महेगा सिंह गांव विलगा डिस्ट्रिक्ट
जालन्धर।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति
में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त-
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7042 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्रकृष आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 950---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6655 अक्टूबर,
1974 में है तथा जो पठानकोट बाई पास में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
वाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

9-156G1/75

1. डाक्टर सरबजीत सिंह बाबा सुपुत्र ले० कर्नल एस०
एस० बाबा 514 न्यू जवाहर नगर, जालन्धर
(अन्तरक)

2. श्री प्रवीण चंद सुपुत्र ऊग्रसेन ई० पी० 243 मंडी फेटन
गंज सुरिन्द्र प्रकाश सुपुत्र राम लाल श्रीफ 603 मोडल टाऊन
जालन्धर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों
पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6616 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28 जून 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 951—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिमकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6616 अक्टूबर,
1974 है तथा जो पठानकोट बाई पास जालन्धर में स्थित है (और
इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्टूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत
'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे
बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या,
छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सरबजीत सिंह बाबा स्पुत्र ले० कर्नल एस० एस०
बाबा 518 न्यू जवाहर नगर जालन्धर
(अन्तरक)

2. श्री प्रवीन चन्द स्पुत्र उग्रसेन ई० पी० 243 मंडी फेल्टेन-
गंज, सरिन्द्र प्रकाश स्पुत्र राम लाल 603 मोडल डाऊन जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
'उक्त अधिनियम,' के अध्याय
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा
जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6616 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269(ब) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 952—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6974 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मोहन सिंह गांव गड़ा तहसील जालन्धर।
(अन्तरक)
2. श्री बलजीत सिंह एस० पी० सी० अरिन्दो चंडीगढ़
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6974 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28 जून 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० 953—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसाकि अधिकृत विलेख नं० 6680 अक्टूबर
1974 में है तथा जो शक्तिनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए
और/ या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

धतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ग के अनुसरण
में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री लाल चंद अशद सुज वंसौर लाल 200 शक्तिनगर,
जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्रीमती प्रेम कपूर पत्नी सतपाल नं० एफ० 164 मोहिन्द्र
मोहल्ला जालन्धर अत्र 200 शक्तिनगर, जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-फ में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6680 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28 जून 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 954—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6681 अक्टूबर,
1974 में है तथा जो शक्तिनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय जालन्धर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल चंद सुपुत्र बंसी लाल 200 शक्तिनगर जालन्धर
(अन्तरक)

2. श्रीमती द्वारका देवी कपूर पत्नी खेम राज कपूर नं०
एफ० 164 मौहिन्दरू मोहल्ला जालन्धर अब 200 शक्तिनगर,
जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

मकान जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6681 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 955—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम',
कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलख नं० 6501 अक्तूबर,
1974 में है तथा जो इन्डस्ट्रियल एरिया में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री विजय कुमार सुपुत्र पं० बिहारी लाल मोहल्ला
शिवनगर, जालन्धर।
(अन्तरक)

2. मैसर्स जय उद्योग ट्रेडर्स कारपोरेशन इन्डस्ट्रियल एरिया
जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्ट्री जैसा कि अधिकृत विलख नं० 6501 अक्तूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर, में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28-6-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 956—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6520 अक्टूबर 1974 में है तथा जो इन्डस्ट्रियल एरिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यह मुझे विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री सुरेश चन्द्र सुपुन बिहारी लाल मोहल्ला शिवनगर जालन्धर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स जय उद्योग ट्रेडर्स कारपोरेशन इन्डस्ट्रियल एरिया, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट जैसाकि अधिकृत विलेख नं० 6520 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख: 28-6-1975

मोहर:

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 957—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख में नं० 6477 अक्टूबर, 1974 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र भरहमाना गांव रसूलपुर तहसील जालन्धर।

2. श्री अमर जीत, अमरीक सिंह सुपुत्र दिलबाग सिंह रहीमपुर तहसील जालन्धर।

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6477 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख: 28-6-1975

मोहर:

प्ररूप आर्द्ध० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 958—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 ख के
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6476 अक्टूबर,
1974 में है तथा को डकरवाल (कृष्णनगर) में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर,
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर
देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे
बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने
में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ
की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र ब्राह्मना गांव रसूलपुर तहसील
जालन्धर।

(अन्तरक),

10—156GI/75

2. श्री दिलबाग सिंह, गुरबचन सिंह गांव रहीमपुर तहसील
जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6476 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आर्द० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 959—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी

को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6818 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो काला भईया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री साधु सिंह सुपुत्र बन्ता सिंह गांव काला भईया तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री साधु सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह गांव इसपुर तहसील जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस संपत्ति में रचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6818 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक 28 जून, 1975
मोहर :

प्ररूप आर्ह० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 960—यतः मझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6659 अक्टूबर
1974 में है तथा जो सिमी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
जालन्धर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-
नियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, ठिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
आधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री देवराज सुपुत्र भगत राम गांव भूलाराय तहसील
भगवाडा। (अन्तरक)
2. श्री लक्ष्मण दास सुपुत्र मन्गीराम गांव सिमी तहसील
जालन्धर। (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम,
के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6659 अक्टूबर 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 961—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43),
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25000/- से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6660 अक्टूबर
1974 में है तथा जो सिमी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह
कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुन्शी राम सुनुत्र भोला राम गांव सिमीपुर
(अन्तरक)
2. श्री मेजर सिंह सुपुत्र गिन्द्र सिंह गांव वीर तबसील नकोदर
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क म यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6660 अक्टूबर 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 962—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
260ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7110 अक्टूबर
1974 में है तथा जो नारामवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बलवन्त सिंह सुपुत्र साधु सिंह गांव दपालपुर तहसील
जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री जगजीत सिंह, सुरजीत सिंह, बलबीर सिंह, जसवन्त
सिंह और मलकीयत सिंह सुपुत्र अर्जन सिंह गांव कोहना।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जैसाकि अधिकृत विलेख नं० 7110 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 963—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7111 अक्तूबर 1974 में नारायणवती में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य

से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्यारा सिंह सुपुत्र साधु सिंह गांव दीसालपुर

(अन्तरक)

2. जगजीत सिंह, सुरजीत सिंह, जसवन्त सिंह, बलबीर सिंह और मलकियत सिंह सुपुत्र अर्जन सिंह गांव काहोला तहसील जालन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7111 अक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
दिनांक 28 जून, 1975 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक 28-6-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 964—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6687 अक्टूबर,
1974 में है तथा जो गांव यम्यारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शाना सिंह सुपुत्र अंचल सिंह गांव यम्यारा तहसील
जालन्धर। (अन्तरक)
2. श्री बलवन्त सिंह, मनजीत सिंह सुपुत्र सम्पूर्ण सिंह
गांव यम्यारा। (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप हो तो:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जैसाकि अधिकृत विलेख नं० 6687 अक्टूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिक
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

सोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 965—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है)

की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6703 अक्टूबर, 1974 को है तथा जो चिमयारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री श्याम सिंह सुपुत्र अन्धर सिंह गांव चम्पारा तहसील जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्रीमती राम कौर स्वर्गीय जसवंत सिंह गांव चम्पारा (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6703 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28-6-75

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 966 —यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6514 अक्टूबर 1974 में है तथा जो सादा चक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

11-156GI/75

1. श्री गंगा सिंह सुपुत्र सुन्द सिंह गांव मियावाला।

(अन्तरक)

2. श्री बलबीर सिंह, भूपिन्द्र सिंह सुपुत्र जरनैल सिंह गांव लिदरा और चनन कौर पत्नी मलकियत सिंह, जोगिन्द्र कौर पत्नी रंजीत सिंह, गुरदीप कौर पत्नी साधु सिंह और मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र कर्मसिंह, गांव सदाचक ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6514 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर
जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 967—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम 1961 (1961
का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त
अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1129 अक्तूबर,
1974 में है तथा जो धुतां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
जालन्धर भूगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना
चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती हरजिन्द्र कौर सुपुत्र मधुसूदन सिंह बीदी वासी
खिला बालंद जिला होशियारपुर

(अन्तरक)

2. श्री गुरनाथ सिंह और दरबारा सिंह सुपुत्र सजन सिंह
सुपुत्र प्रताप सिंह गांव धुतां ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्तन्मन्धी व्यक्तियों
पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-
भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1129 अक्तूबर, 1974
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भूगा में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एन०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 968—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिराकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1130 अक्टूबर, 1974 में है तथा जो खयाला में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भुगं में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाधत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रदोषनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हरजिन्द्र कौर पत्नी मधुसूदन सिंह विदी वासी खियालावलानंद जिला होशियारपुर। (अन्तरक)

2. श्री जयसिंह, तरलोक सिंह सुपुत्र सजन सिंह सुपुत्र प्रतापसिंह गांव धुर्ता (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1130 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भुगं में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आइ० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 969—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1438 अक्टूबर, 1974 में है तथा को धीसेवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुकेरियन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अजीत सिंह, प्रीतम सिंह, अमरीक सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह सुपुत्र सीमा सिंह र०/डी० सिंहपुर पुलिस स्टेशन हाजीपुर तहसील मुकेरियन। (अन्तरक)

2. श्री बनता सिंह सुपुत्र जयसिंह सुपुत्र निहाल सिंह वासी पंज देहरा कला पोस्ट आफिस मुकेरियन (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसाकि अधिकृत विलेख नं० 1438 अक्टूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुकेरियन में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जून 1975

निर्देश सं० 976—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6733 अक्टूबर 1974 को है तथा जो हरीपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्टूबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सोहन सिंह सपुत्र वंता सिंह जी० के० श्रीफ वंतू अताईस वन्ता सिंह गोट पुत्र श्रीफ नरायण सिंह गांव हरीपुर (अन्तरक)

(2) श्री बलबीर सिंह, प्रीतम सिंह सपुत्र प्यारा सिंह वासी हरीपुर (अन्तरिती)

(3) श्री जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवत्त है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवत्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6733 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकृती अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 28 जून 1975
मोहर:

प्रारूप आई०टी०एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० 971—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7145, अक्टूबर 1974 में है तथा जो किष्णगढ़ रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत का गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कर्म सिंह, सपुत्र भड़ा सिंह गांव चकराला
नहमील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री बलदेव सिंह, सुया सिंह, अजीत सिंह, साधा
सिंह सपुत्र अजानर सिंह गांव चकराला (अन्तरिती)

(3) श्री जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी व्यक्ति इस जो सम्पत्ति में रुची रखता
है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धर्ती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7145 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28 जून 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जून 1975

निर्देश सं० 972-वत: मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
(और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6762
अक्टूबर 1974 में है तथा जो हरीपुर में स्थित है (और
इसमें उपावद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख जालन्धर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
में कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:-

(1) श्री सोहन सिंह सपुत्र बंटा सिंह जी० टी० टू०
दाद अलाईस बंटा सिंह गौर पुत्र श्रीफ नारायण सिंह गांव
हरीपुर (अन्तरक)

(2) श्री हरभन्त सिंह सपुत्र जसवन्त सिंह गांव हरी-
पुर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है
(वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रची
रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6762 अक्टूबर
1974 जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28 जून 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जुन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जून 1975

निर्देश सं० 973—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6968 अक्टूबर 1974 में है तथा जो फाजलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कुलविन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह जालन्धर
(अन्तरक)

(2) श्री काश्मीर सिंह सपुत्र गवंत सिंह गांव तहवड़ी
जटान तहसील होशियार पुर
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी व्यक्ति को इस सम्पत्ति में स्वी
रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेखनं० 6918 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 28 जून 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जून 1975

निर्देश सं० 975—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकाारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6560
अक्टूबर 1974 में है तथा जो बजाला में स्थित है (और
इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख अक्टूबर 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
हायिल्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के
अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—
12—156GI/75

(1) श्री घनश्याम दास सपुत्र महता कमला रामबी पी
मुर० ताराश्याम जोरावर सिंह सपुत्र करतार सिंह 376
मोहाल्ला प्रतापपुरा अन्दर मुभाष नगर करनाल (अन्तरक)

(2) श्री कमल जीत कोर पुत्री विलवावा सिंह 300
जी० गोंडुल टाऊन जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है
(वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है

(4) कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची
रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि,
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1560 अक्टूबर
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 28 जून 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० पी० नं० 900—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2446 अक्टूबर 1974 में है तथा जो नंगल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गरशंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित कि गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थे अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, में सुविधा के लिए सुकर बनाना

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बलभदर सिंह सपुत्र परदुमन सिंह वासी नंगल अथ बड़न तहसील गरशंकर में है (अन्तरक)

(2) श्री तरलोचन सिंह सपुत्र बलवंत सिंह सपुत्र परदुमन सिंह वासी बड़न (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घरती जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 2446 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, गरशंकर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख: 28 जून 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4-ए०/14, आसफ आली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/11/849/75-76

—यतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 7 है जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, के लिए सुकर बनाना ।

अतः अब, उक्त अधिनियम धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमरजीत सिंह सुपुत्र श्री जिलोक सिंह निवासी
एन० 46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्रीमती संतोष सवरा सुपत्नी श्री चन्द्र प्रकाश
सवरा निवासी ई०-29, कमला नगर, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्गगज है और जो प्लॉट नं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है ।

एस० एन० एल० अग्रवाल,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 5 जुलाई 1975

मोहर :

प्रकर आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4-ए०/14, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यु०/11/846/75-76--

यतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 7 है, जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री सुरिन्द्र जीत सिंह सुपुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी एन०-46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) (1) श्रीमती संतोष सभरा सुपुत्री श्री चन्द्र प्रकाश निवासी ई०-29 कमला नगर, दिल्ली (2) श्रीमती वरधाम कौर सुपुत्री श्री करम सिंह (3) श्री अमरजीत सिंह (4) श्री अबतार सिंह निवासी 5476 बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली, (5) श्री सुदर्शन लाल सुपुत्र श्री शिवन दिवता मल निवासी 13, राजपुर रोड, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्ग गज है और जो प्लॉट नं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 5 जुलाई 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

ग्रजन रेंज 2, दिल्ली-1

4-ए०/14, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/848/75-76---
यतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० 7 है, जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन 31-10-1974 को पूर्वोक्त
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तयपाया गया प्रतिफल निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत आयकर
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या
उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
या छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त
अधिनियम', 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री परमजीत सिंह सुपुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी
एन० 46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री सुदर्शन लाल सुपुत्र श्री शिवन दिस्ता मल
निवासी 13 राजपुर रोड, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा
जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्गगज है और जो प्लॉट नं०
2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है ।

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
ग्रजन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 5 जुलाई 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4-ए०/14, आसफ आली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/847/75-76—यतः

मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन तबत प्राधिकारी को, वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और और जिसकी सं० 7 है, जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-10-1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित अर्थात्:—

(1) श्री कंवरजीत सिंह सुपुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी एन 46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) (1) श्रीमती वरयाम कौर सुपत्नी श्री करम सिंह (2) श्री अमरजीत सिंह सुपुत्र श्री करम सिंह (3) श्री भवतार सिंह सुपुत्र श्री करम सिंह सारे निवासी प्लॉट नं० 5 मकान नं० 5476, वस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आपत्ति:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्गगज है और जो प्लॉट नं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 5 जुलाई 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4/14-ए०, आसफ आली रोड, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/850/75-76/
1472—यतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल,
आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 3167, कूचा तारा चन्द है, जो दरयागंज,
दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, 16-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना
चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

प्रतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यर्थात्:—

(1) श्री गोस्वामी बाल किष्ण दास, सुपुत्र श्री गोस्वामी
रघुबर दयाल (2) श्री गोस्वामी ब्रोज मोहन (3) श्री
गोस्वामी मदन मोहन (4) श्री गोस्वामी सुरिन्द्र मोहन सुपुत्र
श्री गोस्वामी बाल किष्ण दास, निवासी 3166, कूचा तारा
चन्द, दरयागंज, दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्रीमती गणेश देवी, पत्नी श्री देवी सहाय, निवासी
3167, कूचा तारा चन्द, दरयागंज, दिल्ली (अन्तरिती)

(3) (1) श्री देस राज, (2) शेर सिंह (3) चिन्ता
राम (4) भोम प्रकाश (5) प्रेम चन्द (6) सेवा राम
(7) माहेन्द्रा (8) दावेन्द्रा (9) दास देव साहनी (10)
बैदना नाथ (11) श्याम लाल (12) शशी लाल (13)
केलाश चन्द (14) शेर सिंह (15) परशोतम नारायण
(16) माम राज (17) राज कृष्ण (18) नारेन्द्रा प्रकाश
(19) राम अघर (20) सत्या नारायण (21) बसन्ती
देवी (22) आन्ती देवी।

(बहु व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों
पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

बन्तुची

प्लॉट पर तीन मंजीला बिल्डिंग जिसका क्षेत्रफल 461
वर्ग गज है तथा जोकि 3167, कूचा तारा चन्द, दरयागंज,
दिल्ली में स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज—2, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख: 9 जुलाई 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 23 जून 1975

निर्देश सं० ए० एस० आर०/98/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ब के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो गांव घुम्मनपुरा तहसील अमृतसर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तहसील अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार

मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

(1) कुशारी मिश्र जन्मप्रीत कौर सुपुत्री महिन्द्र सिंह उपनाम वासी लारैम रोड अमृतसर (अब 22 फिरोज गांधी रोड नई दिल्ली) (अन्तरक)

(2) श्री सरहूल सिंह, दलजीत सिंह सुपुत्रान श्री पूरन सिंह वासी वड़ाली गुरु, तहसील अमृतसर (अन्तरिती)

(3) श्री जैसा वि० नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत खिलेख नं० 6406 अक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तहसील अमृतसर में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 23-6-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 23 जुन 1975

निर्देश नं० ए० एस० आर०/99/75-76—यतः मुझे
वी० आर० सगर आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्
'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गाँव घुम्नपुरा तहसील
अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
तहसील अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक
के वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
13—156GI/75

(1) कुमारी मिस जसप्रीत कौर सपुत्री महिन्द्र सिंह
वासी लारैस रोड अमृतसर (अब 22 फिरोज गाँधी रोड
नई दिल्ली) द्वारा राम सिंह उप्पल सपुत्र नारायण सिंह
उप्पल, मुख्तार—खास लारैस रोड, अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्री हरबंस सिंह, शाम सिंह सपुत्रान श्री पूरन
सिंह वासी बड़ाली गुरु तहसील अमृतसर। (अन्तरिती)

(3) श्री जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है,
बढ़ी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6882 अक्टूबर
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तहसील अमृतसर में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 23-6-1975:1

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० एफ० डी० के०/100/75-76—यत/ मुझे
वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मिशन ग्राऊंड कोटकपुरा
रोड, मुक्तसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे,
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1)
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री शिवनन्दन लाल अरोड़ा सगन लाल आहुजा
तथा दयाल सिंह सन्धू मुक्तसर (अन्तरक)

(2) श्री कशमीरी लाल सपुत्र श्री अरजन दास
मुक्तसर (अन्तरिती)

(3) श्री जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रखना है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2127 अक्टूबर
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में है।

वी० आर० सगर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 24 जून 1975।

भीहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री सन्याल दास अग्रवाल

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 8 जुलाई 1975

(2) (1) श्री सचीन पाल (2) देबारसी प्रामाणिक
(मायनर), गाडीयन, लोकनाथ प्रामाणिक (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० ए० सी० -6/एक्व० आर०—Vकल०/75-76
—अतः मुझे, एस० एम० इनामदार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० 522/1 अ० है तथा जो जी० टी० रोड,
महेश, हुगली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-10-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उप-
धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

522/1 अ०, जी० टी० रोड, महेश, जि० हुगली सी०
एस० प्लॉट सं० 3158, सी० एस० एव० आर० एस०
खटीय; सं० 241, रोजी 3876 3 कट्टा 14 छटांक 4
स्कवर फीट एवं दो मंजीली मकान।

एस० एम० इनामदार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5, कलकत्ता।

तारीख : 8-7-1975 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4/14-ए०, आसफ आली रोड, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर-III/
जनवरी/574(6)/74-75—1461/ यतः, मुझे, चं० वि०
गुप्ते,
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है
और जिसकी सं० ए०-8 है, जो ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली
में स्थित है (और इससे उपाब्द अनुसूची में पूर्व रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन, तारीख 2-1-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम',
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धनकर अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्रातुल चन्द्रा सेन, सुपुत्र स्वर्गीय डा०बी०सी० सेन,
स्वयं के लिए पत्नी श्रीमती आरती सेन के लिए तथा नाबा-
लिंग पुत्र मास्टर इन्द्रजीत सेन के लिए करता एच० यू०
एफ० (2) श्रीमती आरती सेन, पत्नी श्री पी० सी० सेन,
निवासी एल०-2, साउथ एक्सटेन्शन पार्ट-II, रिंग रोड
नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री मनोहर लाल गुप्ता, सुपुत्र स्वर्गीय श्री चरण
दास ए०-8, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परि-
भाषित है, वही अर्थ हीगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट को भूमि जिसका नं० 8 तथा ब्लॉक नं० 'ए०' है
तथा क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है जोकि ग्रेटर कैलाश-1, नई
दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : सड़क

पश्चिम : मकान नं० ए०-9

उत्तर : सड़क

दक्षिण : सविस लेन

चं० वि० गुप्ते,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख : 8 जुलाई 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 जुलाई 1975

निर्देश सं० 136/मेरठ /74-75/595—अतः मुझे०,
एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, तथा जो मेरठ
शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन तारीख 10-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्त-
रकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत 'उक्त अधिनियम'
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य
आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त 'अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सरदार हरी सिंह पुत्र सरदार गोपाल सिंह
उर्फ गोपी सिंह नि० हास 173, साकेट मेरठ (अन्तरक)

(2) श्री मेजर हरीभगवान तिवारी पुत्र स्व० श्री
बुल्लुवावर सिंह नि० 105, एयर डिफेंस रेजीमेन्ट द्वारा
56 ए० पी० ओ० वर्तमान 294, जत्तीवारा, मेरठ शहर
(अन्तरित)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों
पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि,
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 87, 88, और 90 जो माधव नगर,
मेरठ शहर में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 47,500/-
में किया गया।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 7-7-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 जुलाई 1975

निर्देश सं० अर्जन/16/उन्नाव/74-75/591—अतः मुझे,
एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो ग्राम शेख-
पुर, पर० तहसिल जि० उन्नाव में स्थित है (और इससे
उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-10-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ उपधारा की (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री स्टैण्डर्ड रेफिनरी एण्ड डिस्टिलरी लिमि०
26, ब्रेवोर्न रोड, कलकत्ता-1 (अन्तरक)

(2) श्री करम चन्द थापर एण्ड ब्रादर्स प्रा० लिमि०
(कोल सेल) 25, ब्रेवोर्न रोड, कलकत्ता-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

ग्राम शेखपुर पर० तह० व जिला उन्नाव में स्थित
भूमिखण्ड जिसकी माप लगभग 29.02 एकड़ है जिसमें
फैक्टरी बिल्डिंग मशीनरी फिटिंग्स एण्ड फिक्सचर्स आदि है।
जिसका हस्तान्तरण रु० 5,65,000/- में हुआ है।

एफ० जे० बहादुर,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 4-7-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

कलकत्ता, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० 267/एक्यु०-III/75-76/कल०—अतः मुझे,
एल० के० बालसुब्रमनियन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और
और जिसकी सं० 36/4 है तथा जो पुर्णदास रोड, कलकत्ता-
26 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
सियालदह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 16-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ
की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मनोज कुमार अजित सारिया, नाबालक पिता
प्रह्लाद राइ, अजितसारिया द्वारा फेन्सी बाजार गौहाटि,
आसाम (अन्तरक)

(2) श्री अरुण कुमार अजितसारिया 36/4, पुर्णदास रोड
रोड, कलकत्ता-26 (अन्तरिती)

(4) (1) श्री लाडुलाम अजितसारिया, (2) रामेश्वर
अजितसारिया, (3) हरिवक्स अजितसारिया 36/4, पुर्णदास
रोड, कलकत्ता-26

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में
यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

करीब 14 कट्टा 5 स्को० फुट जमिन का अविभक्त 1/4
अंश और नीच तल्लाका अविभक्त 1/8 अंश साथ गेराज,
में जानिन फ्लोर रुमस, सिडि लेन्डि स्थान तिन तल्ला पर
और निर्दिष्ट तिनतल्लाका समुचा साथ तिनतल्ला जानेवाला
सिडिका अधिकार साथ तिनतल्ला भोग करनेका पुरा प्रास-
गिक अधिकार जो 36/4 पुर्णदास रोड, कलकत्ता पर अब स्थित
और जो सब-रेजिस्ट्रार सियालदह द्वारा रेजिस्ट्रीकृत दलिल
सं० 1767/1674 में वर्णित तपशील का अनुसार है ।

एल० के० बालसुब्रमनियन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16 ।

तारीख : 28-6-1975 ।

मोहर :

प्रकाशित ० टी० ए० ए०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 मई 1975

निर्देश सं० अर्जन/49 (ए०)/अलीगढ़/74-75/406--

अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं अनुसूची के अनुसार है तथा जो मौहल्ला गोपालपुरी सासनी गेट अलीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री खरगसिंह नि० मौहल्ला सासनी गेट अलीगढ़ वर्तमान नि० मौहल्ला विश्वानुपुरी, कोठी नं० 2/438, अलीगढ़। (अन्तरक)

(2) श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा नि० मौहल्ला सराय मियां अलीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मौहल्ला गोपालपुरी सासनी गेट अलीगढ़ में स्थित मकान जिसका म्युनिस्पल नं० 11/76 तथा उससे सम्बन्धित भूमि जिसका हस्तान्तरण रु० 45,000/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जुन रेंज, कानपुर।

तारीख : 20-6-1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 जून 1975

निर्देश सं० 48-आर०/अर्जन—अतः मुझे विद्यमान नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 532/510 है तथा जो अराजी 300 व 301 बनारसी टोल लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्त-सरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा

(1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

14—156 GI/75

(1) श्री अब्दुल माजिद (अन्तरक)

(2) श्री रानी देवी मिश्रा व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फिता दो मंजिला मकान नं० 532/510 जो कि अराजी नं० 300 व 301 पर बना है। यह मो० बनारसी टोला आसी गंज लखनऊ में स्थित है।

विद्यमान नाथ,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 13 जून 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

(1) श्री केवल सिंह

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री विशान दयाल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, लखनऊ,

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

लखनऊ, दिनांक 30 जून 1975

निर्देश सं० 16-बी० अर्जन--प्रतः मुझे विशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० ----- है तथा जो पालया लखीमपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निघासन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: --

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाधत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक गोदाम पुक्ता एक दुकान, एक कमरा, एक बरान्डा, एक बड़ा कमरा साथ दो शटर ऊपर की मंजिल में एक कमरा, एक बरान्डा, एक रसोई व गुस्सखाना जो पलिया जिला लखीमपुर में स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 30-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री केवल सिंह

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री बजरंग लाल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज, लखनऊ

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

लखनऊ, दिनांक 30 जून 1975

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

निर्देश सं० 42-बि०/अर्जन—अतः मुझे विगमभर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० --- है तथा जो मौ० पालया, लखीमपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निधसन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धीर/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक गोदाम पुराना एक दुकान, व एक कमरा व एक बरान्डा व एक बड़ा कमरा साथ दो शटर ऊपर की मंजिल में एक कमरा व एक बरान्डा व एक रसोई व गुस्लाखाना जो मौजा पलिया जिला लखीमपुर में स्थित है।

विगमभर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 30-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

(1) श्री बी० के० चटर्जी व अन्य (अन्तरिक)

सायबर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

(2) श्री कृष्ण चन्द्र (अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जून 1975

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० 33-के०/अर्जन—अतः मुझे विशम्भर नाथ
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम
प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 136/142 है तथा जो अजाद स्कवायर
इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या-
लय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 4-11-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम, के अध्याय
20-क में यथापरिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

एक कित्ता दो मजिला मकान नं० 136/142 जिसका
रकबा 2691 वर्ग फिट है। जिसमें दस कमरें हैं। यह
अजाद स्कवायर इलाहाबाद में स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 19 जून 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 जनवरी 1975

निर्देश सं० 174/ए० सी० क्यू० 23-257/198/74-
75—अतः मुझे पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० ब्लॉक नं० 11 प्लॉट नं० 15 से 18
है, तथा जो उधना इन्डस्ट्रीयल को० ऑपरेटिव सोसायटी,
उधना सूरत में स्थित है (और इसके उपाध्यक्ष अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 4-11-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए
और/या
- (ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात् :—

(1) श्री प्रिन्सीपाल ऑफिसर इन्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट एन्ड
इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा० लि० 202, लाल बहादुर शास्त्री
मार्ग, बम्बई (अन्तरक)

(2) श्री मे० जे० एन्ड के० इन्डस्ट्रीज रोड नं० 4
जवाहर रोड, उधना इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, उधना सूरत की
ओर से उसके बहीवरकर्ता भागीदार, श्री गिरधारी लाल
हिमतलाल गांधी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है,
वही प्रर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन ब्लॉक नं० 11 प्लॉट नं० 15 से 18
जिसका कुल भाग 2400 वर्ग गज है और जो उधना
इन्डस्ट्रीयल को० ऑपरेटिव सोसायटी, उधना सूरत में स्थित
है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत के नवम्बर 1974
के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2102 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिक
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ष
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 30-1-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 मई 1975

निर्देश सं० 222/ए० सी० न्यु० 23-403/6-1/74-
75—यतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

और जिसकी सं० सर्वे नं० 532/63 प्लॉट नं० 62 है, तथा
जो विश्वास कालोनी रेस कोर्स रोड, बड़ोदा में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-11-
1974 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

धतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मनमोहनदास पुरुषोत्तमदास बोरा, दामोदरदास
पुरुषोत्तमदास बोरा, लीकमदास पुरुषोत्तमदास बोरा और चन्द्रबख्त
पुरुषोत्तमदास बोरा कोई न्यू, चर्कगेट, बम्बई (अन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र कुमार वृजलाल जवेरी वजूभाई हाउस,
152/58, गेख भेमन स्ट्रीट, बम्बई-2 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी है
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में
यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो
उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन, सर्वे नं० 532/63, प्लॉट नं० 62 जिसका
कुल माप 5917 वर्ग फुट है और जो विश्वास कालोनी,
रेस कोर्स रोड, बड़ोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी बड़ोदा के 5-11-1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख
नं० 4769 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,

सक्षम अधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख: 28-5-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, विनांक 21 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-400(169)/11-6/
74-75—यतः मुझे जे० कथूरिया

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 141 है, तथा जो भालपरा के
निकट तालुका बेरावल में स्थित है (और इसके उपाय
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय बेरावल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-11-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) मैसर्स रघुवीर खांडसरी स्युगर उद्योग गाँव,
भालपरा, तालुका बेरावल, अपने भागीदार द्वारा :—

(1) श्री गुणवंतराय लक्ष्मीदास, (2) श्री रजनीकान्त
लक्ष्मीदास, (3) श्री धीरजलाल लक्ष्मीदास, (4) श्री
जयवंत कुमार नौतमलाल, (5) श्री अमृतलाल वीकमजी,
(6) श्री रतीलाल वीकमजी, (7) श्री पोपटलाल वीकमजी,
(8) श्री जयश्री विठलदास, (9) श्री ललीत कुमार कल्याणजी
(10) श्रीमती सरला विनोदराय, (11) श्री दुर्लभजी भीमजी,
(12) श्री जगजीवन दुर्लभजी, (13) श्री सुरेशचंद्र दुर्लभजी,
(14) श्री कांतिलाल लीभोवन वास, (15) श्री दामोदर
मथुरादास, (16) श्री जमनादास लालजी (अन्तरक)

(2) मैसर्स अमर केमीकल्स, भालपरा, तलाला रोड,
तालुक बेरावल, अपने भागीदार द्वारा :

(1) शाह ललीत कुमार प्रेमजी, (2) शाह महेन्द्र
कुमार प्रेमजी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये एतद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फेक्टरी बिल्डींग, आउट हाउस सहित जो 3 एकड़ और
21 गुंठा जमीन पर स्थित है और जिसका सर्वे नं० 141 है
और जो भालपरा गाँव के निकट तालुका बेरावल में स्थित
है तथा जिसकी सीमाएँ निम्नलिखित हैं :—

पूर्व : वुसरो की सम्पत्ति
पश्चिम : बेरावल तलाला रोड,
उत्तर : भगवान जादव की सम्पत्ति
दक्षिण : भगवान नारण की सम्पत्ति।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 21-4-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-419(170)/1-1/74-75—यतः मझे जे० कथूरिया
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० फायनल प्लॉट नं० 3109 टी० पी० स्कीम नं० 3 है, तथा जो एलिस ब्रीज, अहमदाबाद में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; /या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री योगेन्द्र बालाभाई वेंकर, (2) श्रीमती लीलावती बालाभाई भोगीलाल की विधवा, देवजी सरैया की पोल साँकड़ी घेरी, अहमदाबाद (3) श्री चंद्रबदन बालाभाई वेंकर "चंद्रभुवन", सरदार पुल के निकट अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) श्री विक्रम विकास मंडल ग्रोनर्स एसोशीएशन, एलिस ब्रीज, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 28 गुंठा (यानी 3388 वर्ग गज) है और जिसका फायनल प्लॉट नं० 109 टी० पी० स्कीम नं० 3 है और जो एलिस ब्रीज, अहमदाबाद में स्थित है। तथा जिस की सीमाएं निम्नलिखित हैं:

उत्तर: फायनल प्लॉट नं० 108

दक्षिण: फायनल प्लॉट नं० 110

पूर्व: 30 फुट चौड़ी टी० पी० एस० सड़क

पश्चिम: 100 फुट चौड़ी पेन आश्रम रोड।

जे० कथूरिया,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद।

तारीख: 21-4-1975

मोहर:

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 17 जून 1975

निर्देश सं० 46-ए०/अर्जन—अतः मुझे विशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सी० के० 30/8 है तथा जो मो० मरली गली वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

15—156G1/75

- (1) श्री लल्लू राम व अन्य (अन्तरक)
(2) श्री अरुणा देवी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप,—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सफ्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फिता मकान नं० सी० के० 30/8 मय जमीन के जो कि मोहल्ला मुरली गली चौक शहर वाराणसी में स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 17-6-1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० न्यु० 23-1-411(191)/1-1/
74-75—यतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
सं० सर्वे नं० 578-14 से 578-15 से 578-15-2 एफ०
पी० नं० 578, एस० पी० नं० 3 का है;

जो टी० पी० एन० नं० 3, छदावाड, अहमदाबाद में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 6-11-1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक से रूप कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धन-कर अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ
की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्रीमती कुंजबाला हरिश्च भाई, "मंदार" ला
कालेज के पिछे एलिस ब्रिज, अहमदाबाद (अन्तरक)

(2) श्री रमेशचन्द्र नन्दलाल कोठारी मेसर्स अद्विती
एपार्टमेंट के हेतु तथा उसकी ओरसे ए०-5, मीनीता
एपार्टमेंट, न्यु० सेंट जेवियर्स हाईस्कूल रोड, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ !

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 420-165
वर्ग गज है और जिसका सर्वे नं० 578-14, 578-15 से
578-15-2, एफ० पी० नं० 578, सब प्लॉट नं० 3 का
प्लॉट नं० 4 है और जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड
अहमदाबाद में स्थित है और जिसका पूर्ण विवरण बिक्री
दस्तावेज नं० 13988 दिनांक 6-11-1974 में सब रजिस्ट्रार
अहमदाबाद द्वारा दिया गया है ।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद ।

तारीख : 28-6-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० ब्यू० 23-1-412(192)/1-1/74-75---यतः मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578, सब प्लॉट नं० 3 के प्लॉट नं० 3 है, तथा जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हरिसिद्ध भाई गोविन्दलाल "मंदार" लॉ कालेज के पिछे, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद (अन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्द्र नन्दलाल कोठारी, मैसर्ज अदितो एपार्टमेंट के हेतु तथा उसकी ओर से ए०-5 मीनिता एपार्ट-मेंट न्यु० मंट सेवियर्स हाई स्कूल रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-141 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रति आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 420-165 वर्ग गज है और जिसका सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2 एफ० पी० नं० 578 सब प्लॉट नं० 3 का प्लॉट नं० 3 है और जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड अहमदाबाद में स्थित है और जिसका पूर्ण विवरण बिक्री स्त विवेक नं० 13989 दिनांक 6-11-1974 में सब रजिस्टार द्वारा दिया गया है ।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद ।

तारीख : 28-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० व्पु० 23-1-413(193)/1-1/74-75—यतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578, सब प्लॉट नं० 3 के प्लॉट नं० 2 तथा 1 है, जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में औ पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री चन्द्रकान्ताबेन गोविन्दलाल "मंदार" लॉ कालेज के पिछे एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-6 (अन्तरक)

(2) श्री रमेशचन्द्र नन्दलाल कोठारी मैसर्स प्रदिती एपार्टमेंट के हेतु तथा उसकी ओर से ए०-5, मिनिता एपार्टमेंट न्यु० सेंट सेवियर्स हार्डि स्कूल रोड, अहमदाबाद-14 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 840.330 वर्ग गज है और जिसका सर्वे नं० 578-13, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578 सब प्लॉट नं० 3 के प्लॉट नं० 2 और 1 है और जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड अहमदाबाद में स्थित है और जिसका पूर्ण विवरण बिक्री दस्तावेज नं० 13913 तथा 13914 दिनांक 5-11-1974 में सब रजिस्ट्रार अहमदाबाद द्वारा दिया गया है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद।

तारीख : 28-6-1975
मोहर :

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० न्यु० 23-1-414(194)/1-1/
74-75—यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
सं० सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-
2, एफ० पी० नं० 578, प्लॉट नं० 5 तथा 6 सब प्लॉट
नं० 3 है, जो टी० पी० एस० नं० 3, छदावाड अहमदाबाद
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख 8-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री हरिसिद्ध भाई गोविन्द लाल स्व० श्री भुपेन्द्र
गोविन्द लाल के वसियतनामे के एक्जीक्यूटर (2) श्रीमती
कुंजबासा हरिसिद्ध भाई, स्व० श्री भुपेन्द्र गोविन्द लाल के
वसियतनामे के उपभोग ग्रहिता मंदार लॉ कालेज के पिछे
एलिसब्रिज अहमदाबाद (अन्तरक)

(2) श्री रमेशचन्द्र नन्दलाल कोठारी, मैसर्स अदिती
एपार्टमेंट के हेतु तथा उसकी ओर से ए०-5, मीनिता
एपार्टमेंट, न्यु० सेंट क्षेत्रियर्स हाईस्कूल रोड, नवरंगपुरा
अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित ह,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 840.330
वर्ग गज है और जिसका सर्वे नं० 578-14, 578-15 से
578-15-2, फायनल प्लॉट नं० 578 सब प्लॉट नं० 3
के प्लॉट नं० 5 तथा 6 और जो टी० पी० एस० नं० 3
छदावाड अहमदाबाद में स्थित है और जिसका पूर्ण विवरण
बिक्री दस्तावेज नं० 14223 तथा 14224 दिनांक 8-11-
1974 में सब रजिस्ट्रार अहमदाबाद द्वारा दिया गया है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख: 28-6-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-410 (196)/1-1/74-75—यतः मुझे, जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या सर्वे नं० 46 है, तथा जो मौजे ओकाफ, अहमदाबाद में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः, जब उक्त अधिनियम की धारा, 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

1. श्री भानुभाई हिम्मतलाल देसाई, 34, चैतन्य सोसायटी, स्टेडियम के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद । (अन्तरक)

2. रत्नम इलैक्ट्रो मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड, रेलवे क्रासिंग के निकट, सानंद रोड, सरखेज, अहमदाबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जो 2500 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जिसका सर्वे नं० 46 है और जो अहमदाबाद से विरमगाम राजमार्ग पर, सरखेज रेलवे क्रासिंग के निकट, गांव ओकाफ में स्थित है ।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद ।

तारीख : 3-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-चार, बम्बई

बम्बई, दिनांक 29 मार्च 1975

निर्देश सं० ओ० पी० 206/आई० ए० सी० ए० आर०-4/
74-75—अतः मुझे, श्री ग० सो० राव, सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जन रेंज-चार, बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम
कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वेक्षण
नं० 151/152 है, जो वरसोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन तारीख 7-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रहीम करीम मिस्त्री और अन्य, मिस्त्री कोट, दिनशा
वाछा रोड, बम्बई-20। (अन्तरक)

2. इन्दू पार्क को० आ० हाउसिंग सो० लि०, 151/152
चार बंगला रोड, वरसोवा, बम्बई-61। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का वह तमाम टुकड़ा या जमीन का खींग या जमीन जो
गांव वरसोवा, साउथ सालसेट, बृहत्तर बम्बई, जो रजिस्ट्रेशन
उप-जिला बान्द्रा जिला बम्बई उपनगर, माप में 10,000 वर्ग गज
जो 8,360 वर्ग मीटर्स या कुछ ज्यादा और कम होगी, जिसका
सर्वेक्षण नं० 151 और 152 सिटी सर्वेक्षण नं० 1330 और 1331
और जो धिरा है :—पूर्व की ओर से पब्लिक मार्ग द्वारा, पश्चिम
की ओर से जमशेदजी डोशाभाई करेन्स की मिलकत द्वारा, उत्तर
की ओर से पब्लिक मार्ग और अमोल क्रिरीक द्वारा और दक्षिण की
ओर से पब्लिक मार्ग और निचके ओर से सर्वेक्षण नं० 100 वरसोवा
द्वारा।

ग० सो० राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-चार, बम्बई

तारीख : 29-3-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 217/ए० सी० ब्यु०-23/308/7-4/74-75—
यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रे० सर्वे० नं० 255/2, वार्ड नं० 1 है, तथा जो आशा बाग, दुधिया तालाब रोड, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री बिपिनचन्द्र भगवानदास भावसार रमाबेन, भगवान दास हरीभाई की विधवा, अम्बई। (अन्तरक)

2. श्री नथुभाई कल्याणदास गांधी (एच० यू० एफ० का कर्ता) नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति (जमीन व मकान सहित) जिसका रे० सर्वे० नं० 255 पैकी, प्लॉट नं० 2, म्यु० वार्ड० नं० 1, कुल माप 8760 वर्ग फुट है और जो आशा बाग, दुधिया तालाब रोड, नवसारी, जिला बलसोर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के नवम्बर 1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2589 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II,
अहमदाबाद।

तारीख : 18-4-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० ब्यू० 23-1-399 (164)/16-6/74-75—यतः मुझे, जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 1-जी/4, प्लॉट नं० 15, स्वस्तिक सोसायटी है, तथा जो आयुर्वेदिक कालेज के पीछे, जामनगर में स्थित है (और इसके उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

यतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

16—156GI/75

1. श्री गुणवंतराय वीरजी पंडित, सुदामा चौक, पोखंडेर ।
(अन्तरक)

2. श्री भरतकुमार नरसिंहप्रसाद छोटार्डे, पटेल कालोनी,
जामनगर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही प्रर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन मकान सहित, जिसका क्षेत्रफल 7500 वर्ग फुट है और जिसका सर्वे नं० 1-जी०/4, स्वस्तिक सोसायटी का प्लॉट नं० 15 है और जो आयुर्वेदिक कालेज के पीछे, जामनगर में स्थित है ।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I,
अहमदाबाद ।

तारीख : 10-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-425 (165)/16-6/74-75—यतः मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट नं० 6 का हिस्सा है तथा जो स्वामी नारायण गुरुकुल की उत्तरी ओर, टेबर रोड, राजकोट में स्थित है (और इसके उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या वन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री जेठालाल रामचंद भाटिया, 'गंगा विहार', सरदारनगर, राजकोट। (अन्तरक)

2. श्री मनहर लाल जवेरचंद देसाई, 93, मरीन ड्राइव, 18, अहुरा महाल, बम्बई-2। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जो 228-00 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जो प्लॉट नं० 6 का हिस्सा है और जो वार्ड नं० 7, स्वामीनारायण गुरुकुल की उत्तरी ओर टेबर रोड, राजकोट में स्थित है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :—

पूर्व :—टेबर भाई रोड

पश्चिम—जयंतकुमार माधवजी की जमीन।

उत्तर—प्लॉट नं० 5।

दक्षिण—अनील कुमार विनोदराय कामदार का मकान।

जे० कथूरिया,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 10-4-1975

मोहर :

प्ररूप आर्दं टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-1-608 (198)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० फायनल प्लॉट नं० 517-2-बी० टी० पी० एस० नं० 3, तथा जो नेहरू ब्रिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11-11-74

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

यतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स साधुराम गोरधनलाल फर्म के हेतु तथा उसकी ओर से —

- (1) श्री साधुराम बी० अंदाणी,
- (2) श्री गोरधनलाल एस० अंदाणी
- (3) श्री किशनलाल एस० अंदाणी
- (4) कुमारी भाग्यवती एस० अंदाणी

नेताजी क्लाय मार्केट, कालुपुर कोटनी रांग, अहमदाबाद ।
(अन्तरक)

2. मुरलीधर ओमकारनाथ सानेक चौक, महोरत पोल, अहमदाबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जिसका दुकान नं० एस०/35 ए और जो कंपीटल कमर्शल सेंटर के भुमंजिले पर ब्लाक बी में स्थित है और जिसका फायनल प्लॉट नं० 517-2-बी० टी० पी० एस० नं० 3 है और जो नेहरू ब्रिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद में स्थित है ।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद ।

तारीख : 4-7-1975

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-609 (199)/1-1/75-
76—यतः, मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43),

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लयनल प्लाट नं० 517-2-बी० टी० पी०
एस० नं० 3 है, तथा जो नेहरू भिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदा-
बाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन तारीख 1-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए :—

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स साधुराम गोरधनलाल फर्म के हेतु तथा उसकी
ओर से—

- (1) श्री साधु राम बी० अंदाणी,
- (2) श्री गोरधनलाल एस० अंदाणी,
- (3) श्री कीशनलाल एस० अंदाणी
- (4) कुमारी भाग्यवती एस० अंदाणी

नेताजी क्लथ मार्केट, कालुपुर कोटनी रांग, अहमदाबाद ।
(अन्तरक)

(2) दामोदरदास करसनदास अश्रुवाला, एडवोकेट,
बी० नं० 4 ए०, राजहंस सोसायटी, एलिज भिज,
अहमदाबाद ।
(अन्तरिती)

3. मैसर्स प्रविण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (वह व्यक्ति, जिसके
अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकें ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जिसका आफिस नं० ए०/58 है और जो
कैपिटल कमर्शल सेंटर के चौथे मंजले पर ब्लाक ए में स्थित है
और जिसका फायनल प्लाट नं० 517-2-बी०, टी० पी० एस०
नं० 3 है और जो नेहरू भिज के निकट, आश्रम रोड, अहमदाबाद
में स्थित है ।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद ।

तारीख : 4 जुलाई 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/सतना/10-11-74—अतः मुझे,
बी० के० सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है
और जिसकी सं० खुला प्लॉट है, जो बम्हनगवां में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, सतना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10-11-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे,
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के
अन्तरक के क्षयित्व में कमी करने या
उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती दुर्गावती पति रामलाल कायात, निवास बम्हनगवा
सतना। (अन्तरक)

2. श्रीमती जसोदा बाई, पति त्रिलोक चन्द, (2) राजेन्द्र
कुमार पिता त्रिलोकचन्द, (3) श्री इंदरलाल पिता जमायत राव,
सतना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला प्लॉट भूमि बम्हनगवां सतना, एरिया 8800 स्क्वायर
फीट।

वि० कु० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 1-7-75

मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/जबलपुर/8-11-74—अतः मुझे,
वी० के० सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० खुला प्लॉट है, जो चेरी ताल वार्ड में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक 8-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आंस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बदीप्रसाद पिता जीवनलाल, निवास मकान नं० 2,
जीवन कालोनी, जबलपुर। (अन्तरक)

2. श्री शिवप्रसाद पिता फूलचन्द, (2) राम किशन पिता
फूलचन्द, 357 ईस्ट निवाडगंज, जबलपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला प्लॉट बना हुआ, पीतलवार्ड, जबलपुर एरिया 38250
वर्ग फीट।

वि० कु० सिन्हा,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 1-7-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/ग्वालियर/20-11-74—अतः मुझे,
वही० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा
गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान नं० 1 ए० है, जो निमालकर की गोद
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर
में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक 20-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक
है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-न के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कुशना कुमार अग्रवाल पिता विश्ववर प्रसाद अग्रवाल
निवास नयाबजार, लखर, ग्वालियर। (अन्तरक)

2. श्री पं० मोमप्रकाश मिश्र, पिता पं० रुद्रदत्त मिश्र निवास
निमालकर की गोद, ग्वालियर। (अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 19/261 निमालकर की गोद, लखर, ग्वालियर।

वि० कु० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 1-7-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/ग्वालियर/21-11-74—अतः मुझे,
व्ही० कु० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है और

जिसकी संख्या सं० मं० नं० 37/53 है, जो कुदालकर की गोट,
ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर
में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक 21-11-74 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरिक्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या 'उक्त अधिनियम', या घन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ
के अन्तरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नन्दलाल पिता गोपी चन्द्र, अमरपुरी, निवास टोपी
बाजार, लखर, ग्वालियर। (अन्तरक)

2. श्री वैजनाथ अग्रवाल पिता श्री गणेशराम अग्रवाल,
चीफ कैशियर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामीन से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाव में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 37/53 कुदालकर की गोट, लखर, ग्वालियर।

वि० कु० सिन्हा,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख 1-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/जबलपुर/28-11-74—अतः मुझे, वी० के० सिन्हा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 307 है, जो सराफा बाई, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

17—156GI/75

1. श्री सुबलनाथ चौरमिया, निवास हिरदयनगर, संभलपुर, जबलपुर। (अन्तरक)

2. श्रीमती उमिला देवी जीजे चतुर्भुज चौरमिया निवास गढ़कोटा रहली, जिला सागर हाज, जबलपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् स्थावरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुपूर्वी

मकान नं० 307, 307-ए० और 308 साठियाकुआ, सराफा बाई, जबलपुर।

वि० कु० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 1-7-75

सोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/विलासपुर/18-11-74—अतः, मुझे,
बी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000-/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान है, जो जून विलासपुर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, विलासपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-11-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायिन्व में कमी करने या उसमें बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती जैतूनवी विधवा सफदर अली, (2) श्रीमती
मैमनावाई जीजे हातिमभाई, (3) श्रीमती मुगराबाई, दुर्ग।
(अन्तरक)

2. श्री मनसूर अली पिता अब्बासभाई, खपरगंज, विलासपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान बना हुआ जून विलासपुर, मकान नं० 110 ए, खसरा
नं० 202, विलासपुर।

वि० कु० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 1-7-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० 23-1/578 (190)/5-1/75-76—अतः मुझे
पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी सं० सिटी, सर्वे सानंद नं० 2199-बी०, प्लॉट है, तथा
जो नं० 17, वीर भद्र नगर, भावनगर में स्थित है (और उसके
उपाब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-11-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए या,
छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब
की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. रतीलाल बनमाली शर्मा, मार्फत रिभाई वशराम भाई
का घर, सेठ हाई स्कूल के सामने, वाणियावाडि नं० 3, राजकोट
(अन्तरक)

2. डा० किशोरकान्त बनमालीदास शर्मा, संघेडीया बाजार,
भावनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दो भाग मकान, 432 वर्ग मीटरस जमीन पर बंधःयेल है,
जो सिटी सर्वे सानंद नं० 2199 बी०, प्लॉट नं० 17 वीरभद्र नगर
भावनगर में है। जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भावनगर द्वारा
ता० 12-11-1974 को किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1741
में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 24-6-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 17 जून 1975

निर्देश सं० 22-जे०/अर्जन—अतः पुंज, विजयपुर नाथ,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० ----- है तथा जो मोहल्ला नरकुला गंज, बरेली
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकृत
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-11-74
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिता (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिता द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राज बहादुर जौहरी (अन्तरक)

2. श्री जगदीश प्रसाद व अन्ग (अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में दृष्टापरिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

एक कित्ता सकान का आधा भाग जिसका कुल रकबा
360 वर्ग गज है, जिसमें 9 कमरे, मोटर गैरेज, गुस्लखाना, पाखाना
तथा आंगन आदि शामिल हैं। यह मोहल्ला नरकुला गंज बरेली
में स्थित है।

विजयपुर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ।

तारीख : 17-6-1975

मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 12th June 1975

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(II).—The President is pleased to appoint Shri P. D. Srivastava a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 28-4-75 to 28-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(III).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Maga a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 1-5-75 to 21-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III(IV).—The President is pleased to appoint Shri R. L. Madan, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 1-5-75 to 15-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary,
Union Public Service Commission.

New Delhi-110011, the 24th May 1975

No. A. 32014/1/75-Admn.III.—In continuation of this office notification No. A. 32014/1/74 -Admn. III dated 5-3-75, the President is pleased to appoint Shri S. D. Sharma, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 16-2-75 to 24-5-75 or until further orders, whichever is earlier.

The 11th June 1975

No. A. 38013/1/74-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri R. P. Satkaria, a permanent Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission and officiating as Under Secretary in the same office, to retire from Govt. service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 1975.

The 12th June 1975

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(VI).—In partiel modification of this office notification of even number dated 19-4-75, the President is pleased to appoint Shri M. N. Sangameswaran, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 68 days from 3-3-75 to 9-5-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(V).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Gupta, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 52 days from 15-5-75 to 5-7-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(I).—The President is pleased to appoint Shri P. S. Sabherwal, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 48 days from 14-4-75 to 31-5-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(VII).—The President is pleased to appoint Shri B. R. Basra, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 68 days from 19-5-75 to 19-7-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(VIII).—The President is pleased to appoint Shri M. N. Sangameswaran, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 89 days from 12-5-75 to 3-8-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(IX).—In continuation of this office notification of even No. dated 24-5-75, the President is pleased to appoint Shri S. D. Sharma, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 25-5-75 to 15-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(X).—The President is pleased to appoint Shri G. Natarajan a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 26-5-75 to 11-7-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(XI).—In continuation of this office notification of even number dated 19-4-75, the President is pleased to appoint Shri Dhanish Chandra, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 1-6-75 to 31-12-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(XII).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Mathur, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 2-6-75 to 1-9-75 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 13th June 1975

No. A. 12019/5/74-Admn.II.—In continuation of the Union Public Service Commission's Notification of even number dated 4-4-1975, the Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri M. S. Chhabra, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission to continue to officiate on an ad hoc basis, as Junior Analyst in the Commission's office for a further period of 3 months with effect from 1-6-1975 to 31-8-1975, or until the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

Shri Chhabra will continue to be on deputation to an *ex-cadre* post of Junior Analyst and his pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O.M.No. F. 10 (24)-E.III/60 dated the 4th May, 1961, as amended from time to time.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
For Secretary
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMN.
REFORMS)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110001, the 17th June 1975

No. N. 31/65-AD.V.—Consequent on his selection as Senior Vigilance Officer in Air India, H. Q. Bombay, Shri N. P. Rege relinquished charge of the Office of Dy. S. P./C.B.I. GOW, Bombay on the afternoon of 31-5-75.

The 20th June 1975

No. F. No. S-169/68-AD.V.—Consequent on his repatriation from the Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs), New Delhi, Shri S. N. Mukherjee, has taken over charge of the office of Dy. S. P., CBI, SPE, GOW Delhi Br. on the afternoon of 2-6-75 until further order.

The 21st June 1975

No. A. 7/74-AD.V.—Consequent on his repatriation to his parent State Police Department, Shri D.K.M. Abdul Razak, Dy. S. P., C. B. I. relinquished charge of the office of Dy. S. P., C.B.I. GOW/SPE/Madras on the afternoon of 31-5-75.

The 25th June 1975

No. A. 19021/7/75-AD.V.—The President is pleased to appoint Sh. B. P. Saha, I.P.S. (Orissa), on deputation, to C.B.I., S.P.E. to officiate as Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, Special Police Estt. in a temporary capacity with effect from the afternoon of 13-6-75 until further orders.

G. L. AGARWAL
Administrative Officer (E)
C. B. I.

LAL BHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY
OF ADMINISTRATION

Mussoorie, the 21st June 1975

No. 195-ESP.—On the expiry of leave preparatory to retirement with effect from 18-8-74 to 31-10-74, Shri C. D. Sahni, Accounts Officer, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, retired from service with effect from 31-10-74 (AN).

S. P. SINGH
Deputy Administrative Officer

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 19th June 1975

No. 25/39/73-Ad.I.—Consequent on his selection for Jawahar Lal Nehru Fellowship, Dr. B. K. Roy Burman relinquished charge of the post of Deputy Registrar General (Social Studies) with effect from the forenoon of 16 April 1975.

BADRI NATH
Deputy Registrar General, India &
ex-officio Deputy Secy.

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 5th May 1975

No. E-38013(3)/1/75-Ad.I.—On transfer from Jharia, Shri Y. P. Jogeswar, Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, BCCL, Jharia relinquished the charge of the post with effect from the Afternoon of 12th April, 1975 and assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Bhilai Steel Plant, Bhilai with effect from the forenoon of 17th April 1975.

The 17th May 1975

No. E-31013(2)/5/74-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector D. R. Lal to officiate as Assistant Commandant/ Central Industrial Security Force, CISF Unit Govt. Opium and Alk Works, Ghazipur (Uttar Pradesh), with effect from the forenoon of 1st January, 1975, until further orders, who assumed the charge of the post with effect from the same date.

The 26th May 1975

No. E-38013(2)/1/75-Ad.I.—On transfer to MAMC, Durgapur, Shri Lachaman Dass, Indian Police Service, Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Durgapur Steel Plant, Durgapur, relinquished the charge of the post with effect from the Afternoon of 5th May, 1975.

The 11th June 1975

No. E-16014(3)/21/73-Ad.I.—On repatriation to Gujarat State Police Cadre on the expiry of his present term of deputation in the Central Industrial Security Force, Shri R. B. Chudasama relinquished the charge of the post of Commandant Central Industrial Security Force Unit IPCL Baroda with effect from the forenoon of 28th April 1975.

The 13th June 1975

No. E-16013(2)/1/75-Ad.I.—On transfer from Gujarat State, Shri Y. B. Jhala, IPS, assumed the charge of the post of Commandant Central Industrial Security Force Unit IPCL, Baroda, with effect from forenoon of 26th April 1975 vice Shri V. K. Jhala, IPS.

2. Shri V. K. Jhala, IPS, on repatriation to the Gujarat State Cadre, relinquished the charge of the above mentioned post with effect from the forenoon of the same date viz. 26th April 1975.

L. S. BISHT
Inspector General

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE
POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 16th May 1975

No. O.II-401/69-Estt.—Consequent on the expiry of his term of deputation, the services of Shri K. Nanu, Dy. SP are replaced at the disposal of the Govt. of Kerala wef the afternoon of 31st March, 1975.

The 17th May 1975

No. P. VII-4/74-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion, the following Subedar Majors/Subedars of CRP Force to the post of Deputy Superintendent of Police (Company Commander/Quarter Master) in a temporary capacity until further orders.

2. They took over charge of the post in the Battalions/Group centres on the dates noted against each :—

S. No.	Name of the Officer	Bn/GC to which posted	Date of taking over charge
1.	Shri Sarab Singh	17th Bn	13-3-75 (F.N.)
2.	Shri M. B. Gautam	54th Bn	6-3-75 (F.N.)
3.	Shri Chet Ram	2nd Bn	18-3-75 (A.N.)
4.	Shri Mohan Singh	GC (k)	11-3-75 (F.N.)
5.	Shri B. Krishna Swamy	14th Bn	4-3-75 (A.N.)
6.	Shri Rameshwar Singh	10th Bn	13-3-75 (F.N.)
7.	Shri Sube Singh	10th Bn	13-3-75 (F.N.)
8.	Shri Kharka Bahadur	2nd Bn	24-3-75 (A.N.)
9.	Shri Jagmal Singh	GC BBSR	4-3-75 (F.N.)
10.	Shri Sohan Singh	GC Avadi	3-3-75 (F.N.)
11.	Shri Bishan Dass	19th Bn	22-3-75 (A.N.)
12.	Shri G. R. Purohit	GC Hyd.	31-3-75 (A.N.)
13.	Shri Amar Singh Rai	24th Bn	6-3-75 (F.N.)
14.	Shri Pritam Singh	42nd Bn	4-3-75 (A.N.)
15.	Shri Shiv Narain Singh	GC Tvm.	11-3-75 (F.N.)
16.	Shri Bhan Singh	GC (K)	5-3-75 (F.N.)
17.	Shri Santokh Singh	20th Bn	12-3-75 (F.N.)
18.	Shri Prahlad Singh	60th Bn	25-3-75 (F.N.)
19.	Shri Sagar Singh	11th Bn	15-3-75 (A.N.)
20.	Shri Prahlad Patil	47th Bn	10-3-75 (F.N.)
21.	Shri Bhopal Singh	5th Bn	4-3-75 (A.N.)
22.	Shri Mast Ram Kashyap	4th Bn	14-3-75 (F.N.)
23.	Shri Balbir Singh	59th Bn	14-3-75 (A.N.)
24.	Shri Bhagwan Singh	17th Bn	5-3-75 (F.N.)
25.	Shri Nirnal Singh	45th Bn	8-3-75 (F.N.)
26.	Shri O. P. Sharma	59th Bn	15-3-75 (F.N.)
27.	Shri Bhule Ram Singh	41st Bn	15-3-75 (F.N.)
28.	Shri Hukam Chand	41st Bn	5-3-75 (F.N.)
29.	Shri Ranbir Singh	1st Sig Bn	6-3-75 (A.N.)
30.	Shri Sahi Ram	2nd Sig Bn	7-3-75 (F.N.)
31.	Shri C. K. Bhaskara Kurup	3rd Sig Bn	5-3-75 (A.N.)
32.	Shri Man Singh	3rd Sig Bn	1-4-75 (F.N.)

The 19th May 1975

No. O.II-83/70-Estt.—While proceeding on 59 days leave preparatory to retirement from 1-2-75 to 21-3-75 Lt. Col. K. N. Sen (Retd) an officer of the Indian Army on deputation to the CRP Force relinquished charge of the post of Commandant GC CRPF Poona on the afternoon of 31st January, 1975.

II

The President is pleased to appoint on re-employment Lt. Col. K. N. Sen (Retd) as Commandant in the CRPF in a temporary capacity until further orders.

He took over charge as Commandant GC CRPF Poona on the forenoon of 1st April, 1975.

The 2nd June 1975

No. O.II-991/74-Estt.—Consequent on the acceptance of his resignation Dr. Ramesh Keshao Rao Kadam relinquished charge of the post of JMO 26th Bn. CRP Force on the afternoon of 5th May, 1975.

The 3rd June 1975

No. O.II-1007/75-Estt(CRPF).—The Director General, CRP Force is pleased to appoint Dr. Ranjan Kumar Das as J.M.O. in the CRP Force, on an ad hoc basis initially for a period of one year with effect from the forenoon of 11th March, 1975.

2. Dr. Ranjan Kumar Das, is posted to R.T.C. II, C.R.P.F., Avadi (Madras).

The 4th June 1975

No. O.II-1015/75-Estt(CRPF).—The Director General, CRP Force is pleased to appoint Dr. Murari Dehury as J.M.O. in the CRP Force, on an ad hoc basis initially for a period of one year with effect from the forenoon of 18th April, 1975.

2. Dr. Murari Dehury, is posted to 18th Bn., C.R.P.F.

The 13th June 1975

No. D.I-2/75-Estt.—Consequent on his appointment as Deputy Superintendent of Police in the ICFS, the Services of Shri H. C. Sood, Dy. SP of Control Room, Dte. General, CRPF are placed at the disposal of the ICFS wef the afternoon of 30th April, 1975.

The 17th June 1975

No. O.II-58/70-Estt.—Lt. Col. S. K. Roy, relinquished charge of the post of Commandant Group Centre No. II CRPF Ajmer on the afternoon of 23rd April, 1975, while proceeding on 7 days Earned Leave (LPR) wef 24-4-75 to 30-4-75.

2. Lt. Col. S. K. Roy, will be deemed to have relieved from the CRPF wef 30-4-75 (AN) on expiry of his leave and term of re-employment, on the above date.

The 18th June 1975

No. O.II-963/74-Estt.—The Director General, CRPF, is pleased to accept the resignation tendered by Dr. Multani Ram Lamba, JMO GC CRPF Jammu wef the forenoon of the 15th Feb. 1975.

The 19th June 1975

No. F.2/34/75-Estt.(CRPF).—The President is pleased to appoint on promotion on ad-hoc basis, Shri R. S. Yadav, DY, SP (Coy Comdr./Quarter Master) as Assistant Commandant in the CRP Force in a temporary capacity until further orders.

2. He handed over charge of the post of DY, SP (Coy Comdr./Quarter Master) 17th Bn CRPF on the afternoon of 17th May, 1975 and took over charge of the post of Assistant Commandant 44th Bn CRP Force on *ad hoc* basis on the forenoon of 20th May, 1975.

No. P.VII-4/74-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion Subedar Durgadhan as DY, SP (Cov. Comdr./QM) in the CRPF w.e.f. the forenoon of the 31st May, 1975 in a temporary capacity in leave vacancy until further orders.

2. He is posted to 2nd Signal Bn and has taken over charge of his post on the forenoon of the same date.

S. N. MATHUR, Asstt. Dir. (Adm.)

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hydrabad, the 12th June 1975

No. 42/1/72-Estt.—Shri A. N. Pande, a permanent Hindi Teacher under the Hindi Teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs is appointed substantively to the post of Hindi instructor (Class II Gazetted) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 from 1-4-1975.

S. M. DIAZ, Director.

MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS BANK NOTE PRESS

Dewas, the 3rd June 1975

F. No. BNP/E/Spl/36.—The Recruitment Rules having been finalised, the officiating appointment of Shri N. C. Sengupta, Permanent Inspector Control, India Security Press as Control Officer in the Bank Note Press, Dewas is continued on *regular basis* w.e.f. 20-3-75(FN) to 20-1-1976(AN).

D. C. MUKHERJEA, G.M.

SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad, the 20th June 1975

No. Pd-7/3639.—Further to this office Notification No. Pd-7/1438 dated 15-5-1975, Shri Joy Peter, Foreman is allowed to continue to officiate as Assistant

Works Manager in the Security Paper Mill, Hoshangabad in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 for a further period from 18-6-1975 to 9-7-1975 vice Shri M. Padmanabhan, Assistant Works Manager on leave.

S. R. PATHAK
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDIT GENERAL OF INDIA
New Delhi, the 18th June 1975

No. 565/CA.1/18-75—The Additional Deputy Comptroller and Auditor General (C) has been pleased to promote the following Sectional Officers (Coml.) as Audit Officers (Coml.) and appoint them to officiate as Audit Officers (Coml.) and post them as such in the offices noted against each name in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 below, until further orders :—

Name of the Section Officer (Coml.)	Office where working before promotion	Office where posted on promotion as audit Officer (Coml.)	Date of posting as offg. Audit Officer (Coml.)
1. Shri M. Painkras	A.G. Kerala	A.G. Kerala	25-3-75 (F.N.)
2. Shri M. L. Panghotra	A.G. Punjab	A.G. Punjab	14-3-75 (F.N.)
3. Shri T. L. Gupta	MAB & EO DCA., New Delhi	A.G. Bihar-II, Patna	7-4-75 (F.N.)
4. Shri R. Nararajan	A.G. (T.N.) Madras	A.G. Tamil Nadu	17-3-75 (F.N.)
5. Shri B. D. Carg	A.G.M.P.	MAB & E.O.DCA, (Coal) Calcutta	31-3-75 (F.N.)
6. Shri S. B. S. Agarwal	MAB & E.O. DCA, Calcutta	MAB & E.O. DCA, Calcutta	4-4-75 (A.N.)
7. Shri R. P. Bhatia	MAB & E.O.DCA, New Delhi	A.G. Bihar-II, Patna	7-4-75 (F.N.)
8. Shri K. Jagin Mohan Achary	A.G.A.P.	A.G. Karnataka	31-3-75 (F.N.)
9. Shri G. C. Pandey	C.A.C.A., Bhopal under MAB & E.O. DCA., Bombay	MAB & E.O. DCA, Ranchi.	31-3-75 (F.N.)
10. Shri P. Samuel Arul Raj	A.G. (Tamil Nadu)	A.G. Tamil Nadu	17-3-75 (F.N.)
11. Shri A. V. L. Narayana	A.G.A.P.	MAB & E.O.DCA., Bangalore.	31-3-75 (F.N.)

S.D. BHATTACHARYA
Dy. Director (Commercial)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
WEST BENGAL

Calcutta-1, the 2nd June 1975

The Accountant General, West Bengal, has been pleased to appoint the following permanent Section Officers, to officiate as Accounts Officers in temporary and officiating capacity with effect from the date/dates on which they actually take over charge hereafter as Accounts Officers in the office/office of the Accountant General, Central Calcutta until further orders :—

1. Shri Gopal Chandra Das.
2. „ Sukhendra Nath Saha.
3. „ Debabrata Biswas.

Shri Gopal Chandra Das on being relieved by the R.A.O., K P. Bankura may report to the Sr. D.A.G. (Admn) of this office for taking over charge as Accounts Officer before proceeding to the control of Sr. D.A.G.(W) for final posting against vacancy in W.A.D.

Shri Sukhendra Nath Saha, on being released from his deputation post of Asstt. Accounts Officer under Govt. of West Bengal, Labour Deptt., E.S.I.(MB) Scheme and Shri Debabrata Biswas on being released by Sr. D.A.G(RA), office of the Accountant General West Bengal, may report to Dy. Accountant General (Admn), Office of the Accountant General, Central for taking over charge as Accounts Officer against the existing vacancies in his office.

The Accountant General, West Bengal, has also been pleased to grant Shri Dehendra Nath Bera, permanent Section Officer on deputation to Calcutta Improvement Trust proforma promotion as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-1200/- in temporary and officiating capacity with effect from the date on which his immediate Junior Shri Gopal Chandra Das takes over charge as Accounts Officer in the office of the Accountant General, West Bengal and until further orders. All the conditions precedent to the grant of

promotion under the "Next Below Rule" stand fulfilled in this case and the Accountant General is pleased to declare the post held by Shri Bera on deputation to be outside the ordinary line of service under the second proviso to FR 30(1).

3. The inter-se-seniority of the officers will be indicated in due course.

G. DAS,
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
UTTAR PRADESH I

Allahabad, the 6th June 1975

No. Admn. I/11-144(XI)/69.—The Accountant General, Uttar Pradesh I, Allahabad has appointed the following Section Officers to officiate as Accounts Officers in this Office with effect from the dates noted against each till further orders :—

1. Shri Radhey Shyam Agrawal, 21-4-75.
2. „ Jwala Prasad Agrawal, 12-5-75.
3. „ Nathu Ram, 9-5-75.
4. „ Om Prakash Nagpal, 29-5-75.
5. „ Lajpat Rai Gupta, 29-5-75.

U. RAMCHANDRA RAO,
Sr. Dy. A.G. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ASSAM,
MEGHALAYA, MIZORAM, ARUNACHAL PRADESH

Shillong-1, the 19th June 1975

No. Estt.3/GO/PC/1646-47.—Shri Chitta Ranjan Biswas a permanent Section officer of this office who is on deputation as Accounts Officer in the Directorate of Industries, Government of Nagaland, has been given Proforma Officiating promotion as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200/- in the office of the Accountant General with effect from 26-12-74 (F.N.).

It is certified that Shri Biswas has fulfilled the necessary conditions for grant of Proforma promotion under the next below rule. It is also certified that but from his deputation he would have continued to officiate as Accounts Officer.

[Authority :— AG's Orders dated 28-5-75 at P/17 in file No. Estt.1/5-53/71-72.]

(Sd) ILLEGIBLE
Sr. Dy. A.G.(A)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
MADHYA PRADESH-II

Gwalior, the 3rd June, 1975

No. OE.VI/Gos-RTD/362.—Shri Sadashiv Vittalrao Baxi, Officiating Accounts Officer in the Office of the A.G.M.P. II Gwalior, retired from Govt. service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31-5-75 (AN).

M. M. NARSINGHAM, Dy. A.G. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
JAMMU AND KASHMIR

Srinagar, the 4th June 1975

No. Admn.I/60(74)75-76/818-819.—The Accountant General Jammu and Kashmir, has appointed Shri Durga Nath a permanent Section Officer of this office to officiate as Accounts Officer with effect from the afternoon of 31st May, 1975 until further orders.

P. K. BOSE, Sr. Dy. A.G. (A & E)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, NORTHERN RLY.

New Delhi, the June 1975

No. Admn./17-14/72.—Shri Harcharan Singh, Section Officer (Audit) a permanent member of Subordinate Railway Audit Service, is appointed to officiate as Audit Officer at Divisional Audit Office, Northern Railway, Bikaner w.e.f. 27-5-75 (F.N.) until further orders.

K. S. RANGAMURTI, Chief Auditor

New Delhi, the June 1975

No. Admn./17-22/73.—The Chief Auditor, Northern Railway is pleased to appoint S/Shri Mulk Raj Dhingra, Ajajib Singh Thakur, Sudershan Chandra, Om Parkash Broota and Radhey Shyam Sharma offg. Audit Officer in a substantive capacity in the Audit Officers grade w.e.f. 1-3-1975.

R. K. VARMA, Dy. Chief Auditor

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, N.F. RAILWAY

Gauhati-11, the 4th June 1975

No. Admn./5-16/58/63/35A.—Shri P. Lahiry, officiating Audit Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/- is appointed in a substantive capacity in the same scale with effect from 1-3-1975.

A. P. GHOSH, Chief Auditor

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR,
CENTRAL RAILWAY

Bombay, the 1st May 1975

G.O.C. No. 330.—Shri C. J. Bhagtani, a permanent Section Officer (Audit) officiating as Audit Officer in this office is hereby appointed to a permanent post of Audit Officer in substantive capacity with effect from 1-3-74.

P. C. CALLA, Chief Auditor.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT,
DEFENCE SERVICES

New Delhi the 23rd June, 1975

No. 1702/A-Admn/130/75.—The Director of Audit, Defence Services, New Delhi is pleased to appoint Shri C.R. Ganguli, Substantive member of the S.A.S. to officiate as Audit Officer in the office of the Director of Audit, Defence Services, New Delhi with effect from 16-6-75 (F.N.) until further orders.

R. BASHYAM, Audit Officer. DS

REFERENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 3rd June 1975

No. 40011(2)/74-AN-A.—(1) Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Article 459 (i) Civil Service Regulations, Volume I, Shri Gurbux Singh Johar, Officiating Accounts Officer (Roster Number O/366), serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun will be transferred to pension establishment with effect from the forenoon of 25th July 1975.

Entries against serial No. 6 in this department notification No. 40011(2)/74-AN-A dated 25-3-1975 relating to Shri Gurbux Singh Johar are cancelled.

(2) The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of Shri B. B. Ganguly, Permanent Accounts Officer (Roster Number P/574) in the organisation of the Controller of Defence Accounts, Patna on 6-4-1975.

Shri B. B. Ganguly is accordingly struck off the strength of the department from the forenoon of 7-4-1975.

S. K. SUNDARAM

Addl. Controller General of Defence Accounts
(AN)

MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES
DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE
FACTORIES

Calcutta-700069, the 29th May 1975

No. 1/75/M.—The President is pleased to grant extension of service for one year with effect from 1-10-74 to Dr. D. P. Roy, Permt. Asstt. Surgeon Grade I, Rifle Factory, Ishapore.

R. M. MUZUMDAR

Director General, Ordnance Factories

IOFS

Calcutta, the 13th June 1975

No. 21/G/75.—On attaining the age of superannuation, Shri Jarnail Singh, Offg. Asstt. Manager (Pt. Store-Holder) retired from service with effect from 30th April, 1975 (A/N).

No. 22/75/G.—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. P. Chatterjee, Permt. A. M. (on deputation to Institute of Armaments, Ranchi) with effect from 18th April, 1972.

R. SUNDARAM,

Assistant Director General,
Ordnance Factories

ADDL. DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE
FACTORIES

ORDNANCE EQUIPMENT FACTORIES GROUP

Kanpur-5, the 29th May 1975

Sub :—Cazette Notification—Amendment of—Shri G. C. Dass, Ex. Offg. ADG Gr. I

No. 85/A/G/OEF.—The following amendment is hereby made to this office Gazette Notification No. 1/75/OEF dt. 23-5-75 circulated under this office letter No. 85/A/G/OEF dt. 23-5-75 is as under :—

Line 2 :

For : 'Offg. ADGOF Gr. II'

Read : 'Offg. ADGOF Gr. I'

Kanpur-5, the 3rd June 1975

Sub: Gazette Notification—Amendment of Shri G. D. Suri,
Offg. Dy. Manager

No. 63/A/G/OEF.—The following amendment is hereby made to this office Gazette Notification No. 2/75/OEF dated 23-5-75 circulated under this office letter No. 63/A/G/OEF, dated 23-5-75 is as under:—

Line 2:

For: "...30th Dec. 1974 (AN)"

Read: "...31st Dec. 1974 (AN)"

S. K. DUTT, Asstt. Dir., Gnl.
Ordinance Factories

2. Shri R. P. Dhanudiyal will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

A. T. MUKHERJEE
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 20th May 1975

No. CER/6/75.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, and with the previous sanction of the Central Government, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No TC(4)/58, dated the 7th March 1958, namely:—

In the Table appended to the said Notification in columns 2 and 3 for the existing entries against serial No 20, the following shall be substituted, namely:—

2	3
(i) Director of Civil Supplies, Panaji.	Union Territory of Goa, Daman and Diu
(ii) Dy. Director of Civil Supplies, Panaji.	
(iii) Inspectors of Civil Supplies.	
(iv) Sub-Inspectors of Civil Supplies.	
(v) Asst. Inspectors of Civil Supplies.	
(vi) Civil Administrator, Diu.	
(vii) Block Development Officer, Daman.	

The 4th June 1975

No. CER/3/75.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order 1948, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/3/69, dated the 19th September, 1969, namely:—

In the said Notification,—

For Clause (2) of paragraph III, the following clause shall be substituted, namely:—

"(2) The words "BLENDED FABRIC" on cloth manufactured partly from cotton and partly from art silk or partly from cotton and partly from wool and containing more than 40% but less than 75% of cotton by weight,

Provided that the manufacturer shall stamp the name of the variety by which the cloth is commonly known and also the exact percentage of the different types of yarn used in the fabric before the words "BLENDED FABRIC" as illustrated below:—

'Dhoti—60% cotton 40% art silk (Polyester)—BLENDED FABRIC'

Note.—The example given above is only for the purpose of illustration. Manufacturers shall stamp the actual percentage of cotton content or the art silk or wool content as the case may be in the blended fabric while stamping, expressed as percentage to the total yarn content of both warp and weft yarn put together. In the case where art silk yarn is used as one of the component in the blended fabric, its generic name shall be stamped in brackets immediately after the words "art silk" as indicated in the illustration above."

G. S. BHARGAVA
Joint Textile Commissioner

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

New Delhi, the 30th May 1975

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL
(ESTABLISHMENT)

No. 6/276/54-Admn(G)/3541.—Shri K. S. Nagarkatti, Dy. Chief Controller of Imports & Exports, Panjim (Goa) has been granted earned leave for 88 days wef 5-5-75, preparatory to retirement with permission to prefix to his leave the 4th May, 1975 being a closed holiday.

2. Shri Nagarkatti is due to retire from Government service on 31-7-1975 (AN).

The June 1975

No. 6/898/70-Admn(G)/3934.—On attaining the age of superannuation, Shri J. M. Sinha relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st May, 1975.

The 19th June 1975

No. 6/895/70-Admn(G)/3892.—On attaining the age of superannuation, Shri A. M. Srinivasan an officer permanent in the Selection Grade of the CSSS relinquished charge of the post of Private Secretary to the Chief Controller of Imports & Exports, in this office on the afternoon of the 31st May, 1975.

B. D. KUMAR
Chief Controller of Imports & Exports

New Delhi, the 2nd June 1975

No. 6/1060/74-Admn(G)/3551.—The Chief Controller of Imports & Exports hereby appoints Shri M. R. Ratti, Inspector in the Central Excise Collectorate, Delhi as Controller of Imports & Exports Class II (Non-CSS) in the office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from 9-5-75 (forenoon), until further orders.

2. Shri M. R. Ratti will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

The 3rd June 1975

No. 6/1035/74-Admn(G)/3577.—The Chief Controller of Imports & Exports hereby appoints Shri R. P. Dhanudiyal, Assistant Marketing Officer, Ministry of Agriculture and Irrigation, Directorate of Marketing and Inspection, Guntur, as Controller of Imports & Exports Class II (Non-CSS) in the Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports, Panjim, Goa in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5-5-75 until further orders.

Bombay-20, the 23rd June 1975

No. EST-1-2(415).—Shri N. C. Bandopadhyaya, Deputy Director (P & D) in the Regional Office of the Textile Commissioner, Kanpur, retired from Service w.e.f. 30-4-1975 (afternoon) on attaining the age of superannuation.

R. P. KAPOOR
Textile Commissioner

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

Calcutta, the 21st May 1975

No. Jute(A)/490/65.—The Jute Commissioner hereby releases Shri S. Banerjee, Officiating Cost Accountant (Class II Gazetted) in this office with effect from the afternoon of the 24th June, 1975 to take charge of the post of Assistant Cost Accounts Officer in the India Government Mint, Bombay.

This is in supersession of this office Notification of even number dated 7-5-75.

N. K. ROY
Administrative Officer
for Jute Commissioner

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 3rd June 1975

No. 12/632/69-Admn.(G).—On return from deputation under ITEC Programme to Government of Mauritius, Shri O. C. Richards assumed charge of the post of Assistant Director (Grade II) (Civil Engineering) in the office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi on the forenoon of 12th May, 1975.

The 24th June 1975

No. A. 19018/178/75-Admn(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, is pleased to appoint Shri Shiv Dayal, Superintendent, Small Industries Service Institute, Jaipur, to officiate as Assistant Director (Grade II) in the same Institute on *ad hoc* basis with effect from 5th May, 1975 upto 21-6-1975, *vice* Shri P. K. Guha, granted leave.

K. V. NARAYANAN
Director (Admn.)

New Delhi, the 5th June 1975

No. 12/678/71-A(G).—On reversion, Shri Gulam Das Sahney has relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. II) Small Industries Service Institute, New Delhi on the forenoon of 1st February 1975.

No. 12/700/71-Admn(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi is pleased to appoint Shri K. A. Chandran, permanent Superintendent, Small Industries Service Institute, Trichur to officiate as Assistant Director (Gr. II) in Small Industries Service Institute, Trichur. He assumed charge as Assistant Director (Gr. II) at Small Industries Service Institute, Trichur on the forenoon of 10th April, 1975.

K. V. NARAYANAN
for Director (Admn.)

DEPARTMENT OF EXPLOSIVES

Nagpur, the 5th June 1975

No. A-12011/2/75-Exp.—Shri K. S. Marwaha relinquished charge of the post of Administrative Officer, in the Department of Explosives, Nagpur, on 30-4-75 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

2. Shri B. B. Das Sarma, Offg. Superintendent in the Department, is promoted to officiate, on *ad-hoc* basis, as Administrative Officer, w.e.f. 28-5-75 (F.N.) *vice* Shri K. S. Marwaha retired.

I. N. MURTY
Chief Controller of Explosives

DEPARTMENT OF SUPPLY

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

New Delhi-1, the 20th May 1975

No. A-1/1/(1024).—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri J. K. S. Payal, Junior Field Officer in the office of Director of Supplies & Disposals, Kanpur to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the same office at Kanpur with effect from the forenoon of 29th March, 1975 and until further orders.

The appointment of Shri J. K. S. Payal as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the results of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

The 13th June 1975

No. A-1/1(952).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri B. Padman, Head Clerk in the office of the Director of Inspection, Bombay to officiate on local *ad-hoc* basis as Assistant Director (Administration) (Gr. II) in the office of the Director of Supplies & Disposals, Bombay with effect from the forenoon of 21st May, 1975 *vice* Shri C. L. Chawla, Assistant Director (Administration) (Grade I) proceeded on leave and until further orders.

The 21st June 1975

No. A-1/1(843).—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri S. K. Garg, Assistant Director (Grade I) (Grade III of the Indian Supply Service) in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi with effect from the 1st April, 1975 (forenoon).

K. L. KOHLI, Dy. Director (Admn.)

New Delhi-1, the 28th May 1975

No. A-1/1(853).—On his selection for appointment to the post of Deputy Director, Labour Bureau, Simla, Shri T. Singh, Grade IV-Officer of the Indian Statistical Service relinquished charge of the post of Assistant Director (Statistics) (Grade I) in the DGS&D, New Delhi on the afternoon of the 30th April, 1975.

The 29th May 1975

No. A-1/1(1025).—The Director General, Supplies & Disposals hereby appoints Shri Raj Pal Chopra, Junior Field Officer in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the same Directorate General at New Delhi with effect from the forenoon of 15th May, 1975 and until further orders.

The appointment of Shri Chopra as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the result of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

The 20th June 1975

No. A-1/1(920).—On his selection for appointment to the Indian Forest Service, Shri Radha Charan relinquished charge of the post of Assistant Director (Grade I) (Grade III of the Indian Supply Service) in the DGS&D, New Delhi on the afternoon of the 3rd March, 1975.

The 23rd May 1975

No. A-6/247(242)/59.—Shri K. K. Das, a permanent Assistant Director of Inspection (Engg.) and officiating Director of Inspection in Grade I of the Indian Inspection Service Class I in the Calcutta Inspection Circle, under the Directorate General of Supplies & Disposals retired from Govt. service on the afternoon of 30-4-75 on attaining the age of superannuation.

No. A-6/247(454)/63.—The President has been pleased to appoint Shri G. B. Pramanick, Assistant Inspecting Officer (Tex.) to officiate in the Textile Branch of Grade III of the Indian Inspection Service, Class 1, from 22-4-75, until further orders.

Shri Pramanick, relinquished charge of the post of Assistant Inspecting Officer (Textile) in the Madras Inspection Circle on the afternoon of 11-4-75 and assumed charge of the post of Inspecting Officer (Textile) in the Bombay Inspection Circle, Bombay on the forenoon of the 22-4-75.

No. A-17011(4)/71A.6.—Consequent on the acceptance of his resignation from service, Shri Surjit Lal relinquished charge of the post of Assistant Director of Inspection (Met.) in Grade III of Indian Inspection Service Class I (Met-Branch) in the Jamshedpur Inspection Circle of this Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi w.e.f. the afternoon of the 28th May, 1975.

The 31st May 1975

No. A-6/76(4)/58/XV—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Inspection Wing of the Directorate General of Supplies & Disposals substantively in the permanent posts of Director of Inspection with effect from the date indicated against the name of each officer :—

S. No.	Name	Post held	Post in which confirmed	Date of confirmation	Remarks
1.	Shri S. N. Vohra	Officiating Director of Inspection	Director of Inspection Grade-I of the Indian Inspection Service Class-I	4-5-1972	Vice Shri P. G. V. Rao, retired from service w.e.f. 3-5-72 (A.N.).
2.	Shri P. K. Chakravarty	Officiating Director of Inspection (Retired)	Do.	27-8-1972	Vice Shri Harnam Singh expired on 26-8-72.

K. L. KOHLI
Deputy Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 24th May 1975

No. 19012(67)/74-Estt.A.—In continuation of the notification No. A19012(67)/74-Estt.A dated the 22nd November, 1974, Shri Prem Srivastava, Quasi Permanent Senior Technical Assistant (Geology) is promoted to officiate as Assistant Mining Geologist, in this Department on a regular basis with effect from the forenoon of 31-3-75 until further orders.

D. N. BHARGAVA
Controller

Nagpur, the 3rd June 1975

No. A-19012(43)/71-Estt.A.—Shri D. N. Ghare, officiating Deputy Librarian is appointed to officiate as Librarian in the Indian Bureau of Mines on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 1st May, 1975, until further orders.

The 17th June 1975

No. A-19011(66)/70-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri P. V. Babu, Assistant Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines to officiate as Deputy Ore Dressing Officer in the Indian Bureau of Mines on *ad-hoc* basis for 6 months or till a nominee of the Departmental Promotion Committee joins the post whichever is earlier with effect from the forenoon of 24th May, 1975.

No. A-19012(71)/75-Estt.A.—Shri H. S. Krishnaswamy, Permanent Senior Technical Assistant (Mining) is appointed to the post of Assistant Mining Engineer in the Indian Bureau of Mines on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 29-5-75 until further orders.

The 18th June 1975

No. A-19012(69)/75-Estt.A.—Shri P. Sreenivasulu, permanent Senior Technical Assistant (Mining) is appointed to the post of Assistant Mining Engineer in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31-5-75 until further orders.

The 19th June 1975

No. A-19011(33)/75-Estt.A.—On his deputation to the Mica Trading Corporation of India Ltd., as Chief Manager, Shri R. K. Sinha, Permanent Deputy Mineral Economist and officiating Mineral Economist of this department has relinquished the charge of the post of Mineral Economist with effect from the afternoon of 19th June, 1975.

A. K. RAGHAVACHARY.
Sr. Administrative Officer
for Controller

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-13, the 23rd May 1975

No. 4075/B/2222(PK)/19A.—Shri P. Kumaraguru is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 4-4-1975, until further orders.

No. 4078/B/2222(KS)/19A.—Shri Kumud Sharma is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of the 11-3-1975, until further orders.

The 30th May 1975

No. 4191/B/2586(BPGR)/19A.—Shri B. P. Guha Roy, Administrative Officer, Geological Survey of India died on the 18th April, 1975.

The 12th June 1975

No. 4359/B/2222(SCM)/19A.—Shri Suresh Chandra Mehrotra is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 26-2-1975, until further orders.

C. KARUNAKARAN
Director General

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA
INDIAN MUSEUM

Calcutta-13, the 17th May 1975

No. 4-107/75/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Sujit Som to a post of Assistant Keeper at Andaman & Nicobar Station of this Survey, Port Blair, on a temporary basis, with effect from the forenoon of 8th May, 1975, until further orders.

C. T. THOMAS
Senior Administrative Officer

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 2nd June 1975

No. C-4966/718-A.—Shri H. D. Chakraborty, Officiating Office Superintendent, Survey Training Institute (CST&MP), Survey of India, Survey Training Institute of pay of Rs. 700-30-760-35-900 is appointed to officiate in the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Class II), in the same Institute, on *ad-hoc* basis on pay of Rs. 840/- p.m. in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 25th April, 1975 (F.N.) until further orders.

No. C-4967/718-A.—The undermentioned officiating Superintendents, Surveyor General's Office, are appointed to officiate in the post of Establishment & Accounts Officer (G.C.S. Class-II) on *ad-hoc* basis in the Survey of India on pay of Rs. 840/- p.m. in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates as stated against each until further orders :—

Name	With effect from	Office to which posted
1. Shri Jagat Singh	26-4-75 (F.N.)	North Eastern Circle, Shillong.
2. Shri B. N. Naithani	29-4-75 (F.N.)	Eastern Circle, Calcutta.

HARI NARAIN
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

MINISTRY of INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 3rd June 1975

No. A.12026/7/73-Admn.I.—The Director, Publications Division is pleased to appoint Shri C. B. Gupta, a temporary Business Executive to officiate as Assistant Business Manager in this Division on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 15th May, 1975 *vice* Shri Nagendra Mishra appointed as Business Manager.

M. L. TANDON
Deputy Director (Admn.)
for Director

FILMS DIVISION

Bombay-26, the 20th June 1975

No. A-19012/5/74-Est.I.—The Chief Producer, Films Division, has appointed Shri A. K. Narang to officiate as Branch Manager in Distribution Wing, Films Division, Bombay with effect from the 17th June, 1975 (FN), until further orders *vice* Shri V. V. Joglekar, Offg. Branch Manager, transferred to Hyderabad.

M. K. JAIN
Assistant Administrative Officer
for Chief Producer.

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 5th June 1975

No. 4(22)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Dewan Virander Mohan Oswal as Programme Executive, TV Centre, All India Radio, Srinagar, in a temporary capacity with effect from the 14th May, 1975 and until further orders.

No. 4(51)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Deba Kumar Nath as Programme Executive, All India Radio, Gauhati in a temporary capacity with effect from the 9th May, 1975 and until further orders.

No. 4(52)/75-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Avinash Sarmandal as Programme Executive, All India Radio, Rampur in a temporary capacity with effect from the 12th May, 1975 and until further orders.

No. 11/7/68-SI.—Consequent on his deputation as on foreign service with the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Indian Space Research Organisation for a period of two years, Shri J. K. Doshi, Audience Research Officer, All India Radio, Jaipur relinquished charge of his post on the afternoon of the 2nd April, 1975.

The 16th June 1975

No. 5(23)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri A. K. Basu Mallik, Transmission Executive, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Calcutta as Programme Executive, All India Radio, Jullundur, in a temporary capacity with effect from the 3rd May, 1975 and until further orders.

The 18th June 1975

No. 4(118)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. M. Shamim Ahmad as Programme Executive, All India Radio, Patna in a temporary capacity with effect from the 29th May, 1975 and until further orders.

No. 5(101)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri V. H. Bhamare, Transmission Executive, All India Radio, Ahmedabad as Programme Executive, All India Radio, Sangli in a temporary capacity with effect from the 28th May, 1975 and until further orders.

No. 5(121)/60-SI.—Shri T. H. Rao, Programme Executive, All India Radio, Madras expired on the 2nd June, 1975.

No. 4(33)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Santosh Rajnish as Programme Executive, All India Radio, Jaipur in a temporary capacity with effect from the 20th May 1975 and until further orders.

No. 4(83)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Maya Israni as Programme Executive, All India Radio, Jaipur in a temporary capacity with effect from the 17th May, 1975 and until further orders.

No. 4(93)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri P. T. Marwein as Programme Executive, All India Radio, Shillong in a temporary capacity with effect from the 27th May 1975 and until further orders.

SHANTI LAL
Dy. Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 6th June 1975

No. 2(4)/74-SIII.—The Director General, All India Radio hereby appoints the following Senior Engineering Assistants to officiate in the grade of Assistant Engineers with effect from the dates mentioned against each at the Stations/offices of All India Radio is shown against their names, until further orders:—

Sl. No.	Name	Place of posting	Date of Appointment
1	2	3	4
1.	Shri N. C. Jain, HPT, AIR Khampur, Delhi	AIR, Shillong	1-4-75
2.	Shri Tarlochan Singh, Kumar HPT, AIR, Kingsway, Delhi.	AIR, New Delhi	2-4-75
3.	Shri V. B. Mathur, Office of RE(N), AIR, New Delhi	HPT, Khampur	7-4-75
4.	Shri M. Selvaraj, CBS, AIR, Trivandrum.	AIR, Agartala	11-4-75
5.	Shri K. M. George Kutty AIR, Trivendram	AIR, Silchar	29-4-75

P. K. SINHA
Dy. Director of Admn.
for Director General.

New Delhi-1, the 3rd June 1975

No. 3(105)/60-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri G. K. Mohanty, Accountant-cum-Headclerk, Commercial B' casting Service, All India Radio, Cuttack to officiate as Administrative Officer, All India Radio, Imphal on *ad-hoc* basis with effect from 20-5-75 (A.N.) *vice* Shri R. Loganandan, Administrative Officer granted leave.

I. S. PANDHI
Section Officer
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 11th June 1975

No. 11-3/74-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri H. S. Dhakalia, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the C.S.S. to officiate in Grade I of the C.S.S. for a period of forty six days with effect from the forenoon of 2nd June, 1975 to 17th July, 1975, *vice* Shri K. Vanugopal proceeded on leave.

2. The President is also pleased to appoint Shri H. S. Dhakalia as Deputy Director (Administration) in this Directorate for the above period.

The 24th June 1975

No. 13-1/75-Admn.I.—The Directorate General of Health Services is pleased to appoint the following to the post of Dental Surgeon at the Safdarjang Hospital, New Delhi with effect from the dates mentioned against each, on *ad-hoc* basis and until further orders:—

- (1) Dr. Shyam Lal—28-5-75 (F.N.).
- (2) Dr. (Mrs.) Rama Bhatia—26-5-75 (F.N.).

S. P. JINDAL,
Dy. Director Admn. (O&M)

New Delhi, the 24th May 1975

No. 48-19/73-CHS.I.—Consequent on assumption of charge of the Post of Junior Medical Officer (Radiology) in the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry by a U.P.S.C. nominee, Dr. V. K. Hari, an *ad-hoc* appointee to the post is relieved of his duties on the afternoon of 28th February, 1975.

No. 48-42/73-CHS.I.—Consequent on assumption of charge of the post of Junior Medical Officer (Paediatrics) in the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry by a nominee of the U.P.S.C., Dr. M.B. Raghu an *ad-hoc* appointee to the post, is relieved of his duties on the afternoon of the 17th February, 1975.

R. N. TEWARI,
Dy. Director Admn. (CHS).

DELHI MILK SCHEME

New Delhi-8, the 22nd May 1975

No. 2-20/59-Estt.I.(Spl).—Chairman, Delhi Milk Scheme is pleased to appoint Shri D. C. Bidani, Assistant Administrative Officer to officiate as Administrative Officer (Class II Gazetted) in the pay scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis with effect from the afternoon of 30th April, 1975 for a period not exceeding six months.

D. B. ALLAWADI, Personnel Officer

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Madras-600001, the 18th June 1975

No. AST/AO/VI/88.—The General Manager, Madras Telephones is pleased to appoint the under mentioned Senior Accountants to officiate as Account Officers in local arrangement in

Madras Telephone District for the periods indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Senior Accountant promoted to Account Officers Grade in local arrangement.	From	To
1.	Sri A. Grumurthy	19-8-74 F/N	31-3-75 A/N
2.	Sri R. Rajagopalan	19-8-74 F/N	9-1-75 F/N
3.	Sri R. Rajagopalan	18-1-75 A/N	28-1-75 F/N
4.	Sri R. Rajagopalan	23-4-75 F/N	11-6-75 F/N
5.	Sri M. Balasubramaniam	30-4-75A/N—	

No. AST/AE-5/X/104.—The following Engineering Supervisors who are promoted to Telegraphs Engineering Service Class-II in local arrangement stand reverted to their parent cadre with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Engineering Supervisor (officiating as Asstt. Engineer in local arrangement)	Date of reversion to parent cadre.
1.	Sri J. Santhanam	14-11-74 F/N.
2.	Sri K. V. Kunhiraman	30-11-74 A/N.

No. AST/AE-5/X/105.—The General Manager, Madras Telephone is pleased to appoint the undermentioned Engineering Supervisors to officiate as Assistant Engineers in local arrangement in Madras Telephone District for the periods indicated against each :—

Sl. No.	Name	Present cadre	From	To
1.	Shri K. V. Krishnamurthy	SGES.	6-1-75 F/N	24-2-75 F/N
2.	Shri K. V. Krishnamurthy	"	26-2-75 F/N	16-4-75 F/N
3.	Shri P. V. Seetharaman	"	3-3-75 F/N	9-5-75 A/N
4.	Shri B. Rajagopal Naidu	"	22-3-75 F/N	10-5-75 A/N
5.	Shri N. Subbaraman	"	1-4-75 F/N	—
6.	Shri T. R. Ramanujam	"	7-4-75 F/N	24-5-75 A/N
7.	Shri K. V. Krishnamurthy	"	21-4-75 F/N	19-5-75 A/N
8.	Shri D. J. E. Paul	"	5-5-75 F/N	—
9.	Shri P. V. Varadarajan	"	15-5-75 F/N	—
10.	Shri B. Rajagopal Naidu	"	12-5-75 F/N	—
11.	Shri P. V. Seetharaman	"	12-5-75 F/N	—
12.	Shri C. V. Natarajan	"	12-5-75 F/N	—
13.	Shri T. S. Naganathan	"	12-5-75 F/N	—

K. V. DURGADAS
Asstt. General Manager (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION
Faridabad, the 21st May 1975

No. F.4-13(9)/74-A.I.—Consequent on the selection of Shri I. A. Siddiqi, Junior Scientific Officer of this Directorate as Deputy Director in the Department of Food through Union Public Service Commission, he has been relieved of his duties with effect from 11th April 75 (A.N.). He will be deemed to have resigned from his post in this Directorate with effect from 14-4-75 (A.N.) on expiry of leave for three days from 12-4-75 to 14-4-75.

N. K. MURALIDHARA RAO,
Agrl. Marketing Adviser
to the Govt. of India.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)
DIRECTORATE OF EXTENSION
New Delhi-1, the 30th May 1975

No. F.5(2)/71-Estt.(I).—Shri P. C. Chaudhary, Assistant Exhibition Officer (Grade II), is promoted to officiate as Assistant Exhibition Officer (Grade I), Class II (Gazetted) (Non-Ministerial), in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000

—EB—40—1200, in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), on *ad-hoc* basis, with effect from the 2nd June, 1975 upto 5th July, 1975, vice Shri S. K. S. Dhariwal, Assistant Exhibition Officer (Grade I) proceeding on leave.

The 13th June 1975

No. F.2(7)/70-Estt.(I).—Shri H. S. Gautam will continue to officiate as Superintendent (Gr I), Class II (Gazetted) (Ministerial), in the pay scale of Rs. 700—30—760—35—900, in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), on *ad-hoc* basis, beyond the 31st May, 1975 until further orders.

P. K. MUKHERJI, Dir. of Admn.

(DEPARTMENT OF FOOD)
NATIONAL SUGAR INSTITUTE
Kanpur, the 2nd January 1975

No. Estt.19(6)/11265.—Shri Usman Ahmed, Senior Technical Assistant at National Sugar Institute is appointed to officiate as Junior Technical Officer (Sugar Technology) on *Ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 1-1-1975 till further orders.

N. A. RAMAIAH,
Director.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-400085, the 9th June 1975

No. PA/81(26)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Sreenivas Balwantrao Nadgir, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(26)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Dayaram Kanwar-mal Hardasani, a permanent Chargehand and officiating Foreman in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

The 10th June 1975

No. PA/81(56)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Avinash Keshav Khare a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(60)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Chidambaram Subramanian, a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(31)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Sampila Vittal Shetty a temporary Foreman in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(60)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Mansukh Dharshi Vora, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

P. UNNIKRIISHNAN,
Dy. Establishment Officer (R)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay-400039, the 26th May 1975

No. 6(450)/70-Adm.—The services of Shri A. Rangachari, on deputation to this Department as Director, have been replaced at the disposal of the Indian Audit and Accounts Department with effect from the forenoon of May 22, 1975.

S. K. CHOUDHARY, Under Secy.

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-400005, the 23rd May 1975

No. PPED/3(236)/75-Adm.5339.—Director, Power Project Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri S. M. Lamba, a temporary Scientific Assistant 'B' in this Division as Scientific Officer/Engineer Grade SB, in the same Division, in a temporary capacity, with effect

from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

M. S. RAO, Admn. Officer
for Director

Bombay-5, the 26th May 1975

No. NAPP/2(11)/75-Adm.—On his transfer from Civil Engineering Division Hyderabad Unit, Hyderabad BARC to Narora Atomic Power Project, Shri G. Rajkumar, a temporary Scientific Officer/Engineer-Grade SB (Civil) relinquished charge of his post in Civil Engineering Division, Hyderabad Unit, Hyderabad on the afternoon of 31-12-1974 and assumed charge of the same grade in NAPP on the forenoon of January 8, 1975.

2. Shri G. Rajkumar shall continue to hold of his post in grade SB in NAPP until further orders.

R. J. BHATIA, General Admn. Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

MADRAS REGIONAL PURCHASE UNIT

Madras-600006, the 13th May 1975

No. MRPU/200(9)/75-Adm.—The Director, Purchase and Stores is pleased to appoint Shri N. Rajagopalan, an officiating Purchase Assistant in Directorate of Purchase and Stores as Assistant Purchase Officer in Madras Regional Purchase Unit of Directorate of Purchase and Stores in an officiating capacity with effect from the forenoon of May 7, 1975 till June 21, 1975.

S. RANGACHARY, Purchase Officer

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Anushakti, the 19th June 1975

No. RAPP/00101/75-Adm/R/S/678.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri S. C. Chitale a Quasi-Permanent, Scientific Assistant(C) to officiate as Scientific Officer/Engineer Grade SB in a temporary capacity, in the same Project with effect from May 1st, 1975, until further orders.

GOPAL SINGH, Admn. Officer(E)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 28th May, 1975

No. A-32012/3/71-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Superintendents (non-gazetted) as Assistant Estate Manager (Gazetted Class-II) with effect from the date and at the station shown against each on ad-hoc basis & until further orders. Their services have been placed at the disposal of the International Airport Authority of India at the same Airport from the Afternoon of the same dates :—

S. No.	Name	Station of posting	Date of assumption of charge as Assistant Estate Manager
1.	Shri Gian Chand	Aerodrome Office, Palam.	1-4-72 (F.N.)
2.	Shri. K. C. Jouhar	Aerodrome Office, Madras	3-6-72 (F.N.)
3.	Shri R. Mitra	Aerodrome Office, Calcutta	20-7-72 (F.N.)

(This is in supersession of the notification No. A.32012/3/71-ES dated 11-8-72)

H. L. KOHLI,
Dy. Director of Admn.

New Delhi, the 21st May 1975

No. A.38013/1/75-EC.—Shri S. V. Raghavan, Communication Officer in the office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Madras Airport, Madras relinquished charge of his office on the 31st January, 1975 (A.N.) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

No. A.32013/1/74-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri P. C. K. Nair, Communication Assistant to officiate as Assistant Communication Officer at the Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi with effect from the 7th May, 1975 (F.N.) on a purely *ad-hoc* basis vice Shri H. S. Bhardwaj, Assistant Communication Officer, Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi granted earned leave.

The 1st June 1975

No. A.38012/1/75-EC.—Shri M. Subramanian, Communication Officer in the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport relinquished charge of his office on the 31st May, 1975 (A.N.) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

The 13th June 1975

No. A.32014/3/75-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri T. V. Gopalakrishnan, Technical Assistant to officiate as Assistant Technical Officer at Aeronautical Communication Station, Calcutta with effect from the 21st May, 1975 (Fore-noon) on a purely *ad-hoc* basis *vide* Shri M. S. Adaikalam, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Calcutta granted leave.

H. L. KOHLI,
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 22nd May 1975

No. A31013/2/73-EA.—The President is pleased to appoint Shri Harbans Singh in a substantive capacity in the grade of Assistant Electrical & Mechanical Officer in the Civil Aviation Department with effect from the 15th May, 1974.

M. L. HANDA,
Asstt. Director of Administration

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 4th June 1975

No. E(1)03882.—Shri N. M. Masand, Officiating Assistant Meteorologist, Headquarters Office of the Director General of Observatories, New Delhi expired on 3-4-1975.

NOOTAN DAS,
Meteorologist
for Director General of Observatories

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 17th June 1975

No. 1/330/75-EST.—Shri D. S. Pendse Permanent Assistant Supervisor, Headquarters Office, Bombay, is appointed as Supervisor in an officiating capacity in the Bombay Branch with effect from the forenoon of the 21st May, 1975 and until further orders.

P. G. DAMILE,
Director General,

19—156GI/75

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 3rd June 1975

(ESTABLISHMENT)

No. 61.—Shri K. S. Tyagi, Office Superintendent, of this Collectorate appointed to officiate as Administrative Officer, Central Excise & Customs in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, took over charge of the office of Administrative Officer, Palam Airport, New Delhi in the forenoon of 26-5-75 from Shri S. P. Kashyap, Administrative officer shifted.

The 20th June 1975

No. 73.—Shri Nand Gopal Bhatia, Inspector (SG), Central Excise Collectorate, Delhi appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class-II in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, took over charge of the office of Superintendent, Central Excise, MOD-II(I.G.I), New Delhi in the forenoon of 24-5-1975 from Shri G. D. Malhotra, Superintendent, shifted.

No. 74.—Shri Y. L. Malik, Inspector (SG), Central Excise Collectorate, Delhi appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class-II in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, took over the charge of the office of Superintendent, Air Cargo Unit, Palam in the forenoon of 27-5-75 from Shri P. P. Proothi, Superintendent shifted.

M. S. MEHTA,
Collector.

Bangalore, the 22nd May 1975

No. 7/75.—The following permanent Inspectors of Central Excise (S.G.) have been promoted to officiate as Superintendents of Central Excise, Class-II in the time scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, and posted to the formations noted against their names.

Name of the Officer	Formation to which posted	Date of Joining.
1. Shri B. T. Patil	M.O.R. Hukkeri Hubli Division	28-4-75
2. Shri D. G. Kulkarni	Central Excise Divisional Office Mangalore.	28-4-75
3. Shri I. M. Malgi	Preventive Hassan Mangalore Central Excise Division	1-5-75

E. R. SRIKANTIA
Collector

Patna, the 21st June 1975

C. No. II(7)5-ET/75/6447.—In pursuance of Govt. of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue and Insurance) New Delhi's order No. 54/75 *vide* F. No. A 22012/5/75-Ad.II (Vol-II) dated 9-4-75, Shri C. D. Sah, lately posted as Superintendent Class-I, Customs City Preventive, Muzaffarpur has assumed charge as Assistant Collector Central Excise, Hqrs. Office Patna in the fore-noon of 17-5-75.

H. N. SAHU,
Collector of Central Excise.

(CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT)

Guntur-4, the 23rd April 1975

No. 2.—Shri V. Kamaraju, Permanent Superintendent of Central Excise, Class II, Andhra Paper Mills, Rajahmundry of I.D.O. Rajahmundry has proceeded on earned leave for 118 days from 5-3-75 to 30-6-75 preparatory to retirement. He is due to attain the age of superannuation on 30-6-75 A.N.

S. K. SRIVASTAVA, Collector.

CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS

NARCOTICS DEPARTMENT

Gwalior-6, the 23rd June 1975

S. No. 14.—Shri H. C. Kapoor, Administrative Officer, Narcotics Commissioner's Office, Gwalior is allowed to cross the efficiency bar at the stage of Rs. 810/- in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from 1st June, 1975.

A. SHANKER, Narcotics Commissioner.

DEPARTMENT OF SPACE
CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560025, the 16th June 1975

CORRIGENDUM

No. 10/7(226)/73-CHD(H).—The date of appointment of Shri Y. Rangaiiah indicated as "June 29, 1973" in Notification of even number dated July 16, 1973 may be corrected to read as "June 20, 1973 (I-N)".

P. I. U. NAMBIAR, Admn. Officer.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING
NATIONAL BUILDINGS ORGANISATION

New Delhi, the 11th June 1975

No. A.12034/6/75-Adm.—Shri Jagdish Chandra Pasarija has been appointed as a purely temporary project officer on ad-hoc basis in the National Buildings Organisation from the forenoon of 7th June, 1975 until further orders.

RABINDER SINGH, Director.

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 20th June 1975

No. 27-E/B(7)/69-ECL.—Shri Bhagwan Parkash, Executive Engineer previously working in Delhi Development Authority upto 24-5-75 proceeded on L.P.R. with effect from 25-5-75 to 31-5-75 and retired from service on 31-5-75 on attaining the age of superannuation.

P. S. PARWANI, Dy. Director
of Administration

New Delhi, the 23rd June 1975

No. 33/9/73-Admr.IV.—The Engineer-in-Chief, C. P.W.D. is pleased to appoint S/Shri A. K. Gupta and R. H. Khobragade as temporary Assistant Architects in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 plus usual allowances, with effect from the dates mentioned against each. The pay of Sh. Khobragade will be fixed in the above scale according to rules and that of Shri Gupta at Rs. 650/- p.m.

2. The Engineer-in-Chief is further pleased to post the above Assistant Architects in the offices noted against each :—

S. No.	Name	Date of appt.	Office where posted.
1.	Shri A. K. Gupta	7-5-75	Office of the Senior Architect, C.P.W.D. Arunachal Pradesh, Shillong, against an existing vacancy.
2.	Shri R. H. Khobragade	19-5-75	Office of the Chief Engineer (South-Western Zone), C. P.W.D., Bombay, vice Shri S. S. Rao Dy. Architect, gone abroad.

S. S. P. RAU,
Dy. Director of Admn.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 21st May 1975

No. A-12017/1/72-Adm.V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-12017/1/72-Adm.V, dated the 6th January, 1975, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri T. P. Yegnan in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Mathematics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a further period from 1-3-1975 to 31-5-1975 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

The 4th June 1975

No. A-32012/4/70-Adm.V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-32012/4/70-Adm.V, dated 27-2-75, the Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following Research Assistants to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific—Chemistry Group) in the Central Water Commission, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/-. on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a further period upto 3-11-75, or till such time as the posts are filled, on a regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri R. S. Anand.
2. Shri S. S. Sachar.
3. Shri K. N. Nair.

The 5th June 1975

No. A-32012/5/70-Adm.V(i).—In continuation of this Commission's Notification No. A-32012/5/70-Adm.V(i) dated 27-2-75, the Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following Research Assistants to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific—Physics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/-. on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for further periods as indicated against each, or till such time the post is filled on a regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri K. S. Das—1-5-75 to 30-6-75.
2. Shri K. R. Bhattacharjee—1-5-75 to 30-6-75.

K. P. B MENON,
Under Secretary,
for Chairman, C. W. Commission

New Delhi-22, the 16th June 1975

No. A-19012/540/75-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri M. L. Malla, Senior Professional Assistant to officiate as Extra Assistant Director (Statistics) in the Central Water Commission in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/—, on a purely *ad-hoc* basis for a period of six months with effect from 2-5-1975 or till the resultant vacancy caused by *ad-hoc* promotion of Shri R. P. Sawhney to the grade of Assistant Director/Assistant Executive Engineer lasts, whichever is earlier.

Shri M. L. Malla took over charge of the office of Extra Assistant Director (Statistics), Central Water Commission with effect from the above date and time.

V. G. MENON,
Under Secretary,
for Chairman, C.W. Commission

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 11th June 1975

No. 5/16/74-Adm.II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri S. N. Moorching, Senior Research Assistant to the grade of Extra Assistant Director (Scientific) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/— in the Central Electricity Authority, Central Power Research Institute, Bangalore w.c.f. the forenoon of 28-5-75.

M. S. PATHAK,
Under Secretary
For Chairman

MINISTRY OF RAILWAYS

RESEARCH DESIGNS & STANDARDS ORGANISATION

Lucknow-11, the 18th June 1975

No. EII/ES/CFM/O.—SHRI BAJRANG SINGH is confirmed as Section Officer (Hindi) with effect from 13th March, 1975 in the Research, Designs and Standards Organisation.

T. V. JOSEPH,
Director General

EASTERN RAILWAY

Calcutta, the 13th June 1975

No. AC/190/A/C/II.—Shri S. K. Chatterjee, retired Officiating Chief Cashier, Eastern Railway, Calcutta has been confirmed in his appointment as Chief Cashier, in the Senior Scale with effect from 13th March, 1967.

V. P. SAWHANEY,
General Manager

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Pandur, the 13th June 1975

No. E/55/III/97(O).—The following officers who were appointed as Probationers in the Indian Railways Accounts Service are confirmed as Junior Accounts Officer from the date shown against each:

Sl. No., Name and Date from which confirmed.

1. Shri S. Balachandra—13-7-73.
2. Shri R. Shivadasan—2-2-74.

M. R. REDDY,
General Manager

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Secunderabad, the 17th June 1975

No. P. 185/GAZ/Mech.—Shri R. Asoka, an officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineer (on probation) is confirmed in Class I/Junior Scale of that service on this Railway with effect from 16-7-1974.

K. S. RAJAN,
General Manager

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. B. P. Engineering Works Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 15642/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the M/s. B. P. Engineering Works Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Computer Aid Systems Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 15780/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the M/s. Computer Aid Systems Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Housing & Estate Builders Corporation (Bombay) Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 9450/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Housing & Estate Builders Corporation (Bombay) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Shobha Chit Fund & Agencies Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 13766/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shobha Chit Fund & Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. R. R. Gibson Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 3140/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. R. Gibson Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Omkar Enterprises Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 12660/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Omkar Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act 1956, and of
M/s. New Madhya Pradesh Roadways Private Limited*

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 14000/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Madhya Pradesh Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act 1956, and of
M/s. Mediprint Private Limited*

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 12209/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mediprint Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act 1956, and of
M/s. Shakti Chit Systems Private Limited*

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 13980/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shakti Chit Systems Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. NARAYANAN
Addl. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay.

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
M/s. The Ahmedabad Small Scale Engineering Industries
Association Limited*

Ahmedabad, the 29th May 1975

No. 871/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. The Ahmedabad Small Scale Engineering Industries Association Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd. ILLEGIBLE
Registrar of Companies,
Gujarat

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
Presne Engineering Syndicate Private Limited*

Hyderabad, the 24th May 1975

No. 1037/T.(560).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of Presne Engineering Syndicate Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

Notice pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956
AND

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
M/s. The Rohini Productions (Hyderabad) Private
Limited (In Liquidation)*

Hyderabad, the 29th May 1975

No. 1165/Liq.—By an order dated the sixth day of April, One thousand nine hundred and seventy three in C.P. No. 10 of 1972, of the High Court of Judicature of Andhra

Pradesh at Hyderabad, it has been ordered to wind up. "The Rohini Productions (Hyderabad) Private Limited."

O. P. JAIN
Registrar of Companies,
Andhra Pradesh, Hyderabad.

*Notice under Section 560(4) of the Companies Act, 1956
AND*

*In the matter of M/s. North Mahanadi Trading Company
Private Ltd.*

Cuttack, the 28th May 1975

No. A.164/75-531(2).—Whereas M/s. North Mahanadi Trading Company Private Ltd., having its registered office at Raja Athagard P.O. : Khuntuni, Dt. : Cuttack wound up,

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting the affairs of the company have been completely wound up, and that Statements of Account (returns) required to be made by the Liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now therefore in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the companies Act, 1956 (i of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/s. North Mahanadi Trading Company Private Ltd. will unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

S. N. GUHA
Registrar of Companies,
Orissa.

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
Jamuna Enterprises Foods Pvt. Limited*

Delhi, the 7th June 1975

No. 51/32/5074.—Notice is hereby given to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Jamuna Enterprises Foods Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd. ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of companies,
Delhi & Haryana

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
Banerjee Engineers Private Limited*

Calcutta, the 3rd June 1975

No. 23723/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Banerjee Engineers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
SAS Manufacturing Company Private Limited*

Calcutta, the 3rd June 1975

No. 25647/560(5).—Notice is hereby given pursuant to the sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the SAS Manufacturing Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
Deshbandhu Cotton Mills Limited*

Calcutta, the 3rd June 1975

No. 3868/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Deshbandhu Cotton Mills Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. R. SIRCAR
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
the United Transport (Gwalior) Private Limited*

Gwalior, the 3rd June 1975

No. 255/Liqn.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1976 that the United Transport (Gwalior) Private Limited, Gwalior, has been ordered to be wound up by an order dated 25th April 1975 passed by the High Court of M.P. Bench at Gwalior and the Official Liquidator, Indore has been appointed as the liquidator of the company.

MAHESH PRASAD
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

*In the matter of the Companies Act, 1956, and of
Goswami Neinong Coal & Transport Company Private
Limited*

Shillong, the 30th May 1975

No. 1016/560/652-53.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of Goswami Neinong Coal & Transport Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. VASHISHTHA
Registrar of Companies
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,
Arunachal Pradesh, Mizoram, Shillong

DIRECTORATE OF ORGANISATION &
MANAGEMENT SERVICES (INCOME-TAX)

New Delhi, the 19th May 1975

F. No. 9/317/75-DOMS/682.—On his transfer from the charge of the Commissioner of Income-tax, Hyderabad, Shri M. K. Krishnaswamy Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, assumed the

charge of the Deputy Director, in the Directorate of Organisation & Management Services (Income-tax) New Delhi on the forenoon of 16th May, 1975.

H. D. BAHL
Director of Organisation &
Management Services (Income-tax)
New Delhi

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-20, the 28th May 1975

No. F. 48-Ad(AT)/75.—Shri H. C. Srivastava, Senior Stenographer, Income-tax Appellate Tribunal who was continued to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar in the Income-tax Appellate Tribunal, Allahabad Benches, Allahabad *vide* this office notification No. F. 48-Ad(AT)/74-P.II dated 22-11-1974 is now permitted to continue to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Asstt. Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Allahabad Benches, Allahabad for a further period from 1-1-1975 to 30-6-1975 or till the post is filled up by regular appointment, whichever is earlier.

No. F. 48-Ad(AT)/75.—Shri M. M. Prasad, officiating Superintendent on *ad hoc* basis in a temporary capacity in the Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was continued to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench, Cuttack *vide* this office notification No. 48-Ad(AT)/73 dated 25th April, 1974 is now permitted to continue in the same capacity as Asstt. Registrar, ITAT, Cuttack Bench on *ad hoc* basis for a period from 19-11-1974 to 30-6-1975 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

No. F.48-Ad(AT)/75.—Shri R. C. Srivastava, Senior Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad hoc* basis in a temporary capacity upto 31-12-1974 *vide* this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/74 dated 14-6-1974 is now permitted to continue to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay from 1-1-1975 to 30-6-1975 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

No. F. 48-Ad(AT)/75.—Shri L. R. Aggarwal, Senior Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay, who was continued to officiate as Asstt. Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad hoc* basis in a temporary capacity upto 31-12-1974 (afternoon) *vide* this office notification No. F. 48-Ad(AT)/74-P.II dated 10-10-1974, is now permitted to continue to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar,

Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay for a further period from 1-1-1975 to 30-6-1975 or till the post is filled up by regular appointment, whichever is earlier.

The 19th June 1975

No. F. 48-AD(AT)/74-P.II.—In partial modification of this office notification of even number dated 22nd January, 1975, Shri N. K. Chaurasia, a permanent Assistant Registrar in the Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi is granted an extension of service for a period of six months from the 7th January, 1975 to 6th July, 1975, both days inclusive.

HARNAM SHANKAR
President

INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF
INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE,
CHANDIGARH
CORRIGENDUM

In the notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) dated 5-3-1975 in respect of Plot No. 8-A/2, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana, for the transferees read Sarvshri Romesh Kumar and Rajinder Kumar minor sons of Shri Jagdish Rai, through their father and natural guardian Shri Jagdish Rai in place of Sarvshri i. Romesh Kumar, ii. Rajinder Kumar, sons of Shri Jagdish Rai.

G. P. SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Chandigarh

FORM ITNS

(1) Shri Ram Kumar Baundra,
R/o 18-B, Sector-A Mahanagar,
Lucknow.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

(2) Smt. Madhu Kapoor w/o
Shri Amrit Lal Kapoor,
r/o 184/6-1, Kutra Hari Singh, Amritsar.
At present A-32-A Krishnapura,
Modinagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. F. Acq/163/Gbd/74-75/580.—Whereas, I,
F. J. BAHADUR,

being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having
a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. KA/25 situated at Old Kavinagar, Ghaziabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has
been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the
Registering officer at
Ghaziabad on 19-10-74,
for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent
consideration therefor by more than fifteen per cent of such
apparent consideration and that the consideration for such
transfer as agreed to between the parties has not been truly
stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act,
1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition
of the aforesaid property by the issue of this notice under
sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the
following persons, namely :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said im-
movable property within 45 days from the date
of the publication of this notice in the Official
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXXA of the said Act
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property Single storeyed property No. KA-
25, Old Kavinagar, Ghaziabad, transferred for apparent
consideration for Rs. 82,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-7-75

Seal :

FORM ITNS—

(2) Shri Balluram, Shri Balram and Shri Devi Chand
All sons of Shri Phool Singh,
Mohalla Nawabganj, Saharanpur.NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

Kanpur, the 1st July 1975

(b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publica-
tion of this notice in the Official Gazette.Ref. No. Acq./86/Saharanpur/74-75/581.—Whereas,
I, F. J. BAHADURbeing the competent authority under section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter
referred to as the 'said Act') have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXA of the
'Said Act', shall have the same meaning
as given in that Chapter.As per schedule situated at Rajpura, Saharanpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Saharanpur on 8-10-74,for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
andBhumidhari rights in agricultural land in 9 Bighas 16
Biswa Pukhta comprising 5 Bighas and 12 Biswa in
Khasra No. 9 and 4 Bigha 4 Biswa in Khasra No. 13
Pukhta and 3/4 part in one Tubewell with boring, Electric
Motor 5 H.P., switch starter, one Kotha and Tin shed at
Rajpura, Saharanpur transferred for an apparent consideration
of Rs. 60,000/-.(b) facilitating the concealment of any income or
any monies or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).Now, therefore, in pursuance of section 269C of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of
the aforesaid property by the issue of this notice under
sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the
following persons, namely :—F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.(1) Shri Shobha Ram
s/o Shri Kanhaiya Ram Arora,
r/o Numaisk Camp, Saharanpur.

(Transferor)

Date : 1-7-75
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. Acq.161/Ghaziabad/74-75/582.—Whereas, I, F. J. BAHADUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1776-A & 1776-B situated at Vill. Pasunda, Ghaziabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 16-10-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

20—156GI/75

(1) Shri Prem Shanker s/o Shri Khub Chand, r/o Malthangate-18, 1666 Comphagen V through Shri R. K. Anand, General Power of Attorney.

(Transferor)

(2) M/s. Kuber Investment & Trading Pvt. Ltd., M-133, Carnaught Circus, New Delhi—through Managing Director Shri K. L. Agarwal (Property at Furlong stone 7 on Delhi-Sahadara Road).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bhumidhari land Plot No. 1776-A, area 8 Bishwa, 1776-B area 1 Bigha 11 Bishwa in Village Pasaunda, Tehsil Ghaziabad with building residential Bungalow, garden, servant quarter built thereon, transferred for apparent consideration of Rs. 2,10,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-7-75

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Lt. Samdul Singh Raudhawa,
r/o 7-D Mussorie Road, Rajpura,
Dehradun.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Rinchen Theondop Sadutrhang,
7-B Mussorie Road, (Rajpur) Dehradun.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. F. No. Acq/149/D. Dun/74-75/583.—
Whereas, J. F. J. BAHADUR,
being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and
bearing No.

7-B, situated at Mussorie Road, Dehradun
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Dehradun on 21-10-74,

for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property
and I have reason to believe that the fair market value
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi-
deration therefor by more than fifteen per cent of such
apparent consideration and that the consideration for such
transfer as agreed to between the Parties has not been truly
stated in the said instrument of transfer with the object
of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the
liability of the transferor to pay tax under
the said Act, in respect of any income arising from
the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax 1922 (11
of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act,
1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette for a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of House No. 7-B, situated in Mussorie Road
(Rajpur) Dehradun transferred for an apparent consideration
of Rs. 45,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 3-7-75
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Shirinbai M. Kalapesi & Ors.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Chaturi M. Mahtaney & Ors.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020(3) Unauthorised persons by way of encroachment.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Bombay-400020, the 30th June 1975

Ref. No. AR.V/195/74-75.—Whereas, I, J. M. Mehra, the Inspecting Asst. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Bombay, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

St. No. 21 & 28 City S. No. 119 situated at Village Maravli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 20-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate, lying and being in the village of Maravli in the Registration Sub-District of Bandra District Bombay Sub-urban containing by admeasurement 3872 sq. yds. equivalent to 3237.49 sq. mtrs. or thereabouts and registered in the land Records in the Street No. 21 and 28 City survey No. 119 subject to the encroachments bearing CTS Nos. 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10 and 119/11 (old survey No. 35, Hissa No. 7 (part) and bounded as follows : that is to say on or towards the East by property bearing survey No. 4, Hissa No. 1 (part) belonging to Shri M. L. Mahataney and another on or towards the west by survey No. 35 Hissa No. 6 on or towards the North by survey No. 35 Hissa No. 3 and on or towards the south by Survey No. 24 Hissa No. 1 belonging to Shri M. L. Mahtaney and another.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Bombay

Date : 30-6-1975

Seal :

FORM ITNS

(2) Shri Popatlal Mohanlal Maniar & Others.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) Shri Popatlal Mohanlal Maniar & Others.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Bombay-400020, the 30th June 1975

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AR.V/197/74/10.—Whereas, J. J. M. Mehra (the Inspecting Asst. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Bombay, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 77 situated at Mulund (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 5-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate at Mulund formerly in Taluka South Salsette in the Registration District Thana in Sub-District Thana and thereafter in the registration Sub-District of Bandra District Bombay Suburban and now in the Registration District and Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban within the limit of Greater Bombay, being portion of plot No. 77, admeasuring 705.83 sq. yds. equivalent to 590.07 sq. meters or thereabouts together with the structure standing thereon being assessed to Municipal rates Taxes under T Ward No. T 1581 and Street No. 76 Zaver Road, and bears No. C.T.S. Number bounded as follows :—That is to say on or towards the East and South by the remaining portion of the Plot No. 77 on or towards the West by Plot No. 75 known as Deshmukhwadi and on or towards the North by Javer Road.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Bombay

- (1) Shri Chimanlal Jodharam and
Makhanlal Jodharam.

(Transferor)

Date : 30-6-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-27

Bangalore-27, the 19th June 1975

No. CR. 62/3175/74-75/ACQ(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

The property being a vacant site bearing Municipal Khata No. 90/1 (Corporation Division No. 24) situated at Vittal Nagar, Bangalore City (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Basavangudi, Bangalore-4, DOC No. 3265/74-75 on 21-10-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Nanjamanni, W/o K. Srinivasa Rao, 394/2, 9th Main Road, Manumantha Nagar, Bangalore-19.

(Transferor)

(2) Shri B. R. Narayanaswamy
S/o late Shri A. B. Ramaiah,
U-60, 17th Cross, Padarayanaपुरa,
Bangalore-26.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a vacant site bearing Municipal Khata No. 90/1 (Corporation Division No. 24), Vittal Nagar, Bangalore City.

BOUNDARIES

EAST : Road
WEST : Another's property
NORTH : 30' Road
SOUTH : Another's property
DOC No. 3265/74-75, dt. 21-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 19-6-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-27

Bangalore, the 28th June 1975

No. CR.62/3301/74-75/Acq(B).—Whereas, I. R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being a vacant site bearing No. 79/9 (Old No. 5), Nandidurg Road, situated at (Division No. 46), Bangalore City, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Gandhi Nagar, Bangalore-9 DOC. No. 2966/74-75 on 7-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri G. Ramaiah Reddy, No. 157, Domblur, Bangalore. (Transferor)
- (2) Shri Prahlad Koushik, 25, Via Bonincontri, Rome-00147 Italy. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a vacant site bearing No. 79/9, (Old No. 5) Nandidurg Road, (Division No. 46), Bangalore City. Site area=59 ft. × 52 ft. =3068 sq. ft. Doc. No. 2966/74-75, dt. 7-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bangalore.

Date : 18-6-1975
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-27

Bangalore, the 26th June 1975

No. CR.62/3359/74-75/ACQ(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Building premises known as 'Hillview' bearing door No. 848, 849 New Nos. 26/26/1, situated at Lokaranjan Mahal Road, Nazrabad Mohalla, Mysore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hd. Qrs. Sub-Registrar, Mysore DOC No. 2676/74-75 on 28-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shrimati S. A. Gowramma, W/o, late A. R. Rajoo, No. 137, 7th Main Road, V Bloock, Jayanagar, Bangalore-11. (Transferor)
- (2) 1. Shri K. G. Thimmegowda, Land Lord, S/o late Sri Gurukara Venkataramanegowda,
2. Shri K. G. Venkataramanaswamy,
3. Shri K. G. Saiprasad,
4. Shri K. G. Subramanya, Minor by Guardian and father Shri K. G. Thimmegowda, All are residing at Kanakapura Dist. Bangalore (Transferee)
- (3) Shri -B. Chandra Prakash. (Person(s) in occupation of the property)
- (4) 1. Shri K. R. Venkatachala Setty.
2. Smt. K. V. Radhamma W/o Shri K. R. Venkatachala Setty No. 40, Satyanarayana temple Road, Ittigegud, Mysore City.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building premises known as 'Hill View' bearing Door No. 848 and 849, New Nos. 26 and 26/1, Lokaranjana Mahal Road, Nazrabad Mohalla, Mysore.

$$\text{Site area} = \frac{141' + 172' 3''}{2} \times \frac{202' .30'' + 208'}{2}$$

32157 sq. ft.

Boundaries

East : Zoo garden Road.
West : Ittigegud Pvt. Houses.
South : Lokaranjana Mahal Road.
North : Central Nursery.
DOC. No. 2676/74-75, dt. 28-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bangalore.

Date : 26-6-1975
[Signature]

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-27

Bangalore, the 1st July 1975

No. CR.62/3118/74-75/Acq.(B).—Whereas, I. R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Dry land measuring 2 acres and 10 cuntos, in Survey No. 5, Sanneguruvanhalli, situated at Yeshwantapura Hobli, Bangalore North Taluk (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore North Taluk DOC. No. 3883/74-75 on 3-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri K. Krishnamoorthy, S/o. late Shri Kullappa, No. 378, Upper Palace Orchards, Sadashivanagar, Bangalore-6.

(Transferor)

- (2) Shri I. T. A. Channabasavaih, 2. Shri Yellappa, S/o. late Shri Puttaiah, "Gurukrupa", Shivanahalli, Rajaji Nagar, Bangalore-10.

(Transferee)

(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Site No.	Name of the allottee
1.	Shri Raja Ram
2.	" Ramaiah
5.	" K. Bommaiah
6.	" B. N. Neelakantaiah
7.	" P. Gundu Rao
8.	" K. N. Naganna
9.	" Chickkanaiah
10.	" D. Viswanath
12.	" Shanmugam Achari
13.	" Thirumaiah
14.	" Md. Hussain
16.	" K. Siddappa
17.	" Ponnuswamy
18.	" K. O. Ramakrishna
19.	" Narasimhaiah
21.	" P. Kuttappa
22.	" D. Narayanaswamy
24.	" Rajamanikayar Achari
25.	" M. Arumugam
27.	" Smt Laxmi Ammal
28.	" Bhuganga Setty
31.	" N. B. Basavalingalah
32.	" K. R. Mallaiah
33.	" Kempaiah
35.	" N. M. Narayanappa

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Dry land measuring 2 acres and 10 Cuntas in Survey No. 5, Sanneguruvanhalli, Yeshwantapura Hobli, Bangalore North Taluk.

Boundaries

East: Land belongs to Sri Krishna Setty, Shri More Gowda and Shri Srinivasa Murthy.

West: Land belongs to the Society of Engineering College

North: Remaining portion of the land belongs to the vendor.

South: Land belongs to Krishna Setty and Jakkanna belonging to the Survey No. 5.

DOC. No. 3883/74-75, dated 3-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Bangalore.

Date: 1-7-1975

Seal:

FORM ITNS—

(1) Shri Birendra Kishore Roy Chowdhury, 55/3B,
Ballygunge Circular Road, Calcutta.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Smt. Savita Gambhir, Flat No. 28, 12B, Lord
Sinha Road, Calcutta-16.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III,
54 RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16.

Calcutta, the 25th June 1975

Ref. No. 266/Acq. R-III/75-76/Cal.—Whereas, I, L. K.
Balasubramanian,being the competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believethat the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearingNo. 55/3B, situated at Ballygunge Circular Road, Calcutta
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer

at Sealdah, 4-Parganas on 21-10-1974.

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif-
teen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer; and/
or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957).Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—

21—156 GI/75

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the Official
Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used
herein as are defined in Chapter
XXA of the said Act, shall have the same
meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of vacant land measuring 6 cottahs
8 chittacks 25 sq. ft. more or less situated at and being a por-
tion of premises 55/3B, Ballygunge Circular Road, Calcutta
as per deed No. 1847 of 1974 registered before the Sub-
Registrar, Sealdah.

L. K. BALASUBRAMANIAN,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range-III,

54 Rafi Ahmed Kidwai Road (3rd floor),

Calcutta-16.

Date : 25-6-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
CALCUTTA

Calcutta, the 27th June 1975

Ref. No. AC-5/Acq. R-V/Cal/75-76.—Whereas, I, S. S. Inamdar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing No. 132A, Dr. Meghnath Saha Sarani situated at P. S. Tollygunge, Dist-24-P. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Alipore Sadar, 24P on 8-10-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dwijesh Ch. Roy Chowdhury 129, Southern Avn., Cal-29.

(Transferor)

(2) 1. Narayan Ch. Konar,
2. Sunil Ch. Konar,
3. Anil Ch. Konar, All of 26A, Keyatola Lane, Cal-29.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

132A Dr. Meghnath Saha Sarani, P. S. Tollygunge, Dist-24-Pgs. Land measuring more or less 3 cottahs 7 chattaks.

S. S. INAMDAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Calcutta.

Date : 27-6-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
54, RAFI AHMED KIDWAI RD.,
CALCUTTA-16

Calcutta the 27th June 1975

Ref. No. AC-9/R-II/Cal/75-76.—Whereas, I, R. V. Lal-mawia, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Kh. No. 189, J.L. No. 2, Dag No. 25 situated at Mouza & P. S. Behala (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:

- (1) 1. Shri Usha Ranjan Guha
2. Sri Sudhir Ranjan Guha,
3. Sri Adhir Ranjan Guha, &
4. Smt. Parimal Bala Ghosh, all of 238A, Rash Behari Avenue, Calcutta.

(Transferor)

- (2) Kumari Puspalata Chatterjee, of 189, Acharyya Prafulla Ch. Rd. Calcutta-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 65 dec. in J.L. No. 2, Kh. No. 189, Dag No. 25, Mouza & P. S. Behala, 24-Prgs.

R. V. LALMAWIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 27-6-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Ram Narain Arora s/o Shyam Lal Arora,
110/21, Nehru Nagar, Kanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri S. Surender Singh s/o S. Diwan Singh r/o
Mariahu District Jaunpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

* (3) Shri M/s Bharat flooring
2. M/s Parrydeals
3. S. K. Sethi Krishna Chand
4. Balwant Singh
5. Dharmveer
6. Mota Singh 7. Autar Singh
8. P. Maheshwari
9. J. K. Gandhi.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kanpur the 24th June 1975

Ref. No. Acq./196/Kanpur/74-75/577.—Whereas, I F. J. Bahadur,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 110/21 situated at Nehru Nagar Kanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Kanpur on 18-10-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property H. No. 110/21 situated at Nehru Nagar, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 1,35,000/-.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner,
of Income-Tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 24-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 28th June 1975

Ref. No. I.(EG)506/74-75-Acq.F.No. 199.—Whereas, I, B. V. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 931 situated at Sarpavaram Village Kakinada Taluk, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Kakinada in December, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Sirangu Srinivasarao Sudhapalem
2. Rao Bapanayya Rao, M/P Raja Re-rolling Mills, Sarpavaram
3. Rao Lakshmi Venkata Ranga Rao, Kakinada
4. Sirangu Muktuteswararao, Sudhapalem
5. Akula Sivvayyanaidu, Kakinada.
(Transferor)
- (2) 1. Merla Jagannadham
2. Merla Ramanna
3. Merla Venkayya Chowdary
4. Merla Bulliammai
5. Merla Jogayamma
6. Yarlagadda Umamaheswararao, Partners in Sarbana Re-rolling Mills, Sarpavaram, Kakinada Taluk.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The Schedule property namely land, Mill premises, Machinery at Sarpavaram as shown in the sale document No. 6278/74 of S. R.O. Kakinada registered in the month of December, 1974.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Kakinada.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Rajendra Narayan, Nandi, Radha Govinda Nandi, Nandal Nandi, Radhapada Nandi, Harri-sadhan Nandi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Subhas Chand Agarwalla.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
CALCUTTA

Calcutta, the 27th June 1975

Ref. No. AC-218/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, S. Bhattacharyya, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 14 situated at Mahatma Gandhi Road (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 17-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such, apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided half share of land measuring 5 Cottahs more or less and building thereon at 14, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.

S. BHATTACHARYYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 27-6-1975.

Seal:

FORM ITNS

(1) Sh. Balbhadar Singh S/o Parduman Singh R/o Nangal, now Badon, Teh. Garh Shankar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

(2) Sh. Tarlochan Singh S/o Balwant Singh C/o Parduman Singh R/o Baddon.

(Transferee)

(3) As above in Sr. No. .

[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

Ref. No. AP900/Garh-Shankar/75-76.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. See schedule situated at Vil. Nangal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Garh Shankar in Oct., 74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2446 of October, 1974 of the Registering Authority Garh Shankar.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Date: 28-6-1975.

Seal:—

FORM I.T.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP926.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Mohl. Seikhan Hoshiarpur (6 Marla) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Dr. Harbans Lal s/o Dharam Chand s/o Chunni Lal Shah, R.O. Shish Mehal, Br. Hoshiarpur. (Transferor)
- (2) Sh. Sital Parkash s/o Kundan Lal s/o Kanshi Ram Jain Mohl. Br. Seikhan Hoshiarpur. (Transferee)
- (3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property]
- (4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act; shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House as mentioned in Regd. deed No. 2836 of October, 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP927.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Model Town, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

22—156GI/75

(1) Smt. Sarasti Devi w/o Late Dr. Krishan Kumar, Jullundur.

(Transferor)

(2) M/S United Sales Corp. Nehru Garden, Jullundur.

(Transferee)

(3) Any other person interested in the Kothi.
[Person in occupation of the property].(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi as mentioned in Regd. deed No. 6978 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 928.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Ali Khail, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Gurdev Singh s/o S. Gehl Singh of Vill. Ali Khail, Teh. & Distt. Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh. Amar Singh s/o Sh. Ditto of Copalpur alias Bidhipur, Teh. Jullundur.

(Transferee)

(3) As above in Sr. No. 2.

[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the land.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 1008 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 929.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Ali-Khail

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of in any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Gurdev Singh s/o Gehl Singh of vill. Ali Khail, Teh. Jullundur.
(Transferor)
- (2) Sh. Amar Singh s/o Ditto Singh, Vill. Gopalpur alias Bidipur.
(Transferee)
- (3) As above in Sr. No. 2.
[Person in occupation of the property].
- (4) Any other person interested in the land.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7094 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-930.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Ali Khail, Teh. & Distt. Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Gurdev Singh s/o Gehl Singh of Vill. Ali Khail, Teh. & Distt. Jullundur.

(Transferor)

- (2) Sh. Amar Singh s/o Ditto of Vill. Gopalpur alias Bidhipur, Teh. & Distt. Jullundur.

(Transferee)

- (3) As above in Sr. No. 2.
[Person in occupation of the property].

- (4) Any other person interested in the land.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here, in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7132 of Oct., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 931.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Sarai Khas. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) S. Gurbaksh Singh s/o Beru s/o Budu of Sarai Khas, Teh. Jullundur.
(Transferor)
- (2) S. Mohinder Singh s/o S. Mohan Singh, Sarai Khas, Teh. Jullundur.
(Transferee)
- (3) As above in Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6513 of Oct., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 932.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0000/- and bearing

No. As per schedule situated at Vill. Talwandi Jattan

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawanshehr in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the 'Said Act', to the following persons namely :—

- (1) Smt. Giano w/o Chaman Singh, R/O Talwandi P.O. Chak Ramoo.
(Transferor)
- (2) Shri R. Teja Singh s/o Jagat Singh & Chanana Kaur w/o Teja Singh, R/O Talwandi Jattan, P.O. Chak Ramoo.
(Transferee)
- (3) As above in Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 3306 of October, 1974 of Registering Authority, Nawanshehr.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 933.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Bheekhowal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Nov. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri R. Gurnam Singh s/o Karam Chand s/o Wazire & R.O. Kukar Pind. (Transferor)
- (2) S/R Gian Singh and Surjit Singh s/o Ujagar Singh s/o Basawa Singh, R.O. Vill. Arjanwal, P.O. Adampur, Teh. Jullundur. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

As mentioned in Regd. Deed No. 3150 of Nov., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 934.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule

situated at Sutheri H/puer

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Sh. Dalip Singh s/o Gopal Singh s/o Gurbax Singh, R.O. Sutheri Khurd, Hoshiarpur.
(Transferor)
- (2) Smt. Krishan Kanta w/o Brahm Parkash s/o Sagli Ram R.O. Baghpur, Teh. Hoshiarpur.
(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 2804 of October, 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 935.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Near Milapnagar, Hoshiarpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
23—156GI/75

- (1) Shri Balwant Singh s/o Udham Singh s/o Jiwa Ram G.A. To Mehr Singh s/o Udham Singh s/o Jiwa, R.O. Jagat Pura, Hoshiarpur.
(Transferor)
- (2) Sh. Mohinder Singh s/o S. Sadhu Singh s/o Isher Ram, R.O. Fateh Garh Naira, P.S. Teh. Hoshiarpur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the plot.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which-ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 2729 of Oct., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Rel. No. AP 936.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Kotla Ghanpur, Teh. Hoshiarpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269-C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

- (1) S/Shri Gurbachan Singh & Pritam Singh Ss/o Dasonda Singh, R.O. Ajjowal Teh. Hoshiarpur.
(Transferor)
- (2) Gurbachan Singh, Sh. Pritam Singh Ss/o Gokalchand S/o Sunderdass Saini, R.O. Moh. Kumalpara, Hoshiarpur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 2779 of Oct., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commission of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S. ———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 937.—Whereas, J. Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule. situated at Near Arya Samaj Mandir, Hoshiarpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Jagdish Chander s/o Hira Lal s/o Lachhman Dass and Kailaschand s/o Parkash Chand s/o Hira Lal r/o Near Arya Samaj Mandir, Hoshiarpur.
(Transferor)

- (2) Sh. Vidya Sagar s/o Mukand Lal s/o Dini Chand, R.O. Prahalad Nagar, Hoshiarpur, through Sh. Ram Parkash s/o Mukand Lal, r/o Prahalad Nagar.
(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the plot.
(Person who the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 2904 of Oct., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP/938.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Basti Sheikh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Krishan Kumar s/o Sh. Chiman Lal, Model House, Basti Sheikh, Jullundur.

(Transferor)

- (2) M/S SBI Supervising Staff Cooperative Society, Ltd., Jullundur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

- (4) Any other person interested in the land.

(Person who the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7004 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP939.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing,

No. As per schedule.

situated at Basti Sheikh, Teh. Jullundur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Nov. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Kishan Kumar s/o Chiman Lal s/o Mohri Lal in Model House in Basti Sheikh Jullundur.
(Transferor)
- (2) M/S SBI Supervising Staff Cooperative Society Ltd., Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

As mentioned in Regd. deed No. 7237 of Nov., 1974 or Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-Tax,

Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP940.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Dhadda.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Garshankar in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

- (1) Shri R. Swarn Singh s/o Nagina, R.O. Dhada, P.S. Mahilpur.
(Transferor)
- (2) Smt. Chanan Kaur w/o Gurbax Singh, Vill. Dhadda.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 2468 of October, 1974 of Registering Authority, Garshankar.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date . 28-6-1975.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP941.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule,
situated at Nangal Purdill.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Karam Singh s/o Ram Singh of Nangal Purdill as General Attorney of Gujjar Singh of Nangal Purdill.
(Transferor)
- (2) Sh. Avtar Singh s/o Ram Singh of Nangal Purdill.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7048 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Seal:

FORM ITNS—

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(4) Any other person interested in the land.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP942.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule,
situated at Nangal Purdil

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Karam Singh s/o Ram Singh, Nangal Purdil,
General Attorney of Gujjar Singh s/o Mangal Singh,
Nangal Purdil.

(Transferor)

(2) Sh. Gurdip Singh s/o Karam Singh of Nangal Purdil.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7013 of Oct. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Seal;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP943.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule.
situated at Nangal Purdil

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Karam Singh s/o Ram Singh R/o Nangal Purdil (Teh. Jullundur) G.O. to Gujjar Singh s/o Mangal Singh.
(Transferor)
- (2) Smt. Joginder Kaur w/o Avtar Singh, Nangal Purdil.
(Transferee)

24—156G1/75

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7130 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP944.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Nangal Purdil (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Karam Singh s/o Ram Singh CA of Gujjar s/o Mangal Singh, R.O. Nangal Purdil.

(Transferor)

- (2) Smt. Nachatar Kaur w/o Sh. Karam Singh, Nangal Purdill.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7090 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Seal:

FORM ITNS —————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP945.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Sahowal, Near Garali (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Dharm Singh s/o Sh. Udham Singh, Vill. Sahowal, Teh. Jullundur.
(Transferor)
- (2) Vasant Vihar Cooperative House Building Society, Ltd. Sahowal.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6734 of Oct. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP946.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule.

situated at Bambianwal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Avtar Singh, Ranjeet Singh s/o Mohan Singh, Satinder Singh, Harkirat Singh & Virat Singh of Bambianwal.

(Transferor)

(2) Nirmal Singh s/o Chanchal Singh of Bambianwal.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No 6546 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

(2) Sh. Sanjeet Kumar s/o Krishan Chand, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the shop.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP947.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule.

situated at Grain Market, Jullundur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Gurdial Singh s/o Hari Singh, V.P.O. Khjur, Teh. Phagwara.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop as mentioned in Regd. deed No. 6775 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP948.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 23,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Industrial Area (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

- (1) J. Anand Shotal Kock House through Madan Lal s/o Sardari Lal, Basti Nau, Jullundur.
(Transferor)
- (2) Sh. Ram Sarup & Ram Parkash, Sh. Tulsji Ram in Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd deed No. 7136 of Oct. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

(1) Sh. Krishan Lal Chadha & Kundan Lal Chadha of Jullundur City.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Joga Singh s/o Mehnga Singh, Vill. Bilga, Dist. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Jullundur, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AP949.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule. situated at Mandi Road, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Property as mentioned in Regd. deed No. 7042 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

RAVINDER KUMAR

Competent Authority.

Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM JTNS

(1) Dr. Sarabjit Singh s/o Lt. Col. S. S. Bawa, Jullundur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) (1) Parveen Chander s/o Uggarsain, Mandi Fantan Gunj, Jullundur. (2) Shri Surinder Parkash s/o Sohan Lal, 603 Model Town, Jullundur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.(4) Any other person interested in the plot.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Ref. No. AP950.—Whereas, I Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule,

situated at Bye Pass, Chougutti, Near Pathankot Bye-pass, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the

Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 6655 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-tax,

Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.**

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP951.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (herein after referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at Pathankot Bypass, Jullundur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

—156G1/75

(1) Dr. Sarbjeet Singh Bawa s/o Lt. Col. S. S. Bawa,
518 New Jawahar Nagar Jullundur.
(Transferor)

(2) Sh. Parveen Chand s/o Uggarsain, EP 243 Mandi
Fentan Gunj, Surinder Parkash s/o Ram Lal of 603
Model Town, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the plot,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in Regd. deed No. 6616 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975,
Seal :

FORM ITNS

(1) S. Mohan Singh, Vill. Garha, Distt. Jullundur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Baljit Singh, S.P. CID Pb. Chandigarh.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

(4) Any other person interested in the land
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Jullundur, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. AP-952.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

No. As per schedule situated at Jullundur

in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 6974 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

RAVINDER KUMAR

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Date: 28 June 1975.
Seal:

FORM ITNS-----

(2) Smt. Prem Kapoor, w/o Sh. Sat Pal, N.F. 164, Mohendru Mohalla, Now : 200 Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-953.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Shaktinagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand Anand s/o Sh. Bansi Lal, 200, Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the building.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. deed No. 6680 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28 June 1975.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-954.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Shakti Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand s/o Bansi Lal 200 Shakti Nagar, Jullundur,

(Transferor)

(2) Smt. Dwarka Devi Kapoor w/o Khem Raj Kapoor, N.F. 164, Mohindru Mohalla, Jullundur, Now 200 Shakti Nagar, Jullundur,

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the building.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. deed No. 6681 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-Tax

Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28 June 1975.

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Vijay Kumar s/o Pt. Bihari Lal, Mohalla Shiv Nagar, Jullundur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Jai Udyog Traders Corporation, Industrial Area, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in (A Factory) plot.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-955.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. As per schedule situated at Industrial Area, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(A Factory) plot as mentioned in Regd. deed No. 6501 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Suresh Chand s/o Bihari Lal, Mohalla Shiv Nagar, Jullundur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Jay Udyog Traders Corporation Industrial Area, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other person interested in the plot.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned—

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-956.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Industrial Area, Jullundur (and more fully described in, the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Plot as mentioned in Regd. deed No. 6520 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-Tax

Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

Date: 28 June 1975.

Seal :

FROM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-957.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Daferwal, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Surjeet Singh s/o Bharahmana, Vill. Rasulpur, Teh. Jullundur.
(Transferor)
- (2) Sh. Amarjeet Singh, Amrik Singh Ss/o Dilbagh Singh, Rahimpur, Teh. Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6477 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.
Seal:

FORM I.T.N.S.-----

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(4) Any other person interested in the land
(Person whom the undersigned knows to be in-
terested in the property)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;

Ref. No. AP-958.—Whereas, I Ravinder Kumar
being the competent authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

No. As per schedule situated at Dafarwal (Kishangarh) Jull.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object—

(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the Said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957)

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6476 of October,
1974 of Registering Authority, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said
Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the Said Act, to the following persons
namely :—

(1) Sh. Surjeet Singh s/o Bharahmana,
Vill. Rasulpur Teh. Jullundur.
(Transferor)(2) Dilbagh Singh, Gurbachan Singh, Vill. Rahim-
pur, Teh. Jullundur.
(Transferee)RAVINDER KUMAR
Competent Authority,Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28 June 1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-959.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Kala Bahia (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Sadhu Singh s/o Banta Singh, Vill. Kala Bahia, Teh. Jullundur,
(Transferor)

(2) Sh. Sadhu Singh s/o Marnam Singh in Vill. Espur, Teh. Jullundur,
(Transferee)

* (3) As per Sr. No. 2 above,
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6818 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975,
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-960.—Whereas, I Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Semi (Jull.) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Dev Raj s/o Bhagat Ram of Bhula Rai, Teh. Phagwara.
(Transferor)
- (2) Shri Lachhman Dass s/o Munshi Ram of Semi, Teh. Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6659 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-961.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Semi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely:—

- (1) Sh. Munshi Ram s/o Bholu Ram V. Jullundur.
(Transferor)
- (2) S. Major Singh s/o Ginder Singh Bir Pind, Teh. Nakodar.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6660 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

Seal:—

FORM ITNS

(2) S/Sh. Jagjit Singh, Surjit Singh, Balbir Singh, Jaswant Singh and Malkiat Singh Ss/o Arjan Singh, Vill. Kohala.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other persons interested in the land,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Jullundur, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. AP 962.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Naram wal (Jull.)

(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7110 of Oct., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

RAVINDER KUMAR

Competent Authority.

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-Tax,

Acquisition Range, Jullundur

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Balwant Singh s/o Sh. Sadhu Singh, Vill. Dasalpur, Teh. Jullundur.

(Transferor)

Date : 28 June 1975.

Seal :

FORM I.T.N.S. _____

(1) Sh. Piara Singh s/o Sadhu Singh, Vill. Desalpur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) S/Sh. Jaggit Singh, Surjit Singh, Jaswant Singh, Balbir Singh & Malkiat Singh s/o Arjan Singh, Vill. Kahola Teh. Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.(4) Any other person interested in the land,
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AP 963.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. As per schedule situated a Narainwahi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7111 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 28th June 1974.

Seal :

FORM ITNS

(2) S/Shri Balwant Singh, Manjit Singh Ss/o Sampuran Singh of V. Chamara.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AP 964.—Whereas, I Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Chamara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or and moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shana Singh s/o Achhar Singh of Vill. Chamara, Teh. Jullundur.
(Transferor)

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6687 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28 June 1975.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 965.—Whereas, I Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs .25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at Chamiara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Sham Singh s/o Achhar Singh of V. Chamiara, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Ram Kaur wd/o Jaswant Singh s/o Arjan Singh, Smt. Manjit Kaur w/o Jaswant Singh, Vill. Chamiara.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6703 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28 June 1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 966.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Sada Chak (Pkot Road) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Ganga Singh s/o Sunder Singh, Vill. Mihanwala,
(Transferor)

(2) Shri Dalbir Singh, Bhupinder Singh Ss/o Jarnail Singh, Vill. Lidhran & Chanan Kaur w/o Malait Singh, Joginder Kaur w/o Ajit Singh, Gurdip Kaur w/o Sadhu Singh & Mohinder Singh s/o Karam Singh, Sadachak,
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above,
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6514 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28 June 1975

Seal:

FORM ITNS

(1) Smt. Harjinder Kaur w/o Madhu Sudan Singh Bedi,
R.O. Khaila Ba'and, Distt. Hoshiarpur,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Gurnam Singh & Darbara Singh Ss/o Sajan
Singh s/o Partap Singh, Dhootan.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).(4) Any other person interested in the land,
(Person whom the undersigned knows to be inter-
ested in the property)Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.—

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 967.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Dhootan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Humga in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby

initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
27—156GI/75

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 1129 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28th June 1974.
Seal :—

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 968.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per schedule situated at Dhootan (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhungha in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Harjinder Kaur w/o T. Madhu Sudan Singh Bedi, R.O. Khiala Balanda, Distt. Hoshiarpur.
(Transferor)
- (2) S/Sh. Jai Singh, Tarlok Singh Ss/o Sajan Singh s/o Partap Singh, Dhootan.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 1130 of October, 1974 of Registering Authority, Bhungha.

RAVINDER KUMAR

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, JullundurDate : 28th June 1975,
Seal :

FORM ITNS

(2) Shri Banta Singh s/o Jai Singh s/o Nihal Singh,
R.O. Panj Dhera Kalan, P.O. Mukarian.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be in-
terested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Jullundur, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;

Ref. No. AP 969.—Whereas, I Ravinder Kumar
being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
the said Act), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and
bearing

(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

As per Schedule situated at Dherowal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the
Registering Officer at
Mukarian in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen percent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used
herein as are defined in Chapter
XXA of the said Act, shall have the same
meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 1438 of October,
1974 of Registering Authority, Mukarian.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-
tion (1) of section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—

RAVINDER KUMAR

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

(1) S/Sh. R. Ajit Singh, Pritam Singh, Amrik Singh Ss/o
Harnam Singh s/o Sabha Singh, R.O. Singhpur, P.S.
Nazipur.

(Transferor)

Date : 28th June 1975.

Seal :

FORM ITNS

(1) Sh. Sohan Singh s/o Banta Singh G.A. of Bantu alias Banta Singh adopted son of Narain Singh, Haripur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Dalbir Singh, Pritam Singh Ss/o Piara Singh, R.O. Haripur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AP 970.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at Haripur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which-ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6723 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28 June 1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 971.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per schedule situated a Kishangarh Road (and more full described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- 1) Sh. Karam Singh s/o Ganda Singh of vill. Chakrala, Teh. & Distt. Jullundur.
(Transferor)
- (2) Sh. Baldev Singh, Sucha Singh, Ajit Singh, Sadha Singh, Ss/o Ujagar Singh, Vill. Chakrala
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other persons interested in the land,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7145 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28th June 1975.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 972.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Haripur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Sohan Singh s/o Banta Singh G.A. to Bantu Alias Banta Singh adopted s/o Narain Singh, Haripur.

(Transferor)

(2) Sh. Harbhajan Singh, Jagat Singh r/o Bul. Div. Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other persons interested in the land,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6762 of October 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28th June 1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 973.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Fazalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons namely :—

(1) Sh. Kulwinder Singh s/o S. Bir Singh of Jullundur.
(Transferor)

(2) Sh. Kashmir Singh s/o Chanan Singh of Vill. Talwani Jantan, Teh. Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above,
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6918 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28 June 1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 974.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Wadala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'said Act', I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Ghansham Dass s/o Mehta Vesma Ram, G.P. Aty. of Joravar Singh S/o Kartar Singh, 376 Mohan Partapura inside Subash Nagar, Karnal. (Transferor)
- (2) Smt. Kamaljit Kaur d/o Dilbagh Singh, 300-L Model Town, Jullundur. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. decd No. 6560 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 28th June 1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Amarjit Singh, s/o Sh. Tarlok Singh r/o N-46, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Santosh Sapra w/o Shri Chander Parkash Sapra r/o E-29, Kamla Nagar, Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II

4-A/14, ASAF ALI ROAD CENTRAL REVENUES
BUILDING, 3RD FLOOR DELHI/NEW DELHI.

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/849/75-76.—Whereas I, S. N. L. Agarwala, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 31-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

28—156GI/75

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One fourth share in plot measuring 1055 sq. yds (i.e. 263.75 sq. yds) known as Plot No. 2 Group No. 1 at 7 Rajpur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Delhi/New Delhi.

Date : 5-7-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR
NEW DELHI

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/846/75-76.—Whereas I, S. N. L. Agarwala, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Delhi on 31-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

- (1) Shri Surinderjit Singh s/o Shri Tarlok Singh, r/o N-46, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Smt. Santosh Sapra w/o Shri Chander Parkash, r/o 29-E, Kamla Nagar Delhi.
2. Smt. Waryam Kaur w/o Sh. Karam Singh r/o 5476, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi.
3. Sh. Amarjit Singh.
4. S. Avtar Singh sons of Sh. Karam Singh r/o 5476, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi.
5. Sh. Sudhershnan Lal s/o Shri Shivan Ditta Mal r/o 13, Rajpur Road, Civil Lines, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One fourth share in measuring 1055 sq. yds (i.e. 263.75 sq. yds) known as Plot No. 2 Group No. 1 at 7, Rajpur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi.

Date : 5-7-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Paramjit Singh s/o Shri Tarlok Singh r/o N-46, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Sudershan Lal s/o Shri Shivan Ditta Mal r/o 13 Rajpur Road, Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR

Objections, if any, to the acquisition of the said pro-
perty may be made in writing to the undersigned—

New Delhi, the 5th July 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a
period of 45 days from the date of publication
of this notice in the Official Gazette or a
period of 30 days from the service of notice
on the respective persons, whichever period
expires later;

Ref. No. IAC/Acq.II/848/75-76.—Whereas, I. S. N. L.
Agarwala,

being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1971) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 31-10-1974,

for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the said parties has not been truly

stated in the said instrument of transfer with the object
of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act
or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXA of the
said Act shall have the same meaning as
given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One fourth share in plot measuring 1055 sq. yds (i.e.
263.75 sq. yds) known as plot No. 2 Group No. 1 at 7 Raj-
pur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of section 269C

I here-

by initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid
property by the issue of this notice under sub-section (1)
of Section 269D of the said Act,
to the following persons, namely :—

Date : 5-7-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/847/75-76. Whereas, I, S. N. L. Agarwala, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 31-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Kanwarjit Singh s/o Shri Tarlok Singh, r/o N-46, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Waryam Kaur w/o Sh. Karam Singh,
2. Sh. Amarjit Singh s/o Sh. Karam Singh,
3. Shri Aytar Singh s/o Sh. Karam Singh,
ALL Residents of Plot No. 5, House No. 5476,
Basli Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One fourth share in plot measuring 1055 sq. yds (i.e. 263.75 sq. yds) known as Plot No. 2 Group No. 1 at 7 Rajpur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 5-7-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR

New Delhi, the 9th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/850/75-76/1472.—Whereas, I, S. N. L. Agarwala, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3167 situated at Kucha Tara Chand, Darya Ganj, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 16-10-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Gosami Bal Kishan Dass s/o Shri Gosami Ragubar Dayal,
2. Sv/Shri Gosami Brij Mohan,
4. Gosami Madan Mohan and
4. Gosami Surinder Mohan sons of Sh. Gosami Bal Kishan Dass, all residents of 3166, Kucha Tara Chand, Darya Ganj, Delhi-6.
(Transferor)
- (2) Smt. Ganesh Devi w/o Sh. Devi Sahai, r/o 3167, Kucha Tara Chand, Darya Ganj, Delhi-6.
Sv/Shri
(Transferee)
- (3) (Person(s) in occupation of the property).
1. Des Raj
2. Sher Singh
3. Chinta Ram
4. Om Prakash
5. Prem Chand
6. Sewa Ram
7. Mahendra
8. Devendra
9. Vedna Nath
10. Vas Dev Sahai
11. Shyam Lal
12. Shadhi Lal
13. Kailash Chand
14. Sher Singh
15. Parshotam Narayan
16. Mam Raj
17. Raj Krishan
18. Narendra Parkash
19. Ram Adhar
20. Satya Narain
21. Basanti Devi
22. Shanti Devi

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3 Storeyed building constructed on a plot of land measuring 461 sq. yds and located at 3167, Kucha Tara Chand, Darya Ganj, Delhi-6.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Delhi/New Delhi.

Date : 9-7-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 23rd June 1975

Ref. No. ASR/98/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Gumanpura Teh. Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Amritsar (Tehsil) in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Miss Jasprit Kaur d/o S. Moinder Singh Uppal r/o Lawrance Road, Amritsar (Now 22 Feroze Gandhi Road, New Delhi).

(Transferor)

(2) Shri Sardul Singh, Daljit Singh ss/o Shri Puran Singh r/o Wadali Guru Teh. Amritsar.

(Transferee)

* (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

* (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 6406 of October, 1974 of the Registering Authority, Amritsar (Tehsil).

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 23-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 23rd June 1975

No. ASR/99/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Gumanpura Teh. Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar (Tehsil) in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Miss Jasprit Kaur d/o Shri Mohinder Singh r/o Lawrance Road, Amritsar (at present 22 Feroze Gandhi Road, New Delhi) through Shri Ram Singh Uppal s/o S. Narain Singh Uppal, Mukhtiar-Khas, r/o Lawrance Road, Amritsar.
(Transferor)
- (2) Shri Harbans Singh, Sham Singh ss/o Shri Puran Singh r/o Wadall Guru Teh. Amritsar.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 6882 of October, 1974 of the Registering Authority, Amritsar (Tehsil).

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 23-6-1975.

Seal:

FORM ITNS

(2) Shri Kashmiri Lal s/o Shri Arjan Dass, Muktsar.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1), OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 24th June 1975

Ref. No. FDK/100/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Mission Ground Kothkapura Road, Muktsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muktsar in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shivnandan Lal Arora, Sagan Lal Ahuja & S. Dayal Singh Sandhu Muktsar,

(Transferor)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2127 of October, 1974 of the Registering Authority, Muktsar.

V. R. SAGAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 24-6-1975,

Seal :

FORM ITNS

(2) 1. Shri Sachin Pal, 2. Shri Deharsi Pramanik (minor) represented by his natural guardian father Lok Nath Pramanik, 522/1A, G.T. Rd., Mahesh, Hooghly.

(Transfer:free)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-V, CALCUTTA

Calcutta, the 8th July 1975

Ref. No. AC-6/Acq.R-V/Cal/75-76.—Whereas, I, S. S. Inamdar,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 522/1A, situated at G.T. Rd., Mahesh, Hooghly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 19-10-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1), of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Sanyal Das Agarwal, P-30, C.I.T. Rd., Scheme XM, Cal.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

522/1A, G.T. Rd., Mahesh, Dist-Hooghly being C.S. plot No. 3159, C.S. & R.S. Khatjan No. 241 Jl. No. 15 Touji 3876—Area 3 cottahs 14 chattaks 4 sft, including two-storied building.

S. S. INAMDAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range-V, Calcutta.

Date : 8-7-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,

NEW DELHI

New Delhi, the 8th July 1975

Ref. No. IAC Acq./Sr.III/Jan I/1461.—Whereas, I, C. V. Cupte,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act,) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. A/8 situated at Greater Kailash, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the

Registering Officer at New Delhi on 2-1-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Protul Chandra Sen s/o Late Dr. B. C. Sen as Kaita of the H.U.F. consisting of himself his wife Smt. Arti Sen and his minor son Master Inderjit Sen R/o L-2, South Extension Part II, Ring Road, New Delhi & Smt. Arti Sen w/o Sh. P. C. Sen L-2, South Extension Part II, Ring Road, New Delhi as the confirming party.

(Transferor)

(2) Shri Manohar Lal Gupta S/o Late Shri Charan Dass, A-8 Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing plot No. 8, Block 'A' measuring 600 Sq. Yds. together with the building constructed thereon situated in Greater Kailash No. I, New Delhi and bounded as under:—

On the North by : Road, On the South by : Service Lane,
On the East by : Road, On the West by : H, No. A-9.

C. V. CUPTÉ,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Delhi/New Delhi.

Date : 8-7-1975.

Seal :—

FORM ITNS

(1) Shri Sardar Hari Singh s/o Sardar Gopal Singh, called Copi Singh r/o Hall 173, Saket, Meerut City.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Major Hari Bhagwan Tiwari s/o Late Shri Bukhtawar Singh r/o 105 Air Defence Regiment through 56 A.P.O. present 294—Jattiwara, Meerut City.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Kanpur, the 7th July 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

Ref. No. Acq/136/Mrt/74-75/595.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Meerut City (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Meerut on 10-10-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) by any of the person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Immovable property Nos. 87, 88, 89 & 90 situated at Madho Nagar, Meerut City transferred for an apparent consideration of Rs. 47,500/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 7-7-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Standard Refinery & Distillery Ltd., 26, Brabourne Road, Calcutta-I.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Karam Chand Thapar & Bros. (P) Ltd. (Coal Sale), 25, Brabourne Road, Calcutta-I.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th July 1975

Ref. No. Acq/16/Unnao/74-75/591.—Whereas, I. F. J. Bahadur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Vill. Sheikhpur, Parg, Teh. Distt. Unnao (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Unnao on 16-10-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 29.02 acres, factory building, machinery, fittings and fixtures, situated in village Sheikhpur, Parg., Teh. & Distt. Unnao transferred for an apparent consideration of Rs. 565,000/-

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-7-1975.

Seal :

FORM ITNS

(2) Shri Arun Kumar Ajitsaria, 39/4, Purnadas Road, Calcutta-29.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(4) S/s. 1. Laduram Ajitsaria, 2. Rameswar Ajitsaria, 3. Haribux Ajitsaria, all of 39/4 Purnadas Road, Cal-29.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, 54 RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Calcutta-16, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. 267/Acq.R-III/75-76/Cal.—Whereas, I. L. K. Balasubramanian,

being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 39/4, situated at Purnadas Road, Calcutta-29

(and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of

1908) in the Office of the Registering Officer at

Sealdah on 16-10-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties

has not been truly stated in the said instru-

ment of transfer with the object of :—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Undivided 1/4th share in all the piece and parcel of land measuring 14 cottahs 5 sq. ft. and an undivided 1/4th share in the ground floor of the building thereon including garage, mezzanine floor rooms in the same premises as also in the staircase and landing thereof leading to the 3rd floor and the entirety of the divided 3rd floor together with the right to use the staircase leading the said 3rd floor with all other rights incidental to the full enjoyment of the 3rd floor at premises No. 39/4, Purnadas Road, Calcutta as per deed No. 1797 of 1974 registered before the Sub-Registrar, Sealdah.

I. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax
Acquisition Range-II, 54, Rafi Ahmed
Kidwai Road (3rd floor), Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Monoj Kumar Ajitsaria, minor by father Prah-ladrai Ajitsaria, Fancy bazar, Gauhati, Assam.

(Transferor)

Date : 28-6-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 20th May 1975

Ref. F. No. Acq/49(a)/Aligarh/74-75/406.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Moh. Gopalpuri, Sasni Gate, Aligarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Aligarh on 2-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandra Pal Singh S/O Sri Kharag Singh, R/O Moh. Sasni Gate, Aligarh presently R/O Mohalla Vishnupuri, Kothi No. 2/438, Aligarh.

(Transferor)

(2) Shri Shiv Kumar Sharma, S/O Sri Hira Lal Sharma, R/O Moh. Sarai Mian, Aligarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing municipal No. 11/76 and land adjacent to it, situated in Mohalla Gopalpuri, Sasni Gate, Aligarh, transferred for apparent consideration of Rs. 45,000/-.

F. J. BAHADUR

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Kanpur.

Date : 20-5-1975.

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Abdul Majid.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Ranno Devi and others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 13th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which-ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 48/ACQUISITION.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 532/510 situated on Arazzi No. 300 and 301 at Banarsi Tola Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Lucknow on 2nd Nov. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storeyed building No. 532/510 situated on arazi No. 300 and 301 at Banarsi Tola Ali ganj Lucknow.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 13-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(2) Shri Vishun Dayal.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 30th June 1975

Ref. No. 16-V/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. _____ situated at Palia Distt, Lakhimpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer on 2-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kewal Singh.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

A godown consisting of following : situated at village Palia Distt. Lakhimpur.

1. A shop
 2. A Room
 3. A Varandah
 4. A big room with two shutters
- Ist. Floor
1. A Room
 2. A Varandh
 3. Kitchen and bath room.

situated in village Palia Distt. Lakhimpur Kheri.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 30-6-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Kewal Singh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Bajrang Lal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 30th June 1975

Ref. No. 42-B/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. situated at Vill, Palia Distt. Lakhimpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Neghason on 2-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

30—156GI/75

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A godown consisting of following is situated at village Palia, Distt. Lakhimpur.

1. A shop.
2. A room.
3. A varandh
4. A big room with two shutters.

1st Floor

1. A room
2. A varandh
3. Kitchen and bathroom.

situated in village Palia, Distt. Lakhimpur Kheri.

BISHAMBHAR NATH

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 30-6-1975

Seal :

FORM ITNS ———

(1) Shri B. K. Chatterji & others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Krishna Chandra.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th June 1975

Ref. No. 33-K/Acquisition.—Whereas, I Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 136/142 situated at Azad Square Allahabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 4-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said, immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storeyed House No. 136/142 measuring 2691 Sqr. fts. having ten rooms situated at Azad Square, Allahabad.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date: 19-6-1975.

Seal:—

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th January 1975

Ref. No. PR. 174/Acq.23-257/19-8/74-75.—Whereas, I, P. N. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Block No. 11—Plot No. 15 to 18 situated at Udhna Industrial Co-operative Society, Udhna—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 4-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Principal Officer,
Industrial Development & Investment
Company Pvt. Ltd.,
202, Lal Bahadur Shastri Marg,
Ghatkopar, Bombay.

(Transferor)

(2) M/s. J. & K. Industries,
Road No. 4, Jawahar Road,
Udhna Industrial Estate, Udhna, Surat
through its partner—Shri Girdharilal Himatlal
Gandhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land Block No. 11—Plots No. 15 to 18 admeasuring 2400 Sq. yds. situated at Udhna Industrial Co-operative Society, Udhna, Surat—as mentioned in the registered deed No. 2102 of November 1974—of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 30th January 1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

(2) Shri Narendrakumar Vrajlal Jhaveri;
'VAJUBHAI HOUSE', 152/58, Sheikh Memon
Street, Bombay-2.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th May 1975

Ref. No. PR.222/Acq.23-403/6-1/74-75.—Whereas, I,
P. N. Mittal,being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.S. No. 532/63, Plot No. 62 situated at Viswas Colony,
Race Course Road, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Baroda on 5-11-1974,for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and
I have reasons to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi-
deration and that the consideration for such transfer as agreed
to between the parties has not been truly stated in the said
Instrument of transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said
Act.Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act, to the following persons,
namely :—

- (1) Shri Manmohandas Pursottamdas Vora;
 - Shri Damodardas Pursottamdas Vora;
 - Shri Trikamdas Pursottamdas Vora;
 - Shri Chandravadan Pursottamdas Vora.
- Court View, Churchgate, Bombay.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—(a) by any of the aforesaid persons within a
period of 45 days from the date of publication
of this notice in the Official Gazette or a
period of 30 days from the service of notice
on the respective persons, whichever period
expires later.(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXXA of
the said Act, shall have the same meaning
as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 532/63, Plot No. 62 ad-
measuring 5917 Sq. ft. at Viswas Colony, Race Course
Road, Baroda as fully described in sale deed registered
under No. 4769 dated 5-11-74 by registering Officer,
Baroda.P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 28-5-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 21st April 1975

Ref. No. Acq. 23-I-400(169)/11-6/74-75.—Whereas,
I, J. KATHURIA,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 141 situated at Near Bhalpara, Taluka Veraval,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Veraval on 5-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) M/s. Raghuvir Khandsari Sugar Udyog,
Village Bhalpara, Taluka Veraval,
through its partners—

1. Shri Gunvantraí Laxmidas,
2. Shri Rajnikant Laxmidas,
3. Shri Dhirajlal Laxmidas,
4. Shri Jayvantkumar Nautamlal,
5. Shri Amratlal Trikamji,

6. Shri Ratilal Trikamji,
7. Shri Popatlal Trikamji,
8. Smt. Jaysri Vithaldas,
9. Shri Lalitkumar Kalyanji,
10. Smt. Sarla Vinodrai,
11. Shri Durlabhji Bhimji,
12. Shri Jagjiwan Durlabhji,
13. Shri Sureshchandra Durlabhji,
14. Shri Kantilal Tribhovandas,
15. Shri Damodar Mathuradas,
16. Shri Jamnadas Lalji.

(Transferor)

(2) M/s. Amar Chemicals, Bhimpara,
Talab Road, Tal. Veraval,
through its partners.

1. Shah Lalitkumar Premji
2. Shah Mahendrakumar Premji

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building alongwith cut-house, standing on land admeasuring 3 Acres 21 Guntas, bearing Survey No. 141 situated Near Bhalpara Village Taluka Veraval and bounded as under:—

East : Other's property.
West : Veraval Talala Road.
North : Property of Bhagwan Jadav.
South : Property of Bhagwan Naran.

J. KATHURIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date :21-4-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Yogendra Balabhai Banker,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 21st April 1975

Ref. No. Acq. 23-1-419(170)/1-1/74-75.—Whereas, J. J. KATHURIA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. F.P. No. 109 T.P. Scheme No. 3 situated at Ellisbridge, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 11-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

2. Smt. Lilavati widow of Balabhai Bhogilal, Devji Saraiyani Pole, Sarkdi Sheri, Ahmedabad.

3. Shri Chandravadan Balabhai Banker, "Chandra Bhuvan", Mr. Sardar Bridge, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Vikram Vikas Mandal Owner's Association, Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 28 Gunthas (i.e. 3388 sq. yards) bearing Final Plot No. 109 of T.P. Scheme No. 3 and situated at Ellisbridge, Ahmedabad and bounded as under :—

North : F.P. 108

South : F.P. No. 110

East : 30' wide T.P.S. Road

West : 100' wide main Ashram Road.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 21-4-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Lakoo Ram and others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Aruna Devi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
LUCKNOW

Lucknow, the 17th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

Ref. No. 46-A/ACQUISITION.—Whereas, I, Bisham-
bhar Nath,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
movable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing

CK 30/8 situated at Moh. Murli Gali, Varanasi
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Varanasi on 6-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen percent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabi-
lity of the transferor to pay tax under the said
Act in respect of any income arising from the
transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of the notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act, to the following persons,
namely —

EXPLANATION :—The terms and expressions used
herein as are defined in Chapter
XXA of the said Act shall have the
same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house No. CK 30/8 alongwith situated at Mohalla
Murli Gali Chowk Shahr, Varanasi.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 17-6-1975

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

Ref. No. Acq. 23-I-4-11(191)/1-1/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal, being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 4 of S.P. No. 3 situated at T.P.S. No. 3, Chhadawad, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Ahmedabad on 6-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt Kunjibala Harisiddhbhai,
"Mandar", Behind Law College,
Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) For and on behalf of
M/s. Aditi Apartment,
Partners; Shri Rameshchandra Nandlal Kothari,
A-5. Minita Apartment,
New St. Xaveris' High School Road,
Navrangpura, Ahmedabad-14.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land measuring 420.165 sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 4 of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 13988 dated 6-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 28-6-1975
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Harisiddhbhai Govindlal,
"Mandar" Behind Law College,
Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

(2) For and on behalf of
M/s. Aditi Apartment,
Partners : Shri Rameshchandra Nandlal Kothari,
A-5, Minita Apartment,
New St. Xaviers' High School Road,
Navrangpura, Ahmedabad-14.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. Acq. 23-I-412—(192)/1-1/74-75.—Whereas, I, P. N. MITTAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 3 of S.P. No. 3 situated at TPS 3, Chhadawad, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 6-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

31—156G1/75

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land ad-measuring 420.165 sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 3 of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 13989 dated 6-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 28-6-1975

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009
Ahmedabad-380009, the 28th June 1975Ref. No. Acq. 23-I-413(193)1-1/74-75.—Whereas,
P. N. MITTAL,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos. 2 & 1 of S.P. No. 3 situated at T.P.S. No. 3, Chhadawad, Ahmedabad

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Ahmedabad on 5-11-74,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chandrakantabehn Govindlal,
"Mandar" Behind Law College,
Ellisbridge, Ahmedabad-6.

(Transferor)

(2) For and on behalf of
M/s. Aditi Apartment,
Partners : Shri Rameshchandra Nandlal Kothari,
A-5, Minita Apartment,
New St. Xaviers' High School Road,
Navrangpura, Ahmedabad-14.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land admeasuring 843.330 sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos: 2&1, of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the said deed bearing registration No. 13913 and 13914 dated 5-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 28-6-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

Rf. No. Acq. 23-T-4-14(194)1-1/74-75.—Whereas, I, P. N. MITTAL, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos. 5 & 6 of S.P. No. 3 situated at T.P.S. No. 3 Chhadawad, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ahmedabad on 8-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Harsiddhbhai Govindlal,
Executor of Will of deceased,
Shri Bhupendra Govindlal,
2. Smt. Junjbala Harsiddhbhai,
Beneficiary of Will of deceased,
Bhupendra Govindlal,
"Manjar", Behind Law College,
Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferor)

- (2) For and on behalf of
M/s. Aditi Apartment,
Partners, Shri Rameshchandra Nandlal Kothari,
A-5, Minata Apartment,
New St. Xaviers' High School Road,
Navrangpura, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land measuring 840.33 sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos. 5&6 of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 14223 and 14224 dated 8-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 28-6-1975
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 18th April 1975

Ref No. PR.217/Acq. 23-308/7-4/74-75.—Whereas, I, P. N. MITTAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rev. Sur. No. 255/2 Ward No. 1 situated at Ashabaug, Dudhia Talao Road, Navsari (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Navsari on 6-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bipinchandra Bhagwandas Bhavsar,
Ramaben Wd/o Bhagwandas Haribhai,
Bombay.

(Transferor)

(2) Nathubhai Kalyandas Gandhi,
(as Karta of HUF), Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property (comprising land and building) bearing Rev. Sur. No. 255 Paiki Plot No. 2 Muni, Ward No. 1 admeasuring 8760 sq. ft. situated at Ashabaug, Dudhia Talao Road, Navsari, Dist. Bulsar as mentioned in the registered deed No. 2589 of November, 1974 of the Registering Officer, Navsari.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner,
of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 18-4-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Bhanubhai Himatlal Desai,
34, Chaitanya Society,
Navrangpura, Near Stadium,
Ahmedabad.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Ratnam Electro Metals (P) Ltd.,
Near Railway Crossing,
Sanand Road, Sarkhej,
Ahmedabad.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ahmedabad-380009, the 3rd July 1975

Ref. No. Acq. 23-I-410(196)/1-1/74-75.—Whereas, I,
J. KATHURIA,
being the competent authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 46, situated at Moje Okaj, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the
registering officer at
Ahmedabad on 6-11-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective person which-
ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property standing on land admeasuring
2500 sq. yards bearing Survey No. 46, situated at Village
Okaj on the *State Highway* from Ahmedabad to Viram-
gam, Near Sarkhej Railway Crossing.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act,
1957 (27 of 1957).

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act to the following persons,
namely :—

Date : 3-7-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-20

Bombay-20, the 29th March 1975

Ref. No. AP. 206/IAC.AR.IV/74-75.—Whereas, I, Shri G. S. Rao, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. Nos. 151/152 situated at Versova (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bombay on 7-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Rahim Karim Mistry & Ors.
Mistry Court, Dinshaw Vachha Road,
Bombay-20.

(Transferor)

(2) Indu Park Co-op. Housing Society Ltd.
151/152 Four Bungalow Road, Versova,
Bombay-61.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land OR ground situate lying and being in the village of Versova, south Salsette, Greater Bombay, in the Registration Sub-District of Bangra District, Bombay Suburban containing by admeasurement 10,000 sq. yds. equivalent to 8360 sq. mts. OR thereabouts be the same more or less and bearing Survey Nos. 151 and 152 City Survey Nos. 1330 and 1331 and bounded as follows: that is to say on or towards the East by public passage, on or towards the West by the property of Jamshedji Dosabhoj Curranee, on or towards the North by public passage and beyond that by Amoles Creek and on or towards the South by public passage and beyond that by Survey No. 100 Versova.

G. S. RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV,
Bombay.

Date: 29-3-1975.

Seal:

FORM ITNS—

(1) Shri Gunvanirai Virji Pandit,
Sudamachowk, Porbandar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Bharatkumar Narsinghprasad Chhotai,
Patel Colony, Jamnagar.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 10th April 1975

Ref. No. Acc. 23-I-399(164)/10-1/74-75.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 1-G/4, Plot No. 15 of Swastic Society, situated at Behind Ayurvedic College, Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 8-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any other person interested in the said of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with building admeasuring 7500 sq. ft. bearing Survey No. 1-G/4, Plot No. 15 of Swastic Society, Behind Ayurvedic College, Jamnagar.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 10-4-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Jethalal Ramchand Bhatia,
"Ganga Vihar", Sardar Nagar,
Rajkot.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Manharlal Zeverchand Desai,
93, Marine Drive, 18, Ahura Mahal,
Bombay-2.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 10th April 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

Ref. No. Acq. 23-I-425(165)/16-6/74-75.—Whereas, I,
J. KATHURIA,

being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961)

(herein after referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having
a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of Plot No. 6, situated at Northern side of Swami-
narayan Gurukul, Dhebar Road, Rajkot.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 18-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to
between the parties has not been truly stated in the said instru-
ment of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under Sub-sec-
tion (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely:—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
defined in Chapter XXA of the said Ac shall have the same meaning as given in
that chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 228-00 sq
yds. bearing part of Plot No. 6 in Ward No.7, situated
at Northern side of Swaminarayan Gurukul, Dhebar
Road, Rajkot and bounded as under:—

East : Dhebarbhaj Road.

West : Land of Shri Jayantkumar Madhavji.

North : Plot No. 5.

South : Bldg. of Anilkumar Vinodrai Kamdar.

J. KATHURIA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax

Acquisition Range-I

Ahmedabad

Date : 10-4-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 4th July 1975

Ref. No. Acq. 23-I-608(198)/1-1/75-76.—Whereas, I J. Kathuria, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3 situated at Near Nehrubridge, Ashram Road, Ahmedabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 11-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—
32—156GI75

- (1) 1. Shri Sadharam V. Andani,
2. Shri Gordhanlal S. Andani,
3. Shri Kishanlal S. Andani,
4. Kumari Bhagyawanti S. Andani,
For & on behalf of the firm of M/s. Sadharam Gordhanlal, Netaji Cloth Market, Kalupur Kotnirang, Ahmedabad.

(Transferor)

- (2) Shri Murlidhar Omkarnath, Manek Chowk, Mahorat Pole Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being shop No. S/35 in Block 'B' on the ground floor of Capital Commercial Centre, bearing final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3, situated near Nehru-bridge, Ashram Road, Ahmedabad

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 4-7-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR,

HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 4th July 1975

Ref. No. Acq. 23-T-609(199)/1-1/75-76.—Whereas, I J. Kathuria,

being the competent authority under section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3 situated at Near Nehrubridge, Ashram Road, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 1-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Sadhuram V. Andani,
2. Shri Gordhanlal S. Andani,
3. Shri Kishanlal S. Andani,
4. Kumari Bhagyawanti S. Andani,
For and on behalf of the firm of M/s Sadhuram Gordhanlal, Netaji Cloth Market, Kalupur Kotnirang, Ahmedabad.

(Transferor)

- (2) Shri Damodardas Karsandas Akruwala, Advocate, B.No. 4, A Rajhuns Society, Ellisbridge, Ahmedabad-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as arc defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being office No. A/58 in Block 'A' on the fourth floor of Capital Commercial Centre, bearing Final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3, situated near Nehru-bridge, Ashram Road, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date: 4-7-1975

Seal:

FORM ITNS

(1) Smt. Durgawati W/o Ramlal Kayastha, R/o Bamhangawa, Satna.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. open plot of land at Bamhangawa, Satna area 8800 sq. ft. situated at Satna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Satna on 10-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(2) 1. Smt. Jasodabai W/o Tilokchand, 2. Shri Rajendra Kumar S/o Tilokchand, 3. Shri Indlal S/o Jamiyatrai Rijiwani, R/o Satna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land at Bamhangawa, Satna area 8800 sq. ft.

V. K. SINHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 1-7-75

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act) have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. open plot situated at Cheritalward, Jabalpur area 38250 sq. ft. situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jabalpur on 8-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any Income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Badriprasad S/o Jeewanlal Agrawal, R/o House No. 2, Jiwan Colony, Cheritalward, Jabalpur.
(Transferor)

(2) 1. Shri Shivprasad S/o Phoolchand Kesari, 2. Shri Ramkrishna S/o Phoolchand Kesari, both r/o 357 East Niwardganj, Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot situated at Cheritalward, Jabalpur area 38250.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 1-7-75

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Krishna Kumar Agarwal S/o Shri Vishwambhar Prasad Agarwal, R/o Naya Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

(2) Pt. Om Parkash Misra S/o Pandit Rudra Dutta Misra, Nimbalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 19/261 Heembalkar-ki-Goath, Lashkar Gwalior situated at Gwalior

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908

(16 of 1908) in the office of the Registering Officer Gwalior on 20-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

House No. 19/261 Neembalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior.

V. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 1-7-75
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Nandlal S/o Shri Gopi Chand Amarpuri R/o Topi Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Baijnath Agarwal S/o Shri Ganesh Ram Agarwal, Chief Cashier United Commercial Bank, Ltd., Bhind.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPALObjections, if any, to the acquisition of the said pro-
perty may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. house No. 37/53 at Kudalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior situated at Gwalior

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Gwalior on 21-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from and transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

House No. 37/53 at Kudalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Date : 1-7-75

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act) have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 307, 308, and 307/A situated Satia Kuwa, Sarafa Ward, Jabalpur situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 28-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been fully stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Bhuvanlal Chourasia R/o Haridaya Nagar, Teh. & Distt. Mandla at present Satia Kuwa Sarafa Ward, Jabalpur.
(Transferor)
- (2) Smt. Urmiladevi W/o Shri Chaiturbhuj Chourasia, R/o Gada Kotta, Teh. Rehli, Distt. Sagar at present Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 307, 307-A and 308 at Sathia Kuvan, Sarafa Ward, Jabalpur.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date: 1-7-75
Seal:

FORM ITNS

(2) Shri Mansoor Ali S/o Shri Abbas Bhai R/o Kaparganj, Teh. & Distt, Bilaspur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act) have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. house situated at Avadi Juna, Bilaspur House H. No. 110A, Kh. No. 202, Bilaspur situated at Bilaspur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bilaspur on 18-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Smt. Jatoonbi Wd/o Safdar Ali, 2. Smt. Memna Bai W/o Shri Hathim Bhai, 3. Smt. Mugra Bai R/o Durg.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House situated at Avadi Juna, Bilaspur House H. No. 110A, Kh. No. 202, Bilaspur.

V. K. SINHA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Bhopal

Date: 1-7-75

Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 24th June 1975

Ref. No. Acq. 23-I-578(190)/5-1/75-76.—Whereas I P. N. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City Survey Sanand No. 2199-B, Plot No. 17, situated at Virabhadranagar, Bhavnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhavnagar on 12-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
33—156GI/75

(1) Shri Ratilal Vanmalidas Sharma, C/o Haribhai Vasbram Bhai's House Opp: Sheth High School, No. 3, Vania Wadi, Rajkot.

(Transferor)

(2) Dr. Kishorekant Vanmalidas Sharma, Sanghedia Bazar, Bhavnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two storeyed building standing on land admeasuring 432 sq. metres, bearing City Survey Sanand No. 2199-B, Plot No. 17, situated at Virabhadranagar, Bhavnagar and as fully described in the sale deed bearing No. 1741 dated 12-11-1974 of the Registering Officer, Bhavnagar.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date: 24-6-1975.

Seal:

FORM ITNS

(1) Shri Braj Bahadur Jauthari.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jagdish Prasad & others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, LUCKNOW.

Lucknow, the 17th June 1975

Ref. No. 22-J/Acquisition.—Whereas, I Bishambhar Nath being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act) have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Mohalla Narkula Ganj, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on 12-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

A half portion of house total measuring 366 Sqr. Yards having including 9 rooms, motor garage, toilet, latrines, verandah etc. situated in Mohalla Narkula, Bareilly.

BISHAMBHAR NATH

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Date: 17-6-1975

Seal :